

प्रश्न 1.

मनोविज्ञान की परिभाषा लिखिए एवं इसके कार्य-क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

(V. Imp.)

Define psychology and explain the scope of psychology.

उत्तर— मनोविज्ञान की परिभाषा (Definition of Psychology) :

अरस्तू के अनुसार — मनोविज्ञान मन का विज्ञान है।

बाट्सन के अनुसार — मनोविज्ञान मानव-व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। “*Psychology is the positive science of behaviour*”

पील्सबरी के अनुसार — मनोविज्ञान मानव-व्यवहार का विज्ञान है। “*Psychology is the science of human behaviour.*”

मनोविज्ञान का क्षेत्र (Scope of Psychology) : इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं—

1. सामान्य मनोविज्ञान (General Psychology) — सामान्य मनोविज्ञान प्राणियों के सामान्य व्यवहार का साधारण परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों (general principles) व मौलिक नियमों (fundamental rules) का अध्ययन करता है। इसमें सामान्य व्यक्ति के मानसिक जीवन से संबंधित संवेदनाओं, प्रेरणाओं, स्मृतियों, संवेगों, कल्पना, चिंतन, सीखना, व्यक्तित्व, कुण्ठा तथा इसी प्रकार की अन्य मानवीय गतिविधियों व क्रियाओं (activities) और मानसिक प्रक्रियाओं (mental methods) का अध्ययन किया जाता है।

2. असामान्य मनोविज्ञान (Abnormal Psychology) — मनोविज्ञान की इस शाखा में मानव के असाधारण तथा असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार की मनोविकृतियों और दूसरे प्रकार की असामान्यताओं, उनके कारणों तथा उपचार का अध्ययन करता है, साथ ही अन्य असाधारण मानसिक अवस्थाओं, जैसे— दिवा-स्वप्न (day-dream), स्मृति-भ्रम (loss of memory), सम्मोहन (hypnosis), आदि का भी इसी विधा में अध्ययन किया जाता है।

3. मानव मनोविज्ञान (Human Psychology) — मनोविज्ञान की इस शाखा में केवलमात्र मनुष्यों के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है इसके अतिरिक्त और किसी भी बात का नहीं।

4. पशु मनोविज्ञान (Animal Psychology) — इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान (comparative psychology) भी कहते हैं क्योंकि इसमें पशु-व्यवहार की मानव-व्यवहार से तुलना की जाती है, परिणामस्वरूप दोनों (पशु और मानव) के निष्कर्षों से एक-दूसरे को लाभान्वित करने का अध्ययन किया जाता है।

5. व्यक्ति मनोविज्ञान (Individual Psychology) — इस शाखा में व्यक्तियों के व्यक्तिगत भेदों (individual differences) के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होता है।

6. समूह मनोविज्ञान (Group Psychology) — इस शाखा के अन्तर्गत समूह में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं क्योंकि समूह मन (group mind) समूह को बनाने वाले व्यक्तिगत मनों से भिन्न होता है।

7. सामाजिक मनोविज्ञान (Social Psychology) – इसमें समाज की मानसिक स्थिति, समाज के प्रति चिन्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे नियमों का अनुसंधान करना है जो सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संगठनों को स्थिर रख सके।

8. प्रौढ़ मनोविज्ञान (Adult Psychology) – इस शाखा में प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है क्योंकि प्रौढ़ व्यक्ति का व्यवहार बालक के व्यवहार से भिन्न होता है।

9. बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) – बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक (motor) तथा संवेगात्मक (emotional) परिस्थितियां प्रौढ़ से भिन्न होती हैं, अतः इसका व्यवहार भी प्रौढ़ से भिन्न होता है। यही कारण है कि बालक के व्यवहारों का अलग से अध्ययन किया जाता है और इस विधा (form) को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है।

10. कार्यिकी मनोविज्ञान (Physiological Psychology) – मनोविज्ञान में शारीरिक प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, अतः यह विशिष्ट शाखा कार्यिकी मनोविज्ञान कहलाती है। इसके अन्तर्गत मानव-व्यवहार को प्रभावित करने वाले अंगों, जैसे— मस्तिष्क, मेरुरञ्जु, संवेदी अंग, मांसपेशियां और तंत्रिका, आदि की कार्यिकी का अध्ययन किया जाता है।

11. प्रयोगात्मक मनोविज्ञान (Experimental Psychology) – मनोविज्ञान के अध्ययन की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार के अध्ययन हेतु नियंत्रित परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बाह्य व्यवहार के साथ ही मानव-विकास की विभिन्न अवस्थाओं में आंतरिक प्रक्रियाओं (internal processes) का भी अध्ययन करती है।

12. परामनोविज्ञान (Parapsychology) – यह मनोविज्ञान की नव-विकसित शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अतीन्द्रिय (super sensible) और इन्द्रियेतर (extra sensory) प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं। ये अतीन्द्रिय तथा इन्द्रियेतर अवबोधन (understanding) पूर्व जन्मों से संबंधित होते हैं।

13. विकासात्मक मनोविज्ञान (Developmental Psychology) – मनोविज्ञान गत्यात्मक है (psychology is dynamic)। यह मानव का एक गतिशील व विकासशील प्राणी के रूप में अध्ययन करती है। मनोविज्ञान की यह शाखा मानव-विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था के साथ इन अवस्थाओं में होने वाले मानव-व्यवहार का भी अध्ययन करती है।

14. शिक्षा मनोविज्ञान (Educational Psychology) – यह व्यावहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, संकल्पनाओं और तकनीकों को मानव-व्यवहार पर लागू करती है। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक ढंग व साधनों से सुधार करना शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विषय-वस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की उन सुविधाओं के विकास में सहायता करता है जिनसे छात्र को उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अनुसार शिक्षित किया जा सके।

15. औद्योगिक मनोविज्ञान (Industrial Psychology) – व्यावहारिक मनोविज्ञान की इस शाखा में औद्योगिक वातावरण में मानव-व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों व तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ग्राहक की मनोवृत्ति (mental attitude) का अध्ययन करके व्यापारी वस्तुओं व सेवाओं की गुणात्मकता के साथ ही खरीददारी, बिक्री व विज्ञापन के तरीकों के बारे में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह मनोविज्ञान उद्योगपतियों को मजदूरों से सम्बन्ध बनाये रखने में, मजदूरों के चयन, भर्ती व प्रशिक्षण में, मजदूरों की समस्याओं के निराकरण करने में सहायता करता है।

16. नैदानिक मनोविज्ञान (Clinical Psychology) – मनोविज्ञान की इस शाखा में मानसिक रोगों तथा असामान्य व्यवहार के कारण, लक्षण, प्रकार, निदान तथा उपचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अन्तर्गत नैदानिक मनोविशेषज्ञ (clinical psychologist) मानसिक रोगों के कारणों का पता लगाकर व्यक्तिगत समूह उपचार (mass therapy),

मार्गदर्शन और परामर्श द्वारा मनोरोग से ग्रस्त व्यक्ति का उपचार करते हैं। वर्तमान समय में Clinical Psychology का महत्व बढ़ता जा रहा है।

17. व्यावसायिक परामर्श मनोविज्ञान (Counselling and Vocational Guidance Psychology) – मनोविज्ञान का एक अत्यन्त व्यावहारिक अनुप्रयोग व्यावसायिक परामर्श के क्षेत्र में है। व्यावसायिक परामर्श मनोविज्ञान युवा व्यक्तियों को उनकी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार अपना career चुनने में मदद करता है।

18. वैधानिक मनोविज्ञान (Legal Psychology) – इस मनोविज्ञान का न्यायिक (law and justice) क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा अपराध के निर्धारण, झूठे गवाहों की पहचान करने में, विवाद व कानूनी मामलों को अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है।

19. सैन्य मनोविज्ञान (Military Psychology) – मनोविज्ञान की यह शाखा मिलिट्री साइंस के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है। सैन्य सेवाओं में भर्ती, प्रशिक्षण, नेतृत्व, युद्ध के समय में सैनिकों के मनोबल को बनाये रखने में, Intelligence Services का सैनिकों व सैन्य अधिकारियों के मध्य संपर्क स्थापित करने, आदि इस शाखा की विषय-वस्तु हैं।

20. राजनीतिक मनोविज्ञान (Political Psychology) – राजनीति के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान के नियमों का उपयोग किया जाता है। समूह व्यवहार का ज्ञान, जनता की धारणा, नेतृत्व के गुण, प्रचार का मनोविज्ञान, राजनीतिक कला, चुनाव प्रशासन, कानून, आदि क्षेत्र इसकी अध्ययन सामग्री हैं।

उपर्युक्त विवेचनों (interpretations) से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान का अध्ययन-क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। मनोविज्ञान के विषय-क्षेत्र (सैद्धान्तिक व व्यावहारिक मनोविज्ञान) में मनुष्य के प्रत्येक पहलू को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 2. मनोविज्ञान क्या है? इसके क्रमिक विकास से आप क्या समझते हैं?

What is Psychology? What do you understand with its orderly development?

उत्तर– मनोविज्ञान (Psychology) शब्द लैटिन भाषा के शब्द “साइको-लोगस” (psycho + logos – psycho से तात्पर्य “आत्मा” तथा logos से तात्पर्य “ज्ञान”) से बना है। यही आगे चलकर साइकोलॉजी हो गया अर्थात् “आत्मा या मन का अध्ययन”।

कई शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र की ही शाखा माना जाता था। उस समय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से “मन” (mind) तथा “मानसिक क्रियाओं” (mental processes) का अध्ययन किया जाता था। इन परिवर्तनों के साथ ही मनोविज्ञान के निरूपण तथा व्याख्या में भी अन्तर आए। मनोविज्ञान का जो रूप आज हम देख रहे हैं, वह विकास के भिन्न-भिन्न क्रमों से गुजरा है। मनोविज्ञान के क्रमिक विकास को हम निम्न बिन्दुओं से समझ सकते हैं–

- आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान (Psychology as a Science of Soul) – प्लेटो (Plato), अरस्तू (Aristotle), तथा देकार्टे (Decartes) आदि ग्रीक दार्शनिक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान (Science of Soul) के रूप में स्वीकार करते हैं।

- मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान (Psychology as a Science of Mind) – आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की व्याख्या अस्वीकृत हो जाने के बाद सत्रहवीं सदी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान (Science of Mind) के रूप में निरूपित (explained) किया।

- चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान (Psychology as a Science of Consciousness) – उनीसवीं सदी में मनोवैज्ञानिकों ने मन के विज्ञान के स्थान पर मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान (Science of Consciousness) के रूप में प्रस्तुत किया। इनमें विलियम जेम्स, वाइव, विलियम बुड, जेम्स सली, आदि दार्शनिकों के नाम प्रमुख हैं।

- व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान (Psychology as a science of Behaviour) – बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान (Science of Behaviour) के रूप में दार्शनिक स्वीकार करने लगे। वाट्सन, वुडवर्थ, स्किनर, आदि दार्शनिकों के नाम इसमें प्रमुख हैं। अब वर्तमान में मनोविज्ञान के इसी रूप को सर्वमान्य रूप से स्वीकार (universally accepted norm) किया जाता है।

प्रश्न 3. मनोविज्ञान की प्रकृति समझाइए।

Explain the nature of psychology.

उत्तर – मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –

1. मनोविज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जाता है – मनोविज्ञान की विषय-वस्तु का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों (scientific methods) द्वारा किया जाता है। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि (experimental methods) व निरीक्षण विधियों (observation methods) का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है।

2. मनोविज्ञान में व्यवहार का तथ्यात्मक (factual) अध्ययन किया जाता है – मनोविज्ञान में विभिन्न विधियों द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है फिर उनका क्रमबद्ध वर्गीकरण व विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों का सामान्यीकरण (generalization) कर सामान्य नियम बनाये जाते हैं।

3. मनोविज्ञान में कार्य-कारण सम्बन्धों की व्याख्या की जाती है – मनोविज्ञान में विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है अर्थात् कार्य-कारण सम्बन्धों (cause-effect relations) की व्याख्या की जाती है। व्यवहार में “क्या” के साथ-साथ “कैसे” की भी व्याख्या की जाती है।

4. मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक (universal) होते हैं – समान परिस्थितियों में मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांत सभी स्थानों (देशों) में व किसी भी समय एक समान रूप से प्रमाणित (verify) किये जा सकते हैं।

5. मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रामाणिक होते हैं – मनोविज्ञान में अध्ययन के आधार पर जो सिद्धांत बनाये जाते हैं, उनका यदि दुबारा परीक्षण (test) किया जाये तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात् इसके सिद्धांत सदा समान रहते हैं।

अतः उपर्युक्त वर्णित विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है (Psychology is a science)।

प्रश्न 4. नर्सों के लिए मनोविज्ञान का महत्व समझाइए।

Explain the importance of psychology for nurses.

(V. Imp.)

उत्तर – नर्सों के लिए मनोविज्ञान का महत्व निम्न प्रकार है –

1. रोगी को समझना (Understanding Patient) – कई बार मरीजों की समस्याएँ शारीरिक होने के साथ-साथ मानसिक प्रवृत्ति की भी होती हैं। यदि ऐसे मरीजों की मानसिक समस्याओं को पहचाने बिना उनकी केवल शारीरिक समस्याओं का उपचार किया जाए तो वह मरीज पूर्णरूपेण ठीक नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इन मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है कि इनकी शारीरिक समस्याओं के साथ-साथ मानसिक समस्याओं को भी भली-भांति पहचान कर उनका उचित उपचार किया जाए। मरीज की मानसिक समस्याओं को पहचानने हेतु आवश्यक है कि नर्स को स्वयं मनोविज्ञान की जानकारी हो।

मनोविज्ञान के अध्ययन के दौरान संवेग (emotion), चिन्तन (thinking), तर्क (reasoning), प्रत्यक्षीकरण (perception), बुद्धि (intelligence), व्यक्तित्व (personality), आदि विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, जोकि नर्स द्वारा मरीज की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान (diagnosis) तथा उनके उपचार (treatment) में सहायक होता है।

2. स्वयं के व्यक्तित्व व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक (Helpful in bringing Positive

Changes in Self Attitude and Behaviour) – मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा नर्स के व्यक्तित्व व व्यवहार में भी सुधारात्मक परिवर्तन आते हैं। इसके अध्ययन द्वारा नर्स को व्यक्तित्व व व्यवहार के निर्धारक तत्व, प्रभावी व्यक्तित्व और कुशल-सौम्य व्यवहार की विशेषताओं आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, फलस्वरूप नर्स अपने व्यक्तित्व व व्यवहार के नकारात्मक (negative) पहलुओं में आवश्यक सुधार कर उन्हें अधिक प्रभावी व कुशल बना सकती है। वैसे भी एक नर्स अपने मरीज के लिए role-model या ideal (आदर्श) होती है तथा उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां (activities) मरीजों व उनके परिजनों द्वारा अवलोकित (peruse) की जाती हैं। ऐसे में यदि नर्स का व्यक्तित्व व व्यवहार प्रभावी व सकारात्मक (positive) होगा तो मरीजों और उनके परिजनों के लिए वह प्रशंसाप्राप्त व सम्माननीय हो जायेगी, साथ ही अनुकरणीय भी।

3. स्वयं एवं दूसरे लोगों को समझने में सहायक (Helpful in to understand Self and Others) – मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उसे स्वयं में गुण ही गुण तथा दूसरे लोगों में अवगुण ही अवगुण नजर आते हैं। नर्स भी इस प्रकृति-प्रदत्त गुण-अवगुण से अछूती नहीं होती है। मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा नर्स न केवल स्वयं बल्कि दूसरे लोगों को भी भली-भाँति पहचानने में सक्षम हो जाती है, साथ ही उसे अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व के मजबूत एवं कमज़ोर पक्षों का भी ज्ञान हो जाता है।

4. मनोविज्ञान नर्स के लिए नर्सिंग केयर प्रदान करने में सहायक है (Psychology helps the Nurse in providing Nursing Care) – मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों (fundamental principles) के व्यापक अध्ययन के पश्चात् नर्स इन सिद्धांतों का मरीज की देखभाल करने में उपयोग कर सकती है। कुछ बीमारियां व दुर्घटनाएं इस प्रकार की होती हैं कि उनका पूर्ण उपचार संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान के अध्ययन से नर्स एक बेहतर स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में रोगी को इस प्रकार की स्थिति से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता कर सकती है अर्थात् मनोविज्ञान का ज्ञान नर्स को health educator बनाने में अति महत्वपूर्ण है, साथ ही इस ज्ञान के आधार पर नर्स, रोगी व उसके परिवार वालों को बीमारी की प्रकृति, जांच, उपचार, आदि के बारे में सही ढंग से समझा सकती है।

5. मनोविज्ञान नर्स के लिए सफल व्यक्तिगत व व्यावसायिक समायोजन में सहायक है (Psychology helps the Nurse in Successful Personal and Professional Adjustment) – किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्तिगत समायोजन अत्यन्त आवश्यक है। एक नर्स को भी अपने कार्य-क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं का व्यक्तिगत समायोजन (personal adjustment) करना बहुत आवश्यक है। नर्स को अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, कमियों का पता होना चाहिए ताकि वह इनका पूरा उपयोग कर सके। साथ ही उसे अपने व्यवसाय में सफल होने के लिए स्वयं की शारीरिक, मानसिक स्वस्थता (well being) के साथ ही अपने व्यक्तित्व में आवश्यक गुणों का समावेश करना चाहिए।

प्रश्न 1. मन की संरचना क्या है? मन के विभिन्न अवधारणाएँ या स्तर को बताइए।

What is Structure of Mind? Explain level of Mind.

उत्तर- मन की संरचना (**Structure of Mind**) – मन को गतिमान समग्र (dynamic whole) माना गया है। मन का विकास मनुष्य की उम्र के साथ-साथ होता रहता है। मन व्यक्ति में पायी जाने वाली विभिन्न मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं का समग्र रूप है। अवलोकन (observation), चिन्तन (thinking), भावनाएँ (feelings), पहचान (recognition), अधिगम (learning), स्मृति (memory), अवधान (attention), आदि सभी मानसिक क्रियाएँ और शारीरिक क्रियाएँ मस्तिष्क द्वारा ही आदेशित, संचालित, और नियंत्रित होती हैं।

मन या मस्तिष्क के स्तर (Levels of Minds) – जर्मन मनोवैज्ञानिक सिग्मन्ड फ्रायड (Sigmund Freud) के अनुसार मन के तीन स्तर (stages) हैं—

1. चेतन मन (Conscious mind)
2. अद्वचेतन मन (Sub-conscious mind)
3. अचेतन मन (Unconscious mind)

1. चेतन मन (Conscious Mind) – चेतन मन केवल जागरूक अवस्था में ही कार्य करता है। व्यक्ति चेतन अवस्था में ही अपने आस-पास की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है।

फ्रायड (Freud) के अनुसार – चेतन मन में यह सब कुछ शामिल है, जो हम सोचते हैं और तर्कपूर्ण (meaningful) बात करते हैं, जिसका सम्बन्ध तुरन्त ज्ञान से है। इससे हमारे जीवन में जागरूकता (awareness) लाई जा सकती है, और ये हमारी स्मृति में शामिल है।” फ्रायड के अनुसार चेतन मन को दो भागों में बांटा जा सकता है—

- (a) **चेतना का केन्द्र (Focus of Consciousness)** – जो वस्तु या उद्दीपन (stimulant) चेतना के केन्द्र में होते हैं, उन पर व्यक्ति का ध्यान सर्वाधिक जाता है तथा उसका ज्ञान भी स्पष्ट होता है, जिन पर व्यक्ति अधिक ध्यान केन्द्रित करता है।
- (b) **चेतना का सीमा-प्रदेश (Margin of Consciousness)** – चेतना के केन्द्र के आस-पास का क्षेत्र, जिसमें स्थित उद्दीपक धुंधले या अस्पष्ट दिखाई देते हैं, चेतना का सीमा प्रदेश कहलाता है। यह वह क्षेत्र है, जिसके एक तरफ उद्दीपकों का तो व्यक्ति को स्पष्ट ज्ञान होता है, परन्तु दूसरी ओर स्थित उद्दीपकों का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है।

विशेषताएँ (Characteristics) : चेतन मन में निम्न विशेषताएँ पायी जाती हैं—

- यह मन की जाग्रत अवस्था होती है।
- इसमें निरन्तर परिवर्तन होता है।

- चेतना मार्ग-दर्शन का काम करती है।
- चेतना में निरंतरता (essentiality) होती है।
- यह वस्तुओं को सकारात्मक (positive) या नकारात्मक (negative), दोहरे रूप में देखती है।

2. अर्द्ध-चेतन मन (Sub-conscious mind) : इसे Pre-conscious mind के नाम से भी जाना जाता है। Pre-conscious mind (अर्द्ध-चेतन मन) व्यक्ति की साधारण स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाग का संबंध ऐसी भूली हुई सामग्री से होता है जिसे इच्छानुसार कभी-कभी याद किया जा सकता है। यह भूली हुई यादों के संग्राहक के रूप में कार्य करता है।

फ्रायड ने अर्द्ध-चेतन की तुलना बड़े कमरे से की है, जिसमें लाखों बातें संग्रहीत रहती हैं तथा उन्हें आवश्यकतानुसार याद किया जा सकता है। यह एक प्रहरी (doorkeeper) की तरह काम करता है, जरूरत पड़ने पर ही बातों को चेतन मन में जाने देता है। यह अधिकांश विचारों को अपने पास दमित (repressed) करके संग्रहीत कर लेता है।

विशेषताएँ (Characteristics) : अर्द्ध-चेतन मन की विशेषताएँ निम्न हैं—

- यह चेतन मन की अपेक्षा अधिक विचारों का संग्रहण करता है।
- इसमें संग्रहीत सामग्री सक्रिय होती है।
- इसमें संग्रहीत विचारों की मात्रा व्यक्ति के ध्यान पर निर्भर करती है।
- इसमें संग्रहीत विचारों को चेतन मन में लाया जा सकता है।

3. अचेतन मन (Unconscious Mind) : अचेतन मन, मन का सबसे बड़ा गोदाम है, जिसमें जीवन भर की दमित इच्छाएं, भावनाएं, विचार, अनुभव संग्रहीत रहते हैं, यदि कोई सामग्री अचेतन मन में चली जाती है तो उसे याद करना या चेतन मन में लाना मुश्किल है।

विशेषताएँ (Characteristics) : अचेतन मन की विशेषताएँ निम्न हैं—

- अचेतन मन में दमित सामग्री का संग्रहण किया जाता है।
- यह चेतन मन से अधिक बड़ा व गहरा होता है।
- इसे अचेतन प्रेरणा भी कहा जाता है।

इस सिद्धांत की तुलना फ्रायड के आइस-वर्ग सिद्धांत से की गई है।

फ्रायड का आइस-वर्ग सिद्धांत (Freud's Ice-piece Principle) —

फ्रायड ने मन की तीनों अवस्थाओं को समझने के लिए हिमखण्ड का एक उदाहरण दिया। पानी में ढूबा हुआ हिम-खण्ड (ice-piece) के ऊपर का हिस्सा (पानी की सतह से ऊपर का) चेतन मन (Conscious mind), पानी के नीचे जलमग्न (न दिखने वाला) हिस्सा अचेतन मन (Unconscious mind), और पानी की सतह पर दिखने वाला भाग अर्द्ध-चेतन मन (Pre-conscious mind) को दर्शाता है।

प्रश्न 2. फ्रायड का मन-संरचना मॉडल क्या है?

What is the Freud's Structural Model of Mind?


Or

(Imp.)

व्यक्तित्व में उपाहम, अहम, पराअहम को वर्णित कीजिए।

Describe the ID, Ego and Super Ego in personality.

उत्तर— फ्रायड का मन-संरचना माडल (Freud's Structural Model of Mind) — सिग्मण्ड फ्रायड ने सन् 1923



फ्रायड का आइस-वर्ग सिद्धांत
(Freud's Ice-piece principle)

में मन के संरचनात्मक माडल को परिभाषित किया, जो हमारे मानसिक जीवन को वर्णित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण तीन उपतन्त्रों (sub-systems) द्वारा होता है-

1. उपाहम/इदम् (ID)

2. अहम् (Ego)

3. पराअहम् (Super Ego)

1. उपाहम/इदम् (ID)

- ID एक लैटिन शब्द है, जिसका हिन्दी अर्थ “यह” (It) होता है। ID मनुष्य की नैसर्गिक, सहजवृत्ति और व्यक्तित्व की संरचना को प्रकट करता है।
- ID किसी व्यक्ति में जन्म से मौजूद अभिन्न हिस्सा है, जो विशेष रूप से हमारी यौन इच्छाओं, आवेगों, आक्रामकताओं और शारीरिक आवश्यकताओं का स्रोत (source) है।
- ID (उपाहम) का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यह अचेतन (unconscious) स्तर पर काम करता है जो सहजवृत्ति (instinct) प्राथमिकता पर जोर देता है।
- इदम् को खुशी का सिद्धांत (Principles of Pleasure) के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारे मन से दर्द या दुख जैसी स्थिति से बचने की मांग करता है।
- इदम् को अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं होता है।
- यह किसी भी इच्छा की तुरन्त संतुष्टि पर जोर देता है।
- इदम् हमारे व्यक्तित्व का दुर्गम हिस्सा है और उसमें से अधिकांश नकारात्मक चरित्र के रूप में वर्णित है, जिससे यह सहज ज्ञान तक पहुंचने और जीवन में ऊर्जा भरने का कार्य करता है।

2. अहम् (Ego)

- Ego (the “I”, Self, मैं/अहम्) वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है।
- फ्रायड से पहले Ego शब्द को स्वयं की भावना के मतलब के लिए (secure of self) सम्बोधित किया जाता था, परन्तु बाद में इसे सहिष्णुता (tolerance), नियंत्रण (control), योजना (planning), रक्षा (defence), सूचना का संश्लेषण (synthesis of information), स्मृति (memory) के रूप में और मानसिक कार्यों को करने वाला नैतिकतापूर्ण निर्णय लेने वाला बताया गया।
- Ego वास्तविकता को अलग करता है। यह हमारी सोच और समझ को व्यवस्थित करता है और हमारे आस-पास की दुनिया बनाने में हमारी मदद करता है।
- इसे उपाहम (ID) से ऊर्जा प्राप्त होती है।
- Ego उपाहम पर नियंत्रक की तरह कार्य करता है।
- इसे द्वितीयक चिन्तन प्रक्रिया “secondary thinking process” भी कहा जाता है।
- इसके अधिकांश कार्य चेतन अवस्था में व कुछ कार्य अचेतन अवस्था में सम्पन्न होते हैं।
- इसे “seat of consciousness” भी कहा जाता है।
- यह इदम् (ID) व पराअहम् (super ego) के मध्य सन्तुलन का कार्य करता है।
- “Ego (अहम्), इदम् (ID) और पराअहम् (super ego) के बीच मध्यस्थता का काम करता है। Ego (अहम्) में बचाव

(defence) की मुद्रा, अवधारणात्मक (perceptual), बौद्धिक (Intellectual), संज्ञानात्मक (Cognitive) और कार्यकारी (Functional) कार्य भी शामिल हैं।”

3. पराअहम् (Super ego) : Super ego (पराअहम्) मुख्य रूप से मनुष्य को उसके माता-पिता द्वारा सिखाया गया सांस्कृतिक (cultural) नियम है जो internalization प्रभाव व्यक्त करता है, जोकि मनुष्य को मार्गदर्शन और प्रभाव लागू करने में मदद करता है।

- इसे “higher self” भी कहते हैं।
- Super ego व्यक्ति को अपने नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराता है।
- यह व्यक्ति के आदर्शों, आध्यात्मिक लक्ष्यों, विवेक का संगठित हिस्सा है जो किसी व्यक्तिगत आलोचनाओं को प्रतिबन्धित कर स्वयं की इच्छाओं, कल्पनाओं, भावनाओं के अनुरूप कार्य करता है।
- Super ego अचेतन स्तर पर कार्य करता है।
- पराअहम् समय के साथ-साथ व्यक्ति में विकसित होते हैं।
- यह आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है।
- यह अहम् को आदेश प्रदान कर दमन द्वारा अवांछित इच्छाओं पर नियंत्रण करता है।
- Ego में निर्णय दूसरों के बारे में सोचना होता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा,

प्रश्न 2. व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं?

What are the basic human needs?

Or

मैसूलों के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को समझाइए।

Describe the Maslow's Hierarchy of Needs.


उत्तर- Maslow (मैसूलो) ने 1954 में सर्वप्रथम आत्मसिद्धि (self-realization) को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेक बतलाया तथा इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसे “मैसूलो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम” (Maslow's Hierarchy of Needs) कहा जाता है। मैसूलो ने मुख्य रूप से पाँच मानव आवश्यकताओं की पुष्टि की, जो निम्न हैं—

1. शारीरिक आवश्यकताएँ (Physiological Needs) — मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं “Maslow's Hierarchy of Needs” अनुक्रम में सबसे नीचे आती हैं। शारीरिक आवश्यकताओं में निम्न शामिल हैं—

भूख (hunger), सैक्स (sex), श्वसन (respiration), प्यास (thirst), सन्तुष्टि (satisfaction), नींद (sleep), उत्सर्जन (excretion), हवा, पानी, आदि। इनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अतः मैसूलो का कहना है कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि चाहता है। इसके बाद वह अन्य आवश्यकताओं के बारे में सोचता है।

2. सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं (Safety needs) — जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं से सन्तुष्टि हो जाती है, तब मनुष्य अपनी दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता, “सुरक्षा आवश्यकताएं” (safety needs) के बारे में सोचता है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं निम्न हैं—

- व्यक्तिगत सुरक्षा (personal safety)
- वित्तीय सुरक्षा (financial safety)



- स्वास्थ्य सुरक्षा (health safety)
- दुर्घटनाओं, बीमारी और उनके प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुरक्षा (safety against accidents, illness and their adverse effect), आदि।

3. प्यार और अपनापन (Love and Belongings) – Maslow के सिद्धांत की यह तीसरी प्रमुख आवश्यकता है। इस आवश्यकता के फलस्वरूप व्यक्ति, परिवार, समाज, धर्म, प्रजाति राजनीतिक दल, आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और अपने प्रति परिवार, समाज आदि से भी प्यार और अपनेपन पाने की भावना रखता है।

4. आत्म-सम्मान की भावना (Self-respect Feeling) – सभी मनुष्य अपने को सम्मानित महसूस करना चाहते हैं। इसमें आत्म-सम्मान, उपलब्धि (achievement), स्वायत्तता (autonomy), और बाह्य सम्मान कारक [external esteemed factors, जैसे— पद (status), पहचान (recognition), आदि] शामिल हैं।

5. आत्मसिद्धि (Self-actualization) – “मैसूलो पदानुक्रम” में आत्मसिद्धि (self-actualization) सबसे ऊंचे स्तर की आवश्यकता (highest level of needs) है, जहां पर सभी लोग पहुंच नहीं पाते।

आत्मसिद्धि एक जटिल धारणा (complex concept) है। मनोविज्ञान में आत्मसिद्धि से तात्पर्य अपने अन्दर छिपी क्षमताओं (potentialities) की पहचान करना तथा उसे ठीक ढंग से विकसित करने की आवश्यकता से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ कर सकना ही आत्मसिद्धि (self-actualization) है।

मैसूलो ने फिर इन पांच आवश्यकताओं को दो मूल श्रेणी में विभाजित किया है—

1. निम्न स्तर की आवश्यकता (Needs of low level) – इसमें मैसूलो ने शारीरिक आवश्यकताओं और सुरक्षा-संबंधी आवश्यकताओं को रखा है।

2. उच्च स्तर की आवश्यकता (Needs of highest level) – इसमें प्यार और अपनापन, सम्मान की भावना एवं आत्मसिद्धि को रखा है।

प्रश्न 3. व्यवहार के आयामों का वर्णन कीजिए।

Describe the dimensions of Behaviour.

उत्तर – व्यवहार तीन आयामों (dimensions) से मिलकर बना है। तीनों आयामों के मध्य सनुलन ही सामान्य व्यवहार का निर्माण करता है। यह तीन क्रियाओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार व्यवहार के तीन आयाम होते हैं –

1. संज्ञानात्मक आयाम
2. गत्यात्मक आयाम
3. भावनात्मक आयाम।

1. संज्ञानात्मक आयाम (Cognitive dimension) – इसमें व्यक्ति वातावरण में उपस्थित प्रेरकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है तथा उनको समझकर उनके बारे में विचार-विमर्श करता है। इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं –

- (a) प्रत्यक्षीकरण (Direct perception) – प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों (stimulants) का तात्कालिक एवं सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है।
- (b) चिन्तन (Thinking) – चिन्तन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समापन करने में मदद करती है।
- (c) तर्क-वितर्क (Reasoning) – तर्क-वितर्क एक प्रकार का समस्या समाधान व्यवहार है क्योंकि तर्क-वितर्क द्वारा व्यक्ति किसी समस्या या घटना के सभी पक्षों पर विचार करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचता है।

2. गत्यात्मक व्यवहार (Dynamic behaviour) – व्यवहार के इस पक्ष में शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जो प्रेरक की प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित हैं –

- भागना
- खेलना
- नाचना
- झगड़ना

3. भावनात्मक व्यवहार (Emotive behaviour) – इसमें व्यक्ति का भावनात्मक पहलू सम्मिलित किया जाता है, जिसमें संवेदना, भय, आनन्द, ईर्ष्या, गम्भीरता, दुख, खुशी, दर्द, आदि क्रियाएं व्यवहार के रूप में प्रकट की जाती हैं।

प्रश्न 4. अभिप्रेरणा या प्रेरणा को परिभाषित करें। प्रेरणा के प्रकार लिखिए।

Define the motivation. Write types of motivation.

(V. Imp.)

Or

जैविक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा एवं व्यक्तिगत प्रेरणा समझाइए।

Explain biological, social and personal motives.

उत्तर – प्रेरणा को कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है –

गिलफोर्ड के अनुसार – प्रेरणा से आशय है वह विशेष आंतरिक अवस्था जो क्रिया को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए जरूरी होती है।

बुद्धिमत्ता के अनुसार – प्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।

प्रेरकों के प्रकार (Types of Motivation) – प्रेरकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है –

A. जैविक या प्राथमिक प्रेरक (Biological or Primary Motives) – ये वे आधारभूत प्रेरक होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होते हैं। जैविक प्रेरक जन्मजात होते हैं। जैविक प्रेरक इस प्रकार हैं –

1. भूख (Hunger) – यह सबसे प्राथमिक प्रेरक है यदि व्यक्ति की भूख संतुष्ट है तो उसकी क्रिया एवं प्रक्रिया सामान्य रहती है एवं यदि भूख संतुष्ट नहीं है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है।

2. प्यास (Thirst) – अधिक समय तक व्यक्ति की प्यास पूरी न होने पर वह विचलित हो जाता है।

3. निद्रा (Sleep) – मानसिक व शारीरिक थकान को दूर करने के लिए निद्रा एक आवश्यक प्रेरणा है। अनिद्रा मानसिक असंतुलन व कुसमायोजन उत्पन्न करती है।

4. शरीर तापमान का नियमन (Regulation of body temperature) – वातावरण में रहने के कारण या शरीर में बाहरी तत्वों के प्रवेश करने पर शरीर का तापक्रम बढ़ने लगता है जैसे – गर्भियों में गर्भ लगने पर पंखा या ए.सी. चलाकर एवं सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखना।

5. काम-उत्तेजना (Sex) – मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार काम-उत्तेजना प्रवृत्ति मानव प्रेरकों में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होती है। फ्रायड के अनुसार यह प्रेरक व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की उन्नति एवं सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता है।

6. समस्थिति (Homeostasis) – शरीर में विभिन्न आंतरिक अंगों, जैसे – पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में परिवर्तन आने पर व्यक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। जैसे – पानी, नमक, ऑक्सीजन आदि की कमी होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अतः इन पदार्थों को बाहर से लेने की प्रेरणा उत्पन्न होती है ताकि शरीर का संतुलन सामान्य बना रहे।

B. सामाजिक या द्वितीयक प्रेरक (Social or Secondary Motives) – व्यक्ति को समाज से प्राप्त होने वाले प्रेरक सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक प्रेरक प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रेरक इस प्रकार हैं –

1. प्रशंसा एवं निंदा (Praise and Blame) – प्रशंसा प्रत्येक मनुष्य की कमजोरी होती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा को पसंद करता है जबकि निंदा को नापसंद करता है। प्रशंसा प्रेरक का व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी निंदा प्रेरक भी व्यक्ति में सकारात्मक व्यवहार उत्पन्न करने में सहायक होती है।

2. प्रभुत्व (Power) – प्रभुत्व प्रेरक सभी समाजों में पाया जाता है। इसमें मनुष्य दूसरों पर हावी होने या शासन करने की कोशिश करता है क्योंकि इससे उसे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है।

3. अनुकरण एवं सहानुभूति (Imitation and Sympathy) – अनुकरण द्वारा व्यक्ति सीखता है तथा हर व्यक्ति दूसरों के प्रति कम या अधिक सहानुभूति रखता है।

4. आत्मसर्पण (Self Submission) – प्रत्येक व्यक्ति परिवार एवं समाज से ही आत्मसर्पण की भावना को सीखता है। इसमें वह अपने आपको दूसरों के अधीन कर लेता है एवं उनके आदेशों का पालन करता है।

5. सामाजिक स्वीकार्यता (Social Approval) – समाज में व्यक्ति वही कार्य करता है जो समाज द्वारा स्वीकार्य होते हैं एवं समाज द्वारा अस्वीकार कार्यों को करने से बचता है।

6. आक्रामकता (Aggressiveness) – इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करके या अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसे चोट पहुंचाना या नष्ट करना चाहता है।

7. अर्जनात्मकता (Acquisitiveness) – इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। अलग-अलग समाज व संस्कृतियों में अर्जनात्मकता की मात्रा अलग-अलग पाई जाती है।

C. व्यक्तिगत प्रेरक (Personal Motives) – व्यक्तिगत प्रेरक निम्न प्रकार होते हैं–

1. जीवन लक्ष्य (Life Goal) – प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने कुछ लक्ष्य होते हैं। ये लक्ष्य व्यक्ति की क्रियाओं को संचालित करते हैं एवं उसे परिश्रम की प्रेरणा प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।

2. आदतें (Habits) – आदतें अच्छी एवं बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अच्छी आदतें कार्य को सुगम बनाती हैं एवं व्यक्ति को प्रगतिशील बनाती हैं। दूसरी तरफ बुरी आदतें उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं।

3. आकांक्षा स्तर (Level of Aspiration) – यह प्रेरक जीवन लक्ष्य से ही संबंधित होता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आकांक्षा होती है एवं वह इन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने में अग्रसर रहता है।

4. रुचि (Interest) – मानव व्यवहार में रुचि प्रेरक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः व्यक्ति उसी कार्य को करना पसंद करता है जिसमें उसकी रुचि अधिक है।

5. अभिवृत्ति (Attitude) – अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है एवं इसी के आधार पर वह ध्यान केन्द्रित करता है जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति से वो बचना चाहता है।

6. उत्सुकता एवं भय (Curiosity and Fear) – किसी वस्तु या विषय के प्रति उत्सुकता व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करती है। वहीं भय एक ऐसा प्रेरक है जो व्यक्ति को ऐसी स्थितियों से दूर करने के लिए प्रेरित करता है जो उसे भयभीत करें।

प्रश्न 5. मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं?

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं अथवा गुण लिखिए।

What do you understand with mental health?

Write down the characteristics of mentally healthy person.

(V. Imp.)

उत्तर – मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) – मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों (opposite conditions) का सामना धैर्यपूर्वक कर उनसे प्रभावपूर्ण समायोजन बिठा लेता है।

कट्टस और मोस्ले के अनुसार – मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है, जिससे हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य (consistency) स्थापित करते हैं।

मैनिंजर के अनुसार – हम मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा अधिकतर सामंजस्य के रूप में कर सकते हैं, वह एक सम स्वभाव, एक तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनन्दमय स्नायु विन्यास बनाये रखने की योग्यता है।

मेरियम वैब्स्टर के अनुसार – मानसिक स्वास्थ्य उस भावनात्मक और मानसिक कल्याण को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी अवबोधक और भावनात्मक योग्यताओं का उपयोग कर सके, समाज में रह सके तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण (Characteristics of Mentally Healthy Person) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन की समस्याओं व कठिन परिस्थितियों को हल करने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति में निम्न लक्षण पाए जाते हैं–

1. आत्म-मूल्यांकन की क्षमता (Capacity of Self-evaluation) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में स्वयं में मौजूद गुणों एवं अवगुणों (merits and demerits) को पहचानने की क्षमता पायी जाती है, किन्तु मानसिक रोगियों में ऐसा नहीं मिलता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपना आत्म-मूल्यांकन कर सकता है।

2. प्रतिकूल परिस्थितियों में समंजनशीलता (Adjustability in opposite conditions) – स्वस्थ मस्तिष्क वाला मनुष्य समंजनशीलता वाला होता है, वह हर परिस्थिति के साथ समंजन (adjustment) स्थापित कर लेता है चाहे वे अनुकूल हो या प्रतिकूल।

3. लक्ष्य-निर्धारण (Goal determination) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करके चलते हैं तथा उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां भी इन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं।

4. संवेगात्मक परिपक्वता (Emotional maturity) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक रूप से भी परिपक्व (matured) होते हैं। उनके द्वारा किये जाने वाले संवेगीय प्रदर्शन वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। ऐसे व्यक्ति का प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, चिन्ता, आश्चर्य आदि संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा वे इनका प्रदर्शन उचित समय पर ही करते हैं।

5. यौन-संबंधी परिपक्वता (Sex related maturity) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संस्कृति द्वारा स्वीकार्य तरीकों से ही अपने यौन-इच्छा की पूर्ति करते हैं। उनके जीवन में असभ्यता एवं दुराचार का कोई स्थान नहीं होता है।

6. संतुलित इच्छाएं (Balanced desires) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की इच्छाएं संतुलित एवं सीमित होती है। उसमें किसी भी प्रकार की अधिकता (plenty) नहीं पाई जाती है। उसे अपनी क्षमताओं तथा योग्यताओं का भली-भाँति ज्ञान होता है और वह उसी के अनुरूप सम्मान एवं धन की लालसा रखता है।

7. नियमित जीवन (Regular life) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित (well planned) होती है। उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, खान-पान आदि सब नियमित व संयमित होते हैं।

8. संतोषी जीवन (Satisfactory life) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जीवन बहुत ही सन्तुष्टिप्रद होता है। वह अपनी हर गतिविधि से संतोष का अनुभव करता है। वह अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक स्तर से पूरी तरह सन्तुष्ट होता है।

9. भूख एवं नींद की संतुलित मात्रा (Balanced quantity of hunger and sleep) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की भूख एवं निद्रा की मात्रा संतुलित होती है। न तो उसमें भूख एवं नींद की अतिशयता होती है न ही न्यूनता।

प्रश्न 6. मानसिक स्वस्थ व्यक्ति एवं मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है?

(V. Imp.)

मानसिक अस्वस्थता के कारण समझाइए।

What is the difference between mentally healthy and mentally unhealthy person?

Describe the causes of mental illness.

उत्तर – मानसिक स्वस्थ व्यक्ति (Mentally Healthy Person) – ऐसा व्यक्ति जो प्रतिकूल परिस्थितियों (opposite conditions) का सामना धैर्यपूर्वक कर उनसे प्रभावपूर्ण समायोजन बिठा लेता है एवं एक सम स्वभाव, एक तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनन्दमय स्नायु विन्यास बनाये रखने की क्षमता रखता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है।

मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति (Mentally Ill Person) – ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में असफल रहता है मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति उदासीन एवं निराश होता है।

मानसिक अस्वस्थता के कारण (Causes of Mentally Illness) –

- 1. आनुवांशिक कारण (Genetic Causes)** – प्रथम व द्वितीय डिग्री रिश्तेदारों के मानसिक रोग से ग्रस्त रहने पर व्यक्ति का मानसिक रोग से ग्रस्त होने की संभावना अन्य के अपेक्षा अधिक होती है।
- 2. अत्यधिक तनाव (Excessive Stress)** – व्यक्ति का लंबे समय तक तनावयुक्त स्थिति में रहना मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है।

3. गुणसूत्रीय असामान्यता (Chromosomal Abnormality) — गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से कम या अधिक भी मानसिक रोग उत्पन्न कर देती हैं।

4. शारीरिक अस्वस्थता (Physical Illness) — लंबे समय तक रहने वाले रोग व्यक्ति को कुंठित कर मानसिक रोग को पैदा करते हैं।

5. यौन संबंधी कुंठाएं (Sex Related Frustration) — यदि व्यक्ति की यौन संबंधी इच्छाएं पूर्ण न हो पा रहीं हो तो ये व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न कर सकती हैं।

6. आर्थिक समस्याएं (Financial Problems) — व्यापार में घाटा या बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याएं भी व्यक्ति में मानसिक अस्वस्थता को पैदा करती हैं।

7. दमित एवं हीन भावनाएं (Depressed and Worth Feeling) — व्यक्ति की अंदरूनी दमित व हीन भावनाएं भी उसे मानसिक अस्वस्थ बना देती हैं।

8. पारिवारिक कुसमायोजन (Familiar Maladjustment) — परिवार के सदस्यों में लगाव न होना, माता-पिता में झगड़ा होना, वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट आदि पारिवारिक समस्याएं भी मानसिक अस्वस्थता को उत्पन्न करती हैं।

9. विभिन्न और्गेनिक कारण (Different Organic Causes) — नींद की कमी, कुपोषण, मस्तिष्काधात, अंतस्त्राव ग्रथियों में गड़बड़ी आदि समस्याएं भी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देती हैं।

10. मातृत्व अलगाव (Maternal Isolation) — बच्चे को अगर माँ का उचित प्यार, पालन-पोषण न मिले तो बच्चे की मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है।

प्रश्न 7. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान अथवा मानसिक आरोग्यता के बारे में लिखिए।

Write about mental hygiene.

उत्तर— परिभाषा (Definition) — मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है वह उपाय करना जिससे मनोरोग के आपत्तन (incidence) को, रोकथाम एवं शीघ्र उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके।

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांत (Principles of Mental Hygiene) —

1. रोकथाम के सिद्धांत (Principle of Prevention) —

- (a) कुसमंजन (Maladjustment) को उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान कर उन्हें दूर करना।
- (b) भावनात्मक एवं सामाजिक समायोजन (adjustment) के उपाय सुझाना।
- (c) द्वन्द्व एवं कुंठा का समाधान करने की विधि सिखाना ताकि घबराहट, तनाव एवं भावनात्मक विकार से बचा जा सके।

2. संरक्षण का सिद्धांत (Principle of Preservation) —

- (a) व्यक्ति की क्षमता का निर्माण करना एवं उसे प्रोत्साहन देना।
- (b) भावनात्मक परिपक्वता एवं स्थिरता लाना।
- (c) व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुरक्षा एवं संतुष्टि का अनुभव करना।
- (d) व्यक्ति को स्वस्थ मानसिक स्थिति प्राप्त करने में सहायता करना।

3. उपचार विधि के सिद्धांत (Principle of Curative Measure)

- (a) व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक रोग की भरपूर जानकारी देना।
- (b) मानसिक रोग एवं विकार के लिए उपलब्ध उपचार के बारे में ज्ञान देना।
- (c) मानसिक रोगी के पुर्णवासन (rehabilitation) एवं पुनर्समायोजन (readjustment) की विधि का सुझाव देना।

4. संतुलित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत (Principle of Balanced Development of the Personality) – यदि व्यक्ति का जीवन, व्यक्तित्व एवं मानसिक स्थिति संतुलित है तो वह स्वयं एवं वातावरण से सरलता से समायोजन बना सकता है।

5. सुखी एवं संतुष्ट जीवन का सिद्धांत (Principle of Happy and Contented life) – व्यक्ति में जीवन के प्रति सुखी एवं सकारात्मक सोच उसकी मानसिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है।

प्रश्न 8. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है?

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की क्या भूमिका होती है?

What is National Mental Health Programme (NMHP) ?

What is the role of nurse in mental health programme?

उत्तर – राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम [National Mental Health Programme (NMHP)] – सन् 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया व सन् 2003 में इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए जैसे- राजकीय मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण करना व मेडिकल कॉलेजों में मनोरोग विभाग को उन्नत बनाना।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य (Objectives of National Mental Health Programme) –

1. मानसिक रोगों को पहचानना व उनका उपचार उपलब्ध कराना।
2. भारत में प्रत्येक राज्य में मानसिक रोगियों को उचित उपचार व सहायता उपलब्ध कराना।
3. समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
4. सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी को प्रोत्साहित करना।

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका (Role of nurse in Mental Health Programme) – मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की निम्नलिखित भूमिका होती है –

1. नैदानिक भूमिका (Clinical Role) – लोगों में मानसिक रोगों को पहचानना व उनके उपचार में सहायता करना यह नर्स का समुदाय में मुख्य कार्य है।

2. अध्यापक भूमिका (Teacher Role) – नर्स लोगों के मध्य मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है तथा रोग की रोकथाम व उपचार के बारे में शिक्षा प्रदान करती है।

3. परामर्शदाता की भूमिका (Role of Counsellor) – समाज में उपस्थित मानसिक रोगियों व सुग्राही समूहों को रोग की रोकथाम व उपचार के लिए उचित परामर्श प्रदान करके मानसिक रोगों में कमी लाती है।

4. समायोजन की भूमिका (Role of Co-ordinator) – नर्स लोगों व स्वास्थ्य दल के दूसरे सदस्यों के मध्य समायोजन का कार्य करती है। इससे सुविधाओं की प्रभाविकता में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों को काम करने में आसानी होती है।

5. वकील की भूमिका (Role of Advocate) – नर्स कार्य करते समय कानून के विभिन्न पक्षों को प्रयोग करती है जिससे रोगी व स्वयं के अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सके तथा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है।

6. प्रशासक की भूमिका (Role of Administrator) – नर्स स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है तथा अन्य सहयोगी सदस्यों का मार्गदर्शन करती है। अतः नर्स समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों के नियमित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासक की भूमिका निर्भाती है।

7. सम्पर्ककर्ता की भूमिका (Contact Maker) – स्वास्थ्य दल में नर्स ही एक ऐसी कार्यकर्ता होती है जिसका सर्वप्रथम रोगी सामना करते हैं। अतः नर्स रोगी व उसके संबंधी, चिकित्सक व स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का कार्य करती है। रोगी के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही नर्स एवं रोगी का परस्पर संबंध हो जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए नर्स महत्वपूर्ण कड़ी है।

प्रश्न 9. संवेग का अर्थ व परिभाषा लिखिए।

Write down the meaning and definition of emotion.

उत्तर- अर्थ (Meaning) – Emotion (संवेग) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के *emovere* शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है – to excite, 'उत्तेजित करना'। संवेग एक जटिल अवस्था (complex state) होती है जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा को दर्शाता है। मानव-जीवन में संवेग (emotion) का विशेष महत्व है। क्रोध, भय, प्रेम, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख संवेग हैं।

परिभाषा (Definitions) –

वैलेन्टाइन के अनुसार- अनुभूति की गहनता को संवेग कहते हैं।

रास के अनुसार – संवेगात्मक दशाओं के वे रूप, जिनका संबंध भावना से रहता है, संवेग कहलाते हैं।

पी.टी. यंग के अनुसार – संवेग सम्पूर्ण जीवन का तीव्र उपद्रव है, जिसके अन्तर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव और आंगिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं।

प्रश्न 10. संवेग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Describe the main characteristics of emotion.

उत्तर- संवेग में कई विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, स्वास्थ्य व रोगों आदि पर अपना प्रभाव डालती हैं। कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं –

1. संवेग द्वारा व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा मिलती है।
2. संवेग का जन्म बाहरी उद्दीपक द्वारा किया जाता है।
3. संवेग द्वारा व्यक्ति अपने आकर्षण, विकर्षण एवं अनुभवों को व्यक्त करता है।
4. संवेग सार्वभौमिक होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति एवं समुदाय में पाए जाते हैं।
5. संवेगों की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है।
6. संवेग धनात्मक या प्रिय एवं ऋणात्मक या अप्रिय दोनों प्रकार के होते हैं।
7. संवेग व्यक्ति की बोध क्रिया को प्रभावित करता है।
8. संवेग द्वारा व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का आभास होता है।
9. यह व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के लिए प्रेरित करता है।
10. संवेग व्यक्ति की शक्ति को उत्तेजित करता है।
11. संवेग व्यक्ति में एक हलचल एवं अशांति को जन्म देते हैं।

प्रश्न 11. संवेग या संवेगात्मक परिस्थितियों के प्रकार का वर्णन कीजिए।

Describe types of emotion or emotional situation.

उत्तर- संवेग के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं –

1. धनात्मक संवेग (Positive emotion)
2. ऋणात्मक संवेग (Negative emotion)

1. धनात्मक संवेग (Positive emotion) – इस प्रकार के संवेग में सुख का भाव होता है। इसे सकारात्मक संवेग भी कहते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं–

- (a) स्नेह या प्रेम (Love or affection)
- (b) प्रसन्नता या हर्ष (Joy or happiness)
- (c) जिज्ञासा (Curiosity)
- (d) आशा (Hope)

2. ऋणात्मक संवेग (Negative emotion) – इस प्रकार के संवेग में दुख का भाव होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं–

- (a) डर / भय (Fear)
- (b) क्रोध (Anger)
- (c) ईर्ष्या (Jealousy)
- (d) घृणा (Hate)
- (e) उदासी एवं अवसाद (Sadness and depression)
- (f) शोक (Grief)
- (g) चिन्ता (Anxiety)
- (h) अपराध-बोध (Guilty conscience)
- (i) ऊब (Boredom)

उपरोक्त संवेगों में से कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है–

1. स्नेह या प्रेम (Love) – किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्रिया के प्रति लगाव या पसंद को प्रेम या स्नेह की अवस्था कहते हैं। यह एक सकारात्मक संवेग है, जो कि व्यक्ति के विकास एवं समायोजन में सहायक होता है।

2. प्रसन्नता या हर्ष (Joy or happiness) – किसी लक्ष्य की प्राप्ति होने पर प्रेरक संतुष्ट होते हैं, इस समय जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रसन्नता या हर्ष कहा जाता है। चेहरे पर मुस्कान, आँखों में चमक, नाचना, चेहरा खिल जाना आदि हर्ष के रूप हैं। यह एक सकारात्मक संवेग है।

3. क्रोध (Anger) – यह एक नकारात्मक संवेग है जो व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तथा व्यक्ति में कुण्ठा उत्पन्न करता है। किसी कार्य में बाधा आने, असफल होने पर, स्वतंत्रता में बाधा आ जाने पर व्यक्ति में क्रोध संवेग की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यक्ति नासमझी, विवेकहीनता व आक्रामक व्यवहार करने लगता है।

4. घृणा (Hate) – घृणा भी एक नकारात्मक संवेग है। किसी क्षेत्र में असफल रहने या निराश होने से घृणा संवेग उत्पन्न हो जाता है। जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति घृणा संवेग उत्पन्न होता है, व्यक्ति उससे दूर भागना चाहता है।

5. शोक (Grief) – व्यक्ति के जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि के खो जाने या छिन जाने पर शोक संवेग उत्पन्न होता है। शोक अवस्था के दौरान दिखाई देने वाले लक्षण हैं— आँखों से आंसू निकलना, व्यक्ति रोने लगता है, बेहोशी आती है।

6. भय (Fear) – इस स्थिति में व्यक्ति भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों से बचना चाहता है, यह व्यक्ति का एक आंतरिक अनुभव है। जैसे- अंधेरे में जाने से डर लगना।

7. ईर्ष्या (Jealousy) – यह भी एक नकारात्मक संवेग है, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से ईर्ष्या करने लगता है। इस संवेग में चिंता तथा आक्रमण की भावना रहती है। ईर्ष्या को स्पर्धा के रूप में भी देखा जाता है, जैसे दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, ओहदे, बुद्धिमता से स्पर्धा करना।

प्रश्न 13. कुसमायोजन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए।

Write short notes on maladjustment.

उत्तर— कुसमंजन (Maladjustment) — कुसमायोजन, व्यक्ति और उसके असंतुलन को दर्शाता है, जब व्यक्ति व्यक्तिगत लक्ष्य एवं सामाजिक वातावरण की माँग में समायोजन नहीं रख पाता है तो उसे कुसमंजन कहते हैं।

कुसमंजन के कारण (Causes of Maladjustment)–

1. सामाजिक कारण (Social factors)

- अधिक बच्चे (more children)
- विघटित परिवार (disorganized family)
- अभिभावक की मृत्यु (Death of parents)
- अभिभावक द्वारा बच्चों की उपेक्षा (neglect by parents)
- गृह क्लेश (family dispute)
- नैतिक शिक्षा की कमी (lack of moral education)
- दवा एवं शराब का व्यवसन (drug and alcohol abuse)

- पड़ोस एवं आसपास का अस्वस्थ वातावरण (unhealthy surroundings)
- बुद्धिमता की कमी (lack of intelligence)
- कम वजन या अत्यधिक वजन का होना (underweight or overweight)
- अशिक्षा एवं गरीबी (illiteracy and poverty)
- अत्यधिक अनुशासन एवं पाबंदी (strict discipline and restrictions)

2. मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological causes) –

- कुंठा (frustration)
- लिंग संबंधित अनुचित व्यवहार (sex inappropriateness)
- चिंता एवं तनाव (tension and stress)
- निराशावादी सोच (pessimistic thinking)

3. आर्थिक कारण (Economic causes) –

- गरीबी एवं बेरोजगारी (poverty and unemployment)
- रहन सहन के मापदंड का बढ़ना (high standards of living)
- आर्थिक संसाधनों की कमी (lack of economical resources)

4. अन्य कारण (Other causes) –

- अनुवांशिकता (Hereditary)
- शारीरिक विकृति (Physical disability)
- असुरक्षा का भाव (Insecurity)
- भावनात्मक अस्थिरता (Emotional instability)
- प्रतिकूल वातावरण (Unfavorable environment)
- प्रेरणाओं एवं रूचियों का संघर्ष एवं विशेष (Resistance or struggle for aspiration and interest)

प्रश्न 14. समायोजन क्या है? समायोजित व्यक्ति के लक्षण या विशेषताएं लिखिए। समायोजन की विधियां लिखिए।

What is adjustment? Write down the characteristics of well adjusted person and methods of adjustment.

उत्तर- समायोजन का अर्थ है विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना।

मैकाइवर एवं पेज के अनुसार- समायोजन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण में सहयोग की भावना विकसित करता है।

समायोजित व्यक्ति के लक्षण (Characteristics of a well adjusted person) –

1. व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी होती हैं एवं वह संतुष्ट होता है।
2. व्यक्ति संतुलित जीवन व्यतीत करता है।
3. वह स्वयं एवं दूसरों को आदर देता है।
4. उसके जीवन में असली लक्ष्य होते हैं।

5. वह अपनी ताकत एवं कमज़ोरी के प्रति अवगत रहता है।
6. वह अच्छी एवं बुरी दोनों परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम रहता है।
7. वह अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है।
8. समायोजित व्यक्ति के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं तथा वह साहसपूर्ण व उचित ढंग से समस्याओं का सामना करता है।

समायोजन की विधियाँ (Methods of Adjustment) — व्यक्ति स्वयं एवं अपने आस-पास के वातावरण में समायोजन बनाने के लिए निम्न विधियों को अपनाता है—

1. अभ्यास बढ़ा कर या प्रयत्न में सुधार कर (**Increasing trials or improving efforts**) — इस विधि में व्यक्ति को समस्या या बाधा होने पर, वह बार-बार प्रयत्न कर उस समस्या या बाधा को दूर करने की कोशिश करता है या अपनी व्यवहारिक प्रक्रिया में बदलाव लाता है।
2. प्रतिष्ठा के संकटकारी उपाय अपनाकर (**Adopting compromising means**) — अपने एवं वातावरण में समायोजन बनाये रखने के लिए व्यक्ति या तो अपने लक्ष्य की दिशा बदल लेता है या अपने लक्ष्य को प्रतिस्थापित (substitute) कर लेता है।
3. प्रत्याहार एवं आज्ञाकारिता (**Withdrawal and submission**) — इस विधि में व्यक्ति अपनी हार स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर देता है।
4. अप्रत्यक्ष विधि (**Indirect method**) — इस विधि में व्यक्ति स्थिति को उसी तरह देखता है, जिस तरह वह देखना चाहता है।

प्रश्न 15. तनाव से आप क्या समझते हैं? तनाव के स्रोत लिखिए।

What do you understand with stress? Write sources of stress.

उत्तर- जब कोई व्यक्ति जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है तब वह तनाव या चिंता में रहने लग जाता है, जोकि एक शारीरिक प्रक्रिया है। किन्तु जब इस तनाव व चिन्ता पर व्यक्ति का नियंत्रण न रहे और बराबर मानसिक अन्तर्दृढ़ (conflict) चलता रहे तो यह तनाव व चिंता एक मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार व विचार सकारात्मक (positive) से ज्यादा नकारात्मक (negative) की तरफ बढ़ने लगते हैं।

तनाव की परिभाषाएं (Definitions of Stress) —

तनाव एक चिन्ता उत्पन्न करने वाली अवस्था है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य (adjustment) क्षमताओं से ज्यादा जिम्मेदारियों व घटना का कारण बनती है।

—Richard Lazarus

या

तनाव एक मानसिक स्थिति है, जिसे व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा होने पर महसूस करता है।

तनाव शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का माध्यम होता है।

तनाव के स्रोत (Source of Stress) — तनाव कारकों को मुख्य रूप से चार भागों में विभक्त किया गया है—

1. संकटकालीन (Crisis/Catastrophe factors)
2. मुख्य जीवन-घटनाएँ (Major life-events)
3. दैनिक समस्याएँ / सूक्ष्म तनाव कारक (Daily hassles/Micro stress factor)
4. परिवेशी तनावकारक (Ambient stress factor)

प्रश्न 17. तनाव को काबू करने के उपाय लिखिए।

Write the measures to control stress.

उत्तर- तनाव को कम करने में प्रयुक्त युक्तियाँ (Techniques used to reduce the Stress) – तनाव को कम

करने में निम्नलिखित युक्तियाँ (techniques) काम आ सकती हैं–

1. ध्यान लगाकर/एकाग्र होकर (Meditation)
2. पूर्ण सचेत होकर (Mindfulness)
3. उपाय हेतु संगीत सामंजस्य (Music as a coping strategy)
4. योग-निद्रा (Yoganidra)
5. ललित साहित्य पढ़ना (Belle-lettres)
6. प्रार्थना करना (Prayer)
7. विश्राम तकनीकें (Relaxation techniques)
8. हास्य क्रियाएं (Humour)
9. शारीरिक व्यायाम (Physical exercise)
10. प्राकृतिक वातावरण में समय व्यतीत करना (Spending time in nature)
11. प्राकृतिक औषधियों का उपयोग (Natural medicine/herbal medicine)
12. समय प्रबंधन (Time management)
13. योजना व निर्णय करना/बनाना (Planning and decision-making)
14. द्वन्द्व समाधान (Conflict resolution)
15. सामाजिक क्रियाएं (Social activities)

प्रश्न 18. अन्तर्द्वन्द्व या संघर्ष का अर्थ लिखकर परिभाषित करें।

Write down the meaning and definition of conflict.

उत्तर- अन्तर्द्वन्द्व का अर्थ (Meaning of Conflict) – अन्तर्द्वन्द्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द *Conflictus*

से हुई है। इसका अर्थ होता है, एक साथ टकराना। जब एक ही समय में कई अभिप्रेरक उत्पन्न होकर अपनी-अपनी सन्तुष्टि चाहते

हैं तो ऐसी परिस्थितियों में अभिप्रेरकों (motives) के बीच द्वन्द्व (conflict) या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी स्थिति को अन्तर्द्वन्द्व कहते हैं।

परिभाषाएँ (Definitions)

रुच के अनुसार – जब व्यक्ति को दो लक्ष्यों में से किसी एक को चुनना होता है या एक ही लक्ष्य के प्रति व्यक्ति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होते हैं तो इससे संघर्ष उत्पन्न होता है।

कर्ट लेविन के अनुसार – संघर्ष व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी और समान शक्ति प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं।

प्रश्न 19. अन्तर्द्वन्द्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए।

Describe the main types of conflict.

उत्तर – प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक (social psychologist) कर्ट लेविन ने अभिप्रेरकों (motives) के संघर्ष को निम्नलिखित भागों में बांटा है—

1. **उपागम-उपागम संघर्ष (Approach-Approach Conflict)** – जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक लक्ष्य (positive goal) होते हैं और वह इन दोनों की प्राप्ति एक साथ ही कर लेना चाहता है, तो इससे उस व्यक्ति में एक विशेष संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे उपागम-उपागम संघर्ष कहा जाता है।

प्रायः इस तरह के संघर्षों का समाधान व्यक्ति आसानी से कर लेता है, क्योंकि इन दोनों में महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लेने का निश्चय कर लेने के बाद वह दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है।

2. **परिहार-परिहार संघर्ष (Avoidance-Avoidance Conflict)** – इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति के सामने दो ऋणात्मक लक्ष्य (negative goal) होते हैं और उसे इन दोनों लक्ष्यों में से किसी एक को अस्वीकार करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उसमें परिहार-परिहार संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस तरह के संघर्ष से बहुत ही तीव्र सांवेदिक (severe emotive) व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति की समायोजन शक्ति (adjustment power) कम हो जाती है तथा वह अनिर्णायिकता की स्थिति में चला जाता है। इस तरह के द्वन्द्व के समाधान हेतु व्यक्ति दोनों ऋणात्मक लक्ष्यों को छोड़कर हट जाता है।

3. **उपागम-परिहार अन्तर्द्वन्द्व (Approach-Avoidance Conflict)** – इस प्रकार के अन्तर्द्वन्द्व तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति के सामने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लक्ष्य हो। व्यक्ति धनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है लेकिन इस धनात्मक लक्ष्य के कुछ ऋणात्मक परिणाम भी होते हैं जिनसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है। उपागम-परिहार अन्तर्द्वन्द्व सामान्यतः निम्नलिखित अभिप्रेरकों (motives) के बीच अधिक पाया जाता है—

(a) स्वतन्त्रता बनाम निर्भरता अभिप्रेरक (Independence versus Dependence Motive)

(b) घनिष्ठता बनाम अलगाव (Intimacy versus Isolation)

(c) सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा (Cooperation versus Competition)

(d) आवेगों की अभिव्यक्ति बनाम नैतिक मान (Impulse Expression versus Moral Standards)

4. **बहुउपागम-परिहार संघर्ष (Multiple Approach-Avoidance Conflict)** – इस तरह के संघर्ष में दो या दो से अधिक धनात्मक तथा ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति व्यक्ति एक ही समय में करना चाहता है।

प्रश्न 20. अन्तर्द्वन्द्व के प्रमुख कारण लिखिए।

Write down the main reasons of conflict.

उत्तर – अन्तर्द्वन्द्व के प्रमुख कारण या स्रोत निम्न प्रकार हैं—

1. भौतिक स्रोत (Physical Sources) –

- (a) खराब आवासीय व्यवस्था
- (b) भोजन की कमी
- (c) पालन-पोषण में कमी
- (d) स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी
- (e) आरामदायक सुविधाओं में कमी

2. जैविक स्रोत (Biological Sources) –

- (a) यौन-इच्छाओं की पूर्ति न होना
- (b) यौन-क्षमताओं में कमी

3. सामाजिक स्रोत (Social Sources) –

- (a) रीति-रिवाज
- (b) सामाजिक प्रतिमान
- (c) परम्पराएं
- (d) सामाजिक आदर्श

4. संवेगात्मक स्रोत (Sensory Sources) –

- (a) अप्रसन्नता
- (b) दुख
- (c) क्रोध
- (d) ईर्ष्या
- (e) हीनभावना
- (f) व्यक्तिगत असफलता

5. आर्थिक स्रोत (Economical Sources) –

- (a) कमज़ोर पारिवारिक स्थिति
- (b) वेरोजगारी
- (c) व्यवसाय में घाटा
- (d) आर्थिक प्रतिस्पर्धा

प्रश्न 21. कुण्ठा या निराशा का अर्थ लिखकर परिभाषित करें।

(V. Imp.)

Write down the meaning and definition of frustration.


उत्तर – कुण्ठा का अर्थ (Meaning of Frustration) – कुण्ठा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द *Frustra* से हुई है। इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा आना। आज के समय में व्यक्ति को दैनिक जीवन-यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करते समय कभी-कभी विशेष समस्याएँ आ जाती हैं, जिनका वह समाधान नहीं कर पाता, फलस्वरूप वह कुण्ठा (frustration) का शिकार हो जाता है।

कुण्ठाग्रस्त (frustrated) व्यक्ति के मन में सांवेदिक अस्थिरता (emotional instability) आ जाती है और उसमें निराशा की भावना आ जाती है।

कुण्ठा की परिभाषा (Definition of Frustration) –

मन (Munn) के अनुसार – कुण्ठा जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणायुक्त व्यवहार की सन्तुष्टि के जीवन में असम्भव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है।

कुण्ठा उत्पन्न होने से व्यक्ति में अवसाद (depression), चिन्ता (anxiety), डर (fear), क्रोध (anger), आदि उत्पन्न हो जाते हैं।



प्रश्न 22. कुण्ठा या निराशा के कारण या स्रोत लिखिए।

(Imp.)

Write down the sources of frustration.

उत्तर – कुण्ठा के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं –

1. बाह्य कारक (External Factors)

- (a) **व्यक्तिगत कारक (Individual Factors)** – व्यक्तियों में शारीरिक अक्षमता के कारण, जैसे – अंधापन, बहरापन, लंगड़ापन, हकलाना, आदि कुछ असाध्य बीमारियां, कुछ विशिष्ट क्षमताओं की कमी तथा अपर्याप्त स्व-नियंत्रण आदि के कारण कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं और अयोग्यताओं के कारण सफलता नहीं मिलती है।
- (b) **आर्थिक कारक (Economical Factors)** – कभी-कभी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी के कारण कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वह अपनी व अपने परिवार की अपेक्षित आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता है।
- (c) **पर्यावरणीय कारक (Environmental Factors)** – कभी-कभी व्यक्ति अपने पर्यावरण सम्बन्धी बाधा के कारण अपने निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, जो कुण्ठा उत्पन्न करती है। पर्यावरणीय कारकों में बाढ़, सूखा, अकाल, सुनामी, महामारी, आदि हैं, जो व्यक्ति के लक्ष्य-प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- (d) **सामाजिक कारक (Social Factors)** – समाज के वे कारक या नियम जो व्यक्ति की लक्ष्य-प्राप्ति में बाधा

उत्पन्न करते हैं, वे भी व्यक्ति की कुण्ठा के सहायक होते हैं। इन सामाजिक कारकों में समाज की परम्पराएँ, रीति-रिवाज, रुद्धियां, प्रथाएं, आदि प्रमुख हैं।

- (e) **राजनीतिक कारक (Political Factors)** – व्यक्ति में कुण्ठा पैदा करने वाला एक कारक राजनीतिक स्तर पर उत्पन्न भी है, जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है।
- (f) **नैतिकता एवं आदर्शवादिता (Morality and Idealism)** – कई बार व्यक्ति के लक्ष्य-प्राप्ति में उसको नैतिकता व आदर्शवादिता भी रुकावट पैदा कर देती है और वह कुण्ठा का शिकार हो जाता है।

2. आन्तरिक कारक (Internal Factors) – आंतरिक कारक वे हैं जो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के अन्दर कुण्ठा उत्पन्न करते हैं—

- (a) तनाव (Stress)
(b) प्रतिस्पर्धा (Competition)
(c) निम्न बौद्धिक स्तर (Low intelligence level)
(d) क्षमता से अधिक आकांक्षा (Aspiration level more than ability)

प्रश्न 23. कुण्ठा को दूर करने के उपाय लिखिए।

(Imp.)

Write down the measures to overcome on frustration.

अथवा

कुण्ठा से बाहर निकलने के उपाय समझाइए।

Explain the measures to overcome the frustration.

उत्तर— कुण्ठा पर निम्न रूप से काबू पाया जा सकता है—

1. **लक्ष्य-प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास** – यदि व्यक्ति को अपने लक्ष्य-प्राप्ति में किसी बाधा का सामना करना पड़े तो उस पर पहले की अपेक्षा और अधिक जोश व मेहनत से काम करे, सफलता अवश्य मिलेगी, कुण्ठाग्रस्त नहीं होगा।

2. **अपनी क्षमतानुसार लक्ष्यों का परिवर्तन** – यदि व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार किसी लक्ष्य को चुनता है या पहले चुने गये अपनी क्षमता से बड़े लक्ष्य को अपनी वर्तमान क्षमतानुसार परिवर्तित कर लेता है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी, कुण्ठा से दूर रहेगा।

3. **लक्ष्य-प्राप्ति हेतु प्रयासरत** – अपने चुने गये लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को सदा प्रयासरत रहना चाहिए, उसमें नये प्रयास और युक्ति से काम ले, नयी योजना का निर्माण करे अन्ततः सफल अवश्य होगा, कुण्ठा नहीं आयेगी।

4. **परिस्थितियों से समझौता** – यदि व्यक्ति किसी परिस्थिति से कुण्ठा का शिकार होता हो तो उसे या तो नयी परिस्थिति तलाश करनी चाहिए या फिर उन वर्तमान परिस्थितियों से समझौता करे, कुण्ठाग्रस्त नहीं होगा।

5. **रक्षात्मक प्रतिक्रियाएँ** – कभी-कभी कुण्ठा से बचने के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करना ही लाभदायक होता है। जैसे— प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, तादात्मीकरण।

6. **पलायन** – किसी लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहने पर व्यक्ति उसे छोड़ देता है या पलायन कर जाता है। जैसे एक समूह में समायोजित न होने पर उस समूह को छोड़कर दूसरे समूह में चले जाना।

7. **अधीनता** – प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति परिस्थितियों से लगातार संघर्ष करते हुए भी असफलता को ही प्राप्त करता है एवं कुण्ठा का शिकार हो जाता है इसलिए कभी-कभी परिस्थितियों के सामने समर्पण कर देने भी लाभदायक होता है। यदि आप अपने सामने वाले व्यक्ति से युद्ध करने में असमर्थ हैं तो ऐसी स्थिति में अधीनता स्वीकार करने में ही लाभ है।

प्रश्न 24. मनोरचनाएं क्या हैं?

What are the mental mechanism?

उत्तर- मनोरचनाएं अथवा रक्षायुक्तियां (defence mechanism) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिग्मण्ड फ्रायड ने किया था। फ्रायड के अनुसार ये अचेतन प्रक्रिया (unconscious process) हैं जो व्यक्ति की तनाव व चिन्ता से रक्षा करती हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के मन में जब कभी भी Id या Ego या Super ego के साथ संघर्ष होता है तब तनाव तथा उद्गग्पूर्ण अवस्था उत्पन्न होती है। मनोरचनाओं/रक्षायुक्तियों का प्रयोग कर व्यक्ति तनाव, बेचैनी तथा चिन्ता को कम करने का प्रयास करता है।

परिभाषाएं (Definitions) –

कोलमैन के अनुसार – मनोरचनाएं व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के प्रकार हैं, जिनसे व्यक्ति में उपयुक्तता की भावना बनी रहती है तथा इनकी सहायता से व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से दबावपूर्ण परिस्थितियों से सामना करता है, बहुधा ये प्रतिक्रियाएं चेतन तथा वास्तविकता को विकृत करने वाली होती हैं।

द्वातन के अनुसार – रक्षायुक्तियां वह चेतन और अचेतन प्रक्रियाएं हैं, जिनके द्वारा आन्तरिक संघर्ष कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है।

प्रश्न 25. मानसिक तंत्र क्या है? इसके प्रकार की सूची भी बनाइए।

Define defence mechanism and list down the types of defence mechanism.

उत्तर- **मानसिक तंत्र (Defence Mechanism)** – यह एक ऐसी तकनीक है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी चिंता व तनाव को कम करने का प्रयास करता है एवं इसके द्वारा वह अपने द्वंद्व को सुलझाने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं मानसिक विकास में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उन्हीं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है—

**सकारात्मक मानसिक तंत्र
(Positive Defence Mechanism)**

- क्षतिपूर्ति (Compensation)
- सुधार (Undoing)
- समझौता (Compromise)
- दमन (Repression)
- इंकार (Denial)
- प्रतिस्थापन (Substitution)
- युक्तिकरण (Rationalization)
- सुधार (Undoing)
- समरूपता (Identification)
- परिष्करण (Sublimation)

**नकारात्मक मानसिक तंत्र
(Negative Defence Mechanism)**

- कल्पना (Fantasy)
- प्रत्याहार (Withdrawal)
- प्रक्षेपण (Projection)
- मनोविच्छेद (Dissociation)
- स्थिरीकरण (Fixation)
- रूपांतरण (Conversion)
- शमन (Suppression)
- प्रतिक्रिया निर्माण (Reaction formation)
- विस्थापन (Displacement)
- प्रतिगमन (Regression)

प्रश्न 26. मनोरचनाओं के क्या महत्व हैं?

What are the importance of mental mechanism?

उत्तर- मनोरचनाओं का प्रयोग दैनिक जीवन में सामान्य व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है, परन्तु इसकी मात्रा सीमित व

समाजसम्मत होती है। किन्तु जब इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तब मनुष्य अपनी self-image खोकर मानसिक रोग की ओर अग्रसर हो जाता है। सामान्यतया मनोरचनाओं का प्रयोग तनाव, चिन्ता या संकट के समय में सामंजस्य स्थापित करने में किया जाता है। इसके महत्व निम्न हैं—

1. सामान्य मनुष्य अपने तनाव, उद्देश व चिन्ता से अहम् की रक्षा कर व्यक्तित्व सन्तुलन बनाए रखता है।
2. इनके सीमित प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखता है।
3. मनोरचनाओं के प्रयोग द्वारा मनुष्य समस्या-निवारण क्षमता व समायोजन में वृद्धि करता है।
4. कुछ मनोरचनाएं सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण में सहायक होती हैं।
5. मनोरचनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं एवं अपराध बोध की भावनाओं के साथ समझौता करता है।
6. यह व्यक्ति के अहम् (ego) की बढ़ी हुई चिन्ता व तनाव से बचाती है।
7. रक्षायुक्तियों द्वारा कुण्ठाजनित तनाव, निराशा, असफलता तथा चिन्ता की प्रबलता में कमी, आत्मसम्मान एवं अहं-रक्षा (ego-defence) तथा व्यक्तित्व सन्तुलन में सहायता मिलती है।

प्रश्न 27. अभिवृत्ति या दृष्टिकोण से क्या आशय है? इसकी परिभाषा लिखिए।

What is attitude? Write down its definition

उत्तर- **अभिवृत्ति (Attitude)** — यह लैटिन भाषा के शब्द *aptis* से बना है जिसका अभिप्राय है— “तत्परता एवं मानसिक झुकाव”। इस प्रकार अभिवृत्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ “व्यवहार करने की तत्परता” या “मानसिक झुकाव”।

अभिवृत्ति एक मानसिक तत्परता, संगठन अथवा विन्यास (structure) है, जिसमें प्रेरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जिसके कारण व्यक्ति के चारों ओर की वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा समूहों की ओर उसकी सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया निर्देशित होती है।

दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वातावरण के विभिन्न पक्षों (various aspects of environment) के प्रति किसी व्यक्ति का भाव (feelings), विचार (thoughts) एवं कार्य करने की वृत्ति या योग्यता ही अभिवृत्ति (attitude) कहलाती है।

परिभाषाएं (Definitions) —

जेम्स ड्रेवर के अनुसार — अभिवृत्ति मत, रुचि या उद्देश्य की एक लगभग स्थायी तत्परता या प्रवृत्ति है जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा एवं उचित प्रक्रिया की तैयारी निहित होती है।

सेकर्ड के अनुसार — अच्छे वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के नियंत्रित भाव, विचार एवं कार्य करने की पूर्व स्थिति ही अभिवृत्ति कहलाती है।

कैम्पबेल के अनुसार — एक सामाजिक अभिवृत्ति सामाजिक वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया में निरंतर है।

प्रश्न 28. अभिवृत्ति या दृष्टिकोण की विशेषताएँ, तत्व व कार्य लिखिए।

Write characteristics, components and functions of attitude.

उत्तर- **दृष्टिकोण की विशेषताएँ**— दृष्टिकोण की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. दृष्टिकोण किसी व्यक्ति, वस्तु एवं कार्य के प्रति विशिष्ट योग्यता तथा क्षमता है।
2. दृष्टिकोण व्यक्ति का एक प्रकार का विचार या भावना है।
3. दृष्टिकोण जन्मजात नहीं होता है, यह वातावरण से प्रभावित होता है।
4. दृष्टिकोण में असमानता पायी जाती है।

5. दृष्टिकोण अच्छा या बुरा एवं सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है।
6. दृष्टिकोण आवश्यकता, प्रेरणा एवं संवेगों से संबंधित होता है।
7. दृष्टिकोण अनेक कारकों के योग से बनता है।
8. दृष्टिकोण व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष दिशा प्रदान करता है।

दृष्टिकोण के कार्य (Functions of Attitude) –

1. दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करता है।
2. दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्ति के भावों और विचारों को आसानी से समझा जा सकता है।
3. अभिवृत्ति व्यक्ति के अहम का बचाव करती है। अभिवृत्ति से ही व्यक्ति को आंतरिक ढंगों से मुक्ति मिलती है।
4. अभिवृत्ति व्यक्ति के मूल्यों को अभिव्यक्त करती है।

प्रश्न 29. आदत का अर्थ लिखकर परिभाषित करें।

Write meaning of habit and define it.

उत्तर – अर्थ (Meaning) – Habit (आदत) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द *habitus* से हुई है जिसका अर्थ किसी चीज को प्राप्त करना है।

आदतें अनुभवों एवं अभ्यास का प्रतिफल हैं। जब भी किसी विशेष क्रिया को बार-बार उसी रूप में दोहराया जाता है तो उसे संपादित करना सहज क्रिया की तरह स्वचालित सा ही हो जाता है। उसके ऐसा होने पर यही कहा जाता है कि अब उसको ऐसा करने की आदत हो गयी है।

परिभाषाएँ (Definitions) –

रायबर्न के अनुसार – आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से सम्पन्न होता है।

गैरेट के अनुसार – जो व्यवहार बार-बार दोहराए जाने से स्वचालित हो जाते हैं, उसे आदत कहते हैं।

निष्कर्ष रूप में स्पष्ट है कि आदतें अनुभवों तथा अभ्यासों का ही परिणाम हैं।

प्रश्न 30. आदत निर्माण के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए।

Explain the advantages and disadvantages of habit formation.

उत्तर – आदत से लाभ (Advantages of Habits) –

1. आदत व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है।
2. आदत से समय व ऊर्जा की बचत होती है।
3. आदत के बन जाने पर दैनिक जीवन के कार्यों में सुगमता आ जाती है।
4. आदतें व्यक्ति के जीवन को नियमित बनाती हैं।
5. आदत बन जाने पर व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य में गलतियाँ नगण्य हो जाती हैं।
6. अच्छी आदत से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है।
7. आदत से कार्य संपादन करने में समय कम लगता है।

आदत से हानियाँ (Disadvantages of Habits) –

1. नशीले पदार्थ, मद्यपान आदि आदतों से शरीर व सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुँचती है।

2. आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसी आदतों के कारण व्यक्ति कुसमायोजन का शिकार हो जाता है।
3. नकारात्मक आदतों से व्यक्ति को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है।

प्रश्न 31. अच्छी आदतों का नर्स के लिए क्या महत्व है?

What is the importance of good habits for nurse?

उत्तर- दक्षतापूर्ण नर्सिंग कार्य करने हेतु नर्सों को कुछ निश्चित आदतों का निर्माण करना चाहिए, ताकि समय एवं ऊर्जा में बचत की जा सके। इन आदतों से उसके व्यक्तित्व, संकल्प-शक्ति, चरित्र एवं अन्य आदतों का भी विकास होता है, फलस्वरूप वह अपने कार्य की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ा सकती है।

1. नर्स को नियंत्रित दिनचर्या की आदत का निर्माण करना चाहिए, जैसे— समय पर उठना, खाना, कार्य पर जाना, सोना, आदि।
2. नर्स को अपनी व्यक्तिगत साफ-सफाई (personal hygiene) की आदत बनानी चाहिए तथा सदा साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए।
3. नर्स को अनुशासित जीवन जीना चाहिए ताकि वह कॉलिज एवं अस्पताल की अनुशासित दिनचर्या का पालन कर सके।
4. नर्स को कठिन मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम के साथ शीघ्र प्रक्रिया की आदत डालनी चाहिए।

अन्तः: यह कहा जा सकता है कि नर्स मरीजों की आदत का मूल्यांकन करके उसमें परिवर्तन ला सकती है। इस हेतु एक सहानुभूति (sympathy) एवं धीमी पहुंच (approach) का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मरीजों की वर्षों पुरानी आदतों को मात्र कुछ घट्टों या दिनों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मरीजों के साथ क्रोधित न होकर धैर्यशील व्यवहार करना चाहिए।

प्रश्न 1. सीखना या अधिगम से क्या आशय है? इसे परिभाषित करें।

(V. Imp.)

What is learning? Define it.

उत्तर- अधिगम (Learning) एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया (process) है, इसका अर्थ “सीखना” यानी व्यवहार-परिवर्तन है। सीखना एक व्यापक शब्द है, यह किसी स्थिति के प्रति सक्रिय सार्वभौमिक (universal) प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारम्भ करता है और मृत्युपर्यन्त कुछ न कुछ सीखता ही रहता है।

सीखने के लिए किसी विशेष स्थान या स्थिति की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति कहीं भी किसी भी समाज में किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। हाँ ये अवश्य है कि सीखने की गति आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है।

परिभाषाएँ (Definitions) –

क्रो एवं क्रो के अनुसार – अधिगम या सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है।

चार्ल्स ई. स्किनर के अनुसार – व्यवहार में अत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम या सीखना है।

जे.पी. गिलफोर्ड के अनुसार – व्यवहार के कारण, व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना है।

गेट्स व अन्य के अनुसार – अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम है।

प्रश्न 2. सीखने या अधिगम की प्रमुख विशेषताएँ कौन सी हैं?

(Imp.)

What are the main characteristics of learning?

उत्तर- अधिगम (Learning) की निम्नलिखित विशेषताएं (प्रकृतियां) हैं—

1. **सीखना जीवन-पर्यन्त चलता है (Learning is Lifelong)** – अधिगम (सीखना) एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सतत रूप से जीवन-पर्यन्त चलती रहती है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारम्भ कर देता है और मृत्युपर्यन्त कुछ न कुछ सीखता रहता है।

2. **सीखना सार्वभौमिक है (Learning is Universal)** – संसार के सभी स्थानों पर सभी जीवित प्राणियों में सीखने का गुण पाया जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त पशु-पक्षियों में भी यह विशेषता पायी जाती है।

3. **सीखना अनुकूलन है (Learning is Adaptation)** – वातावरण के साथ समायोजन (adaptation) करने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार की क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं तथा व्यवहार करने के नए तरीके सीखने पड़ते हैं। सीखने के बाद ही व्यक्ति नवीन परिस्थितियों के साथ अपने-आपको समायोजित (adjustment) कर पाता है।

4. **सीखना अनुभवों का संगठन है (Learning is Organisation of Experiences)** – व्यक्ति अपने अनुभवों से ही नयी बातें सीखता है। जैसे-जैसे व्यक्ति को नये-नये अनुभव होते जाते हैं, वह उन अनुभवों को संगठित करता जाता है तथा इन्हीं के आधार पर वह भविष्य में व्यवहार करता है।

5. **सीखना परिवर्तन है (Learning is Change)** – अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है अर्थात्

व्यक्ति अपने अनुभवों द्वारा अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन लाता है।

6. सीखना उद्देश्यपूर्ण है (Learning is Purposeful) – व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही किसी कार्य का सीखता है। उद्देश्य जितना प्रबल होगा, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होगी।

7. सीखना वातावरण की उपज (Learning is Product of Environment) – व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार सीखता है। वातावरण का अधिगम अनुभवों (learning experiences) पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

उपरिलिखित के अतिरिक्त –

- सीखना खोज करना है। (*Learning is discovery*)
- सीखना विवेकपूर्ण एवं सृजनशील है। (*Learning is ethical and creative*)
- सीखना क्रियाशील है। (*Learning is functional*)
- सीखना एक समस्या-समन्वय की प्रक्रिया है। (*Learning is problem-solving process*)
- सीखना व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। (*Learning influences the behaviour of person*)
- सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। (*Learning is mental process*)

प्रश्न 3. सीखने के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

Describe types of learning.

उत्तर – सीखने या अधिगम के निम्न मुख्य प्रकार हैं –

1. गत्यात्मक अधिगम (Motor Learning) – यह अधिगम छोटे शिशुओं में होता है। इसमें बालक शरीर के संचालन और गति पर नियंत्रण करना सीखता है।

2. बौद्धिक अधिगम (Intellectual learning) – जब बालक का मानसिक विकास होता है तो उसमें तर्क की शक्ति बढ़ने लगती है। बालक में जिस ज्ञान का विकास तार्किक ढंग से होता है, वह बौद्धिक कहलाता है।

3. साहचर्यात्मक अधिगम (Associative learning) – साहचर्यात्मक अधिगम संकल्पनात्मक अधिगम को आगे बढ़ावा में मद्द करता है। व्यक्ति में नयी संकल्पनाएं (concepts) तथा नये विचार तब ही कारगर होते हैं, जबकि साहचर्य के द्वारा व्यक्ति की पूर्व धारणाओं को बल मिलता है।

4. संकल्पनात्मक अधिगम (Conceptual learning) – जब व्यक्ति की मानसिक क्रिया परिपक्व हो जाती है, तभी उसमें संकल्पनात्मक विकास होता है। इस प्रकार के अधिगम में ही व्यक्ति में तर्क, चिन्तन, कल्पना आदि का विकास होता है।

5. अभिवृत्यात्मक अधिगम (Attitudinal learning) – बालक जब व्यवहार का अर्जन करता है, तब वह अभिवृत्य को भी ग्रहण करता है। जब बालक की किसी कार्य, वस्तु या विचार के प्रति धारणा बन जाती है, वह बालक के व्यवहार का निर्धारण करती है।

6. मूल्यांकन अधिगम (Appreciation learning) – जब व्यक्ति की संकल्पना ज्ञान की ओर बढ़ती है तब उसमें प्राप्त ज्ञान या अनुभव के गुण-दोषों की विवेचना करने की क्षमता विकसित हो जाती है।

7. संवेदन गति अधिगम (Sensor-motor learning) – संवेदन गति अधिगम में बालक विभिन्न प्रकार के कौशल (skills) अर्जित करता है, जिससे उसमें दैनिक व्यवहार में अनेक प्रकार की कुशलता आती है।

8. समस्या-समाधान अधिगम (Problem-solving learning) – समस्या समाधान अधिगम की उच्च अवस्था है। इस अधिगम में व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है। समस्या समाधान अधिगम के कारण ही आज मनुष्य जारी प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है।

9. प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम (Trial and Error Learning) – किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसे बार-बार प्रयत्न करना पड़ता है तथा उस कार्य करने के लिए गलती (त्रुटि) भी होती है। बार-बार प्रयत्न व गलती करने की प्रक्रिया से सीखने को प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना कहते हैं।

प्रश्न 4. सीखने के प्रमुख नियम कौन से हैं? विस्तार से समझाइए।

What are the main rules of learning? Describe in detail.

उत्तर- थार्नडाइक (Thorndike) ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन 1820 में किया था, जिनको दो वर्गों में बांटा गया है—

A. मुख्य नियम (Main Law)

B. सहायक नियम (Subordinate Law)

A. मुख्य नियम (Main Law) — मुख्य नियम में तीन नियम शामिल हैं—

1. **तत्परता का नियम (Law of Readiness)** — तत्परता के नियम में तीन परिस्थितियाँ विद्यमान होती हैं—

(a) जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तो सीखना आनंददायक होता है।

(b) जब कोई व्यक्ति कार्य सीखने के लिए तैयार न हो किन्तु उसे जबरदस्ती सिखाया जाए। ऐसी स्थिति में उसे सिखाना खीझ उत्पन्न करने वाला होता है।

(c) जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हो किन्तु उसे कार्य सीखने न दिया जाए तो ऐसी स्थिति असंतोष व खीझ उत्पन्न करती है।

अतः थार्नडाइक (Thorndike) ने स्पष्ट किया कि जब तक मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होते तब तक न तो वे स्वयं सीख सकते हैं और न कोई दूसरा उन्हें सिखा सकता है, अतः आवश्यक है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, तत्परता ध्यान केन्द्रित करने में सहायता करती है।

2. **अभ्यास का नियम (Law of Exercise)** — इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार-बार करने अथवा दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या न दोहराने से वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। इसलिए इसे थार्नडाइक ने उपयोग एवं अनुपयोग का नियम भी कहा। अतः बच्चे को जो कुछ सिखाया जाए, उसकी आवृत्ति की जाए और समय-समय पर उसका उपयोग किया जाए।

3. **प्रभाव का नियम (Law of Effect)** — थार्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को “सन्तोष-असन्तोष” का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और सन्तोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने में कष्ट होता है और दुःखद फल प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसे लाभ मिलता है तथा सन्तोष प्राप्त होता है।

B. सहायक नियम (Subordinate Law) — प्रमुख सहायक नियम निम्न प्रकार हैं—

1. **बहुअनुक्रिया का नियम (The Law of Multiple Response)**
2. **मानसिक तत्परता का नियम (The Law of Mental Set)**
3. **समानता के अनुसार अनुक्रिया (Principle of Analogy)**
4. **तत्वों को पूर्ण शक्तिमत्ता (The Law of pre-potent factors)**
5. **सहचारी स्थान परिवर्तन (Principle of Associate Shifting)**

प्रश्न 7. सीखना या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?

(Imp.)

What are the factors affecting learning?

अथवा

प्रभावी शिक्षण के कारक समझाइए।

Explain the factors of effective learning.

उत्तर- सीखने को प्रभावित करने अथवा प्रभावी शिक्षण के कारक निम्नलिखित हैं—

1. **उचित वातावरण (Suitable Environment)** — शिक्षण वातावरण से प्रभावित होता है, वातावरण बाह्य हो या आतंरिक। यदि वातावरण (learning environment) ठीक होगा तो सीखने में कठिनाई नहीं होगी, केवल अधिगमकर्ता को अपने को मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होगी।

2. **अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य (Physical and Mental Health of Learner)** — यदि शिक्षणकर्ता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसकी रुचि सीखने में अधिक होगी और वह जल्दी सीख जाएगा अर्थात in healthy body healthy mind.

3. **परिपक्वता (Maturity)** — शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले नये काम को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं, अतः अपरिपक्व की अपेक्षा सीखने में उन्हें कठिनाई नहीं होती और साथ ही समय की बर्बादी भी नहीं होती।

4. **अभिप्रेरणा (Motivation)** — सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य स्थान है। यदि उन्हें सीखने के प्रति प्रेरित नहीं किया जाएगा तो उनकी रुचि सीखने में कम या बिल्कुल भी नहीं होगी। अध्यापक ऐसे छात्रों को प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिष्ठान्धिता आदि का सहारा लेकर अधिक प्रेरित कर सकता है।

5. **सीखने का समय व थकान (Time of learning and Fatigue)** — सीखने का समय सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब छात्र विद्यालय आते हैं तो उनमें स्फूर्ति होती है, अतः सीखने में सुगमता होती है, किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उनमें धीरे-धीरे थकान आती जाती है। अतः सीखने की क्रिया में थोड़ी शिथिलता (laxity) आ जाती है।

6. **इच्छा-शक्ति (Will-power)** — किसी भी चीज को सीखने में इच्छा-शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके अन्दर इच्छा-शक्ति या रुचि कम या नहीं होगी, वह कार्य नहीं सीख पायेगा।

7. **अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher)** — सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक एक पथ-प्रदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके कार्य और व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षा का छात्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

8. **बुद्धि और वंशानुक्रम (Intelligence and Heredity)** — तीव्र बुद्धि वाले छात्र मंदबुद्धि वाले छात्र की अपेक्षाकृत किसी भी ज्ञान को बड़ी शीघ्रता और सरलता से सीख लेते हैं। वैसे भी इसमें वंशानुक्रम का हाथ काफी होता है, लगभग अस्सी प्रतिशत बालक की योग्यताएं एवं क्षमताएं वस्तुतः उसके वंशानुक्रम की ही देन हैं।

प्रश्न 9. स्मृति से क्या आशय है? इसे परिभाषित कीजिए।

(Imp.)

What is memory? Define it.

उत्तर- स्मृति (Memory) – स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव किए गए उद्दीपकों अथवा सीखे गए अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रह करके रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन उद्दीपकों तथा अनुभवों को चेतन मन में लाता है।
जैसे- छात्र द्वारा याद किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना।

परिभाषाएँ (Definitions) –

आइजनेक के अनुसार – स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पहले अधिगम की हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करना है फिर इस सूचना को विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर में पुनरोत्पादिक करता है।

बुडवर्थ के अनुसार – सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं।

हिलगार्ड एवं एटकिन्स के अनुसार – पहले सीखे गए अनुभवों व अनुक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त या प्रदर्शित करना ही स्मरण या स्मृति है।

स्मृति को विधिवत तरीके से समझने के लिए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। स्मृति में निम्न चार प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं—

1. सीखना (Learning)
2. प्रतिधारण (Retention)
3. पुनःस्मरण (Recall)
4. पहचान (Recognition)

1. सीखना (Learning) — सीखना या अधिगम स्मृति की प्रथम प्रक्रिया है। जब भी व्यक्ति कुछ अनुभव करता है या अभ्यास करता है तो यह चिन्ह व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति पुनःस्मरण कर लेता है इसे ही सीखना कहते हैं।

2. प्रतिधारण (Retention) — यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है। जब स्मरण शक्ति की छाप मस्तिष्क पर पड़ती है तो तंत्रिका तंत्र उसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर लेता है इसे ही प्रतिधारण कहते हैं। यह स्थायी व अस्थायी हो सकता है।

3. पुनः स्मरण (Recall) — पुनःस्मरण स्मृति की तीसरी प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए अनुभवों व अभ्यासों जोकि स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क में सुरक्षित हैं को दोबारा याद कर दोहराने की प्रक्रिया को ही पुनःस्मरण कहा जाता है।

4. पहचान (Recognition) — यह स्मृति की अंतिम प्रक्रिया है, पहचान एवं पुनःस्मरण आपस में संबंधित हैं। यदि स्मरण की गई विषय-वस्तु वही है जिसका स्मरण किया जाता है तो उसे पहचान कहते हैं।

प्रश्न 10. स्मृति के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए।

(Imp.)

Describe the main types of memory.

उत्तर— मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति को अवधि के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है—

1. तात्कालिक स्मृति (Immediate Memory)
2. अल्पकालिक स्मृति (Short term Memory)
3. दीर्घकालीन स्मृति (Long term Memory)

1. तात्कालिक स्मृति (Immediate Memory) — ऐसी स्मृति जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय अवबोधन (perception) के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करती है तात्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति कहलाती है। इसका अवबोधन समय बहुत कम होता है प्रायः 1 सैकण्ड का या इससे भी कम। इस स्मृति में किसी भी वस्तु को थोड़ी ही देर के लिए याद रखा जाता है।

2. अल्पकालिक स्मृति (Short Term Memory) — यह स्मृति का वह प्रकार है जिसमें सूचनाओं को 15-30 सैकण्ड तक संचित करके रखा जा सकता है। यह कम मात्रा की जानकारी को संग्रहित करती है।

3. दीर्घकालीन स्मृति (Long Term Memory) — यह स्मृति का वह रूप है जिसमें सूचनाओं को लंबे समय तक स्मरण रखने की क्षमता होती है। इसकी अवधि दिन, महीने, साल और पूरे जीवनकाल भी हो सकती है। दीर्घकालीन स्मृति की सहायता से हम किसी सूचना व जानकारी को लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं व समय पर उसे उपयोग भी कर सकते हैं।

प्रश्न 11. स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।

(V. Imp.)

Write down the factors affecting memory.

अथवा

स्मृति में सुधार करने के कौन-कौन से तरीके हैं?

What are the methods to improve memory?

उत्तर— स्मृति की प्रक्रिया को कई स्थितियां प्रभावित करती हैं जिनमें से कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक होती हैं।
कुछ सकारात्मक दशाएं, जो स्मृति को बढ़ाती हैं, निम्न हैं—

1. **स्मृति सामग्री का स्वरूप (Form of Memory Material)** — स्मृति सामग्री की निम्न विशेषताएं, जो स्मृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं—

- (a) **सामग्री की स्पष्टता (Clarity of Material)** — स्मृति में लाई जाने वाली सूचनाएं जितनी स्पष्ट होंगी, स्मृति उतनी ही अच्छी होगी।
- (b) **उत्तेजना की ताजगी (Freshness of Excitation)** — ताजे अनुभव या सूचनाएं अधिक समय तक स्मृति में रहती हैं।
- (c) **उत्तेजना की सार्थकता (Meaningfulness of Excitation)** — सार्थक सूचनाएं या अनुभव अधिक समय तक स्मृति में रहते हैं, जबकि निरर्थक (baseless) सूचनाएं जल्दी समाप्त हो जाती हैं।
- (d) **उत्तेजना की तीव्रता और अवधि (Duration and Intensity of Excitation)** — तीव्र उत्तेजना की अवधि कम समय तक रहने वाली उत्तेजना की अपेक्षा स्मृति में अधिक समय तक रहती है।
- (e) **स्मृति सामग्री की मात्रा (Quantity of Memory Material)** — स्मृति-सामग्री की मात्रा जितनी अधिक होगी, उनकी धारण-क्षमता उतनी ही कम होगी और इसके विपरीत स्मृति-सामग्री की मात्रा जितनी कम होगी, धारण-क्षमता उतनी ही अधिक होगी।

2. **अभ्यास (Exercise)** — किसी भी विषय-सामग्री को स्मृति में लाने के लिए जितना अधिक बार अभ्यास किया जाएगा, उस विषय-सामग्री के प्रति स्मृति में धारण-क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी।

3. **याद करने की विधियां (Method of memorising)** — स्मृति पर सीखने की विधियों का भी प्रभाव पड़ता है। स्मृति की प्रक्रिया में पूर्ण विधि की अपेक्षा अंश विधि तथा निष्क्रिय विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि ज्यादा प्रभावी होती है। इसी प्रकार अन्तराल रहित विधि की जगह अन्तरालयुक्त विधि अधिक उपयोगी होती है।

4. **ध्यान (Attention)** — किसी विषय-सामग्री पर जिनता अधिक ध्यान दिया जाएगा, उसकी स्मृति में पैठ (setting) उतनी ही अच्छी होगी।

5. **उद्देश्य (Objectives)** — यदि विषय-सामग्री को किसी उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखकर याद करने का प्रयास किया जाता है तो उसकी धारिता (capturing power) भी अधिक होती है।

6. **मानसिक समीक्षा (Mental analysis)** — यदि किसी विषय-सामग्री की मानसिक समीक्षा करके उसे याद किया जाए तो उसकी स्मृति दीर्घावधि होती है।

7. **विषय-सामग्री के प्रति रुचि (Interest towards the Subject matter)** — यदि विषय-सामग्री याद करने के लिए रुचिकर है, तो ऐसी सामग्री की स्मृति-धारिता अधिक होती है।

प्रश्न 12. विस्मरण या भूलना क्या है? परिभाषित करें व इसके प्रकार लिखें।

What is forgetting? Define and write types of it.

(Imp.)

उत्तर— व्यक्ति अनेक अनुभवों से होकर गुजरता है जिनमें से कुछ अनुभव तो दीर्घकालीन रूप से संग्रहित हो जाते हैं तथा कुछ अल्पकालिक रूप से। कुछ अनुभव स्मृति से विलुप्त हो जाते हैं। अनुभवों एवं सूचनाओं का स्मृति से नष्ट हो जाना ही विस्मरण कहलाता है।

परिभाषा एवं (Definitions) –

मन के अनुसार – विस्मरण से तात्पर्य धारण की असफलता या ग्रहण की गई सामग्री की पुनःस्मरण की असफलता से है।

इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार – पूर्व में सीखी गई व अनुभव की गई किसी वस्तु का विस्मरण वह अस्थायी या स्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण, पहचान या कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाती है।

विस्मरण के प्रकार (Types of Forgetting) – विस्मरण के कुछ प्रकार निम्न हैं–

1. प्राकृतिक विस्मरण (Natural Forgetting) – समय के साथ सीखी चीजों व अनुभवों को भूल जाना प्राकृतिक विस्मरण कहलाता है। इसे अनभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं, इस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक एबिंगहास थे। उनके मतानुसार सीखने एवं पुनःस्मरण में जितना ज्यादा अंतराल होगा विस्मरण उतना ही अधिक होगा। जब सीखी गई सामग्री का काफी समय तक अध्ययन नहीं किया जाता है तो व्यक्ति उसे भूल जाता है।

2. अस्वस्थ विस्मरण (Morbid Abnormal Forgetting) – इसमें व्यक्ति जान-बूझकर भूलने की कोशिश करता है। जैसे— व्यक्ति केवल सुखद अनुभवों को याद रखना चाहता है, दुखद एवं पीड़ादायक अनुभवों को नहीं। ऐसे अनुभवों को जो उसे व्यथित करते हों उन्हें अचेतन मन (unconscious mind) में डाल दिया जाता है। इसे दमन का सिद्धांत भी कहा जाता है, यह सिद्धांत फ्रायड द्वारा दिया गया था।

प्रश्न 13. भूलना या विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?

What are the factors affecting forgetting?

उत्तर— विस्मरण के कुछ प्रमुख कारक निम्न हैं—

1. अधिगम स्तर (Learning level) – विस्मरण का सबसे प्रमुख कारक (factor) अधिगम-सामग्री का कम अभ्यास है। अधिगम-सामग्री पर जितना ही कम अभ्यास किया जाएगा, उसके भूलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

2. अधिगम-सामग्री की निरर्थकता (Meaninglessness of learning material) – अधिगम-सामग्री व्यक्ति के लिए जितनी ज्यादा सार्थक होती है, उसका विस्मरण उतना ही कम होता है। इसके विपरीत निरर्थक अधिगम-सामग्री जल्द ही विस्मृति के गर्त में समा जाती है।

3. याद किए जाने वाले (पदों/ वाक्यों) में समानता [(Similarity in steps (sentences, stanzas) to be memorised)] – याद की जाने वाली सामग्री में जितनी अधिक समानता होगी, उसकी विस्मृति की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी।

4. व्यतिकरण का प्रभाव (Effect of interference) – वर्तमान में याद की जाने वाली विषय-सामग्री पूर्व में सीखी/याद की गयी विषय-सामग्री को तथा पूर्व में याद की गयी विषय-सामग्री वर्तमान में याद की जाने वाली विषय-सामग्री को प्रभावित करती है। यही व्यतिकरण है।

5. संवेगात्मक दशाएं (Emotional conditions) – विभिन्न संवेगात्मक दशाएं, जैसे— क्रोध, भय, प्रेम, आदि भी विस्मरण को प्रभावित करते हैं।

6. मस्तिष्क आघात (Brain injuries) – मस्तिष्क में गहरी चोट लगने से भी कई बार स्मृति में संचित अनुभवों एवं घटनाओं का विस्मरण हो जाता है।

7. मादक वस्तुओं का सेवन (Consumption of drug substance) – मादक पदार्थों, जैसे कि शराब, गांजा, भांग, चरस, आदि का अधिक मात्रा में सेवन विस्मरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है।

उपरिलिखित के अतिरिक्त निम्न कारक (factor) भी प्रभाव डालते हैं—

- रुचि का अभाव (Lack of Interest)

प्रश्न 17. समस्या-समाधान किसे कहते हैं? समस्या-समाधान की विधियाँ व इसके चरण लिखिए।

What is problem solving? Write down the methods and steps of problem solving.

उत्तर- बिटिंग एवं बिलियम्स के अनुसार – समस्या समाधान का अर्थ होता है, बाधाओं को दूर करना तथा लक्ष्य व और पहुँचने के लिए चिन्तन प्रक्रियाओं का उपयोग करना।

समस्या-समाधान चिन्तन का ही एक अलग रूप है। इसमें व्यवहार लक्ष्य की ओर निर्देशित (goal-directed) होता है और व्यवहार में निरन्तरता (essentiality) पायी जाती है, अन्त में समस्या-समाधान हेतु की गयी क्रियाएं (activities) या व्यवहार लक्ष्य-प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है।

समस्या-समाधान में व्यक्ति अलग-अलग प्रकार से प्रयास करता है। जब व्यक्ति किसी समस्या का पहली बार समाधान करता है तो उसमें अधिक समय लगता है, किन्तु उसी या उस जैसी दूसरी समस्या का भविष्य में जब कभी सामना करता है तो उसमें समस्या-समाधान में अपेक्षाकृत पिछली समस्या के कम समय लगता है।

समस्या-समाधान में व्यक्तिगत भिन्नता (individual difference) पायी जाती है अर्थात् एक ही समस्या का भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न तरीके से समाधान करते हैं।

समस्या-समाधान का सम्बन्ध सीखने (learning) से है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना तथा नैमित्तिक अनुबंधन एक प्रकार का समस्या-समाधान ही है।

समस्या समाधान की विधियाँ (Methods of Problem Solving) –

1. प्रयास एवं त्रुटि विधि (Trial and Error Method) – इस प्रकार में निम्न और उच्च कोटि के प्राणी आते हैं जो कि प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में थार्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किया प्रयोग उल्लेखनीय है।

2. अन्तर्दृष्टि विधि (Insight Method) – इस प्रकार में उच्च कोटि के प्राणी आते हैं, जैसे— मनुष्य, जो कि इस विधि का प्रयोग करते हैं।

3. यादृच्छिक अन्वेषण विधि (Random Search Method) – इस प्रकार में व्यक्ति समस्या-समाधान हेतु सभी तरह की संभावित अनुक्रियाओं को करता है।

4. स्वतःशोध अन्वेषण विधि (Heuristic Search Method) – इस प्रकार में व्यक्ति समस्या-समाधान हेतु सभी विकल्पों पर ध्यान नहीं देता है बल्कि केवल उन्हीं उपायों को चुनता है जो समस्या-समाधान हेतु संगत प्रतीत होते हैं।

5. वैज्ञानिक विधि (Scientific Method) – आज प्रत्येक क्षेत्र में समस्या-समाधान हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आरम्भ से अन्त तक व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाता है।

समस्या-समाधान के चरण (Steps of Problem Solving) –

1. समस्या का वर्णन करें

अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण

प्रश्न 18. ध्यान, अनुभूति या अवधान किसे कहते हैं? ध्यान के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए।

What is attention? Describe the features and types of attention.

उत्तर— **ध्यान (Attention)** — ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है, इसे अवधान भी कहा जाता है। मनुष्य का परिवेश (milieu) में उपस्थित अनेक वस्तुओं पर एक साथ चेतना कर पाना असम्भव है। उसके परिवेश में उपस्थित वस्तुओं में से कुछ उसके चेतना के केन्द्र में आ जाती हैं, कुछ सीमा-प्रदेश में रह जाती हैं, तो कुछ सीमा-प्रदेश के बाहर ही रह जाती हैं। व्यक्ति द्वारा कुछ वस्तुएं, जो उसके चेतना-केन्द्र में लाई जाती हैं, उस प्रक्रिया को ही ध्यान या अवधान (attention) कहा जाता है।

परिभाषाएं (Definitions) —

डक्विल (Duckwil) के अनुसार — ध्यान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केन्द्रित करता है।

स्टाउट (Stout) के अनुसार — ध्यान सरल रूप में उस सीमा तक किया जा सकता है, जहां तक वस्तुओं के पूर्ण ज्ञान से उसकी सन्तुष्टि होती है।

ध्यान के रूप (Features of Attention) — ध्यान के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण या रूप होते हैं—

1. **ध्यान परिवर्तन एवं विचलन (Shifting and Fluctuation of Attention)** — ध्यान स्वभाव से चंचल, क्षणभंगुर एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है जो एक ही क्षण में अपने स्थान का परिवर्तन कर लेती है। जब एक उद्दीपक के विभिन्न भागों पर या एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर ध्यान परिवर्तित हो तो उसे ध्यान परिवर्तन कहते हैं।

2. **ध्यान भंग (Distraction)** — व्यक्ति का किसी उद्दीपक या वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करते समय किसी अन्य उद्दीपक के कारण ध्यान कहीं ओर चला जाए या ध्यान में बाधा उत्पन्न हो तो उसे ध्यानभंग या विकर्षण कहते हैं।

3. **ध्यान विस्तार (Span of Attention)** — कोई व्यक्ति एक ही समय में जितने उद्दीपकों पर ध्यान दे सकता है उसी को ध्यान विस्तार कहते हैं।

4. **ध्यान विभाजन (Division of Attention)** — एक साथ एक से अधिक उद्दीपकों की ओर ध्यान देने की प्रक्रिया ही ध्यान विभाजन कहलाती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक कार्य एक साथ कर लेता है जैसे-गाड़ी चलाते समय साथ वाले व्यक्ति से बात करना या संगीत सुनना आदि।

ध्यान के प्रकार (Types of Attention) — ध्यान को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा गया है—

1. **ऐच्छिक ध्यान (Voluntary Attention)**
2. **अनैच्छिक ध्यान (Involuntary Attention)**
3. **स्वाभाविक ध्यान (Habitual Attention)**

1. **ऐच्छिक ध्यान (Voluntary Attention)** — यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है जब उसकी इच्छा होती है तो

वह ध्यान देता है अन्यथा नहीं, इसे ही ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। सामान्यतः ऐच्छिक ध्यान का सीधा-सीधा संबंध कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति करने से होता है। उदाहरण— परीक्षा नजदीक आने पर विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई में ध्यान लगाना ऐच्छिक ध्यान का एक उदाहरण है।

2. अनैच्छिक ध्यान (Involuntary Attention) – जब व्यक्ति का ध्यान बिना किसी प्रयास या अनिच्छा द्वारा किसी विशेष उद्दीपक (stimulus) की तरफ चेतना के जाने से होता है तो उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे— बाहर से तेज आवाज या शोर आने पर उस तरफ ध्यान जाना। अनैच्छिक ध्यान लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है।

3. स्वाभाविक ध्यान (Habitual Attention) – यह ध्यान का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति का ध्यान इच्छा व अनिच्छा से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही उद्दीपक की तरफ चला जाता है। इस प्रकार के ध्यान को आदत या अभ्यास से लगाया जाता है। जैसे— गाड़ी को चलाने का अभ्यास बार-बार करते हुए उसे एक आदत बना लेना, गाड़ी चलाने की आदत बनने पर उसे स्वाभाविक ही व्यक्ति संचालित कर लेता है जैसे गाड़ी की गति बढ़ाते ही गिअर भी स्वाभाविक बदल देना।

प्रश्न 20. ध्यानभंग या विकर्षण किसे कहते हैं? इसके प्रकार व स्रोत लिखिए

What is distraction? Write down its types and sources.

उत्तर- व्यक्ति का किसी उद्दीपक या वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करते समय किसी अन्य उद्दीपक के कारण ध्यान कहीं ओर चला जाए या ध्यान में बाधा उत्पन्न हो तो उसे ध्यानभंग या विकर्षण कहते हैं।

ध्यानभंग के प्रकार (Types of Distraction) – इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं—

1. **निरंतर या सतत् ध्यानभंग (Continuous Distraction)** – यह लगातार होने वाला ध्यानभंग है। उदाहरण के तौर पर पढ़ोस में से लगातार आने वाला संगीता का शोर, इससे निरंतर रूप से ध्यानभंग होता है।

2. **सांतर या अनिरंतर ध्यानभंग (Discontinuous Distraction)** – यह ध्यानभंग वह होता है जिसमें व्यक्ति का ध्यान रुक-रुककर भंग होता रहता है। जैसे बिजली का थोड़ी-थोड़ी देर में चले जाना। यह व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है।

ध्यानभंग के स्रोत (Sources of Distraction) –

1. बाह्य स्रोत (External sources) –

- तापमान में उतार-चढ़ाव जैसे- गर्मी, सर्दी
- शोर जैसे- संगीत का, झगड़े का आदि
- अनुचित रोशनी
- अनुचित संवातन (ventilation)

2. आंतरिक स्रोत (Internal sources) –

- उम्र (age)
- मानसिक स्वास्थ्य (mental health)
- अरुचि (uninterested)
- बीमारी व थकान (illness and fatigue)
- कार्य की प्रकृति (nature of work)
- प्रेरणा की कमी (lack of motivation)

प्रश्न 21. अवबोधन या प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष-बोध किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएँ लिखिए।

What is perception? Write down its characteristics.

उत्तर— मनुष्य जिस वातावरण में निवास करता है, उसमें अनेक प्रकार के उद्दीपक (stimulant) अथवा उत्तेजनारं (excitement) उपस्थित होती हैं। प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक क्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य को इन उद्दीपकों का तात्कालिक एवं सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया संवेदना से भिन्न है। इसमें व्यक्ति को न केवल उद्दीपकों का परिचय प्राप्त होता है, अपितु उसके विषय में ज्ञान भी प्राप्त होता है।

परिभाषाएँ (Definitions) –

वुडवर्थ (Woodworth) के अनुसार — प्रत्यक्षीकरण इन्द्रियों की सहायता से पदार्थ या बाह्य घटनाओं को जानने की क्रिया है।

कोलमैन (Coleman) के अनुसार — प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है।


प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएँ (Characteristics of Perception) — प्रत्यक्षीकरण की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. प्रत्यक्षीकरण भी स्मृति, चिंतन, तर्क आदि की भाँति एक मानसिक प्रक्रिया है।
2. प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण असंभव है।
3. प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्ति को वातावरण में उपस्थित उद्दीपक का तात्कालिक व सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है।
4. ऐसे उद्दीपक जिनके बारे में व्यक्ति को अनुभव या पूर्व ज्ञान है तो उसका प्रत्यक्षीकरण आसान होगा।
5. जिन उद्दीपक का व्यक्ति को अनुभव या ज्ञान नहीं है तो उनका प्रत्यक्षीकरण मुश्किल होता है।
6. व्यक्ति सभी उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण नहीं करता वह केवल उन्हीं उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण करता है जो उसके लिए सार्थक होते हैं या जिन पर उसका ध्यानाकर्षण होता है।

प्रश्न 22. प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया के चरणों को लिखिए।

Write the process of perception.

उत्तर— प्रत्यक्षीकरण निम्नलिखित चार चरणों में पूर्ण होता है—



प्रश्न 23. प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए।

Explain the factors affecting perception.

उत्तर— मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष-बोध पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, इनमें से कुछ कारक प्रत्यक्ष-बोध को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करते हैं जबकि कुछ कारक स्थिति विशेष में पाई जाने वाली अन्तःक्रियाओं के फलस्वरूप इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष-बोध को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है—

1. व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव (Effect of Individual Factors)

2. सामाजिक कारकों की भूमिका (Role of Social Factors)

3. वस्तुगत कारकों का प्रभाव (Effect of Objective Factors)

1. व्यक्तिगत कारकों का ग्रभाव — प्रत्यक्ष-बोध के सम्बन्ध में किये गये अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि प्रत्यक्ष-बोध की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष-बोध करने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इनमें से कुछ निम्न हैं—

(a) **शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव (Effect of Physical Need)** — अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही उद्दीपक का प्रत्यक्ष-बोध करता है।

(b) **मानसिक वृत्ति का प्रभाव (Effect of Mental Attitude)** — प्रत्यक्ष-बोध की क्रिया पर प्रत्यक्ष-बोध करने वाले व्यक्ति की मानसिक वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। यहां मानसिक वृत्ति का तात्पर्य एक विशेष प्रकार की मानसिक तत्परता से है।

(c) **प्रत्यक्ष-बोध की जाने वाली वस्तु के महत्व का प्रभाव (Effect of Importance of Perception Objects)** — अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि यदि प्रत्यक्ष-बोध की जाने वाली वस्तु का मूल्य प्रत्यक्ष-बोधकर्ता के लिए अधिक होता है तो उस वस्तु का प्रत्यक्ष-बोध भी उतना ही बड़ा एवं स्पष्ट होता है।

(d) **तदरूपता (Identity)** — यदि प्रत्यक्ष-बोध करने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष-बोध की जाने वाली वस्तु से पहले से ही परिचित है तो प्रत्यक्ष-बोध अधिक स्पष्ट और आसान होता है। इसके विपरीत बिल्कुल अपरिचित वस्तु के प्रत्यक्ष-बोध में अधिक कठिनाई होती है।

(e) **अभिवृत्ति (Attitude)** — प्रत्यक्ष-बोध करने वाले व्यक्ति की अभिवृत्ति भी प्रत्यक्ष-बोध को प्रभावित करती है। यदि

प्रत्यक्ष-बोध की जाने वाली वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक या नकारात्मक है तो प्रत्यक्ष-बोध कुछ बड़ा/अधिक होता है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण तटस्थ (neutral) होता है, तो उनका प्रत्यक्ष-बोध छोटा होता है।

- (f) **अभिप्रेरणा (Motivation)** – चूंकि अभिप्रेरणा लगभग सभी मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। अतः यह प्रत्यक्ष-बोध को भी प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष-बोध के दौरान अभिप्रेरणा का उद्दीपक के चयन एवं गुणों के प्रत्यक्ष-बोध पर प्रभाव पड़ता है।

2. प्रत्यक्ष-बोध में सामाजिक कारकों की भूमिका – मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये गये विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अनेक सामाजिक कारक भी प्रत्यक्ष-बोध को प्रभावित करते हैं। इनमें से मुख्य निम्न हैं—

- (a) **सामाजिक मानक और मनोवृत्ति (Social Norms and Attitude)** – समाज में पाये जाने वाले विभिन्न मानक या नियम व्यक्ति के प्रत्यक्ष-बोध को प्रभावित करते हैं।
- (b) **प्रचार (Propaganda)** – जिन वस्तुओं का अधिक प्रचार किया जाता है उनका प्रत्यक्ष-बोध भी तेजी से होता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि प्रचार एक विशेष प्रकार की मानसिक तत्परता उत्पन्न कर देता है।
- (c) **सामाजिक सुझाव (Social Suggestions)** – प्रत्यक्ष-बोध की क्रिया पर समाज के अन्य लोगों द्वारा दिये गये सुझावों का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, धरती गोल है और यह भी अपनी धुरी (axis) पर घूमती है— ऐसा वैज्ञानिकों ने समाज को बताया और समाज ने यही मान्यता दी और इसी सुझाव को अपनाया।

3. प्रत्यक्ष-बोध में वस्तुगत कारकों का प्रभाव – इनमें प्रमुख निम्न हैं—

- (a) **वस्तु का रंग (Object Colour)** – वस्तु का रंग एवं उस की पृष्ठभूमि का तुलनात्मक रंग वस्तु के प्रत्यक्ष-बोध को प्रभावित करता है।
- (b) **वस्तु की स्थिति (Position of Object)** – स्थिर वस्तु का प्रत्यक्ष-बोध गतिशील वस्तु की तुलना में शीघ्र एवं स्पष्ट होता है। यही कारण है कि चलते हुए व्यक्ति के हाथ में बंधी घड़ी में समय देख पाना एक स्थिर अवस्था में लटकी हुई दीवार घड़ी में समय देख पाने की तुलना में अधिक मुश्किल होता है।
- (c) **वस्तु का प्रदर्शन-काल (Object-showing time)** – कोई वस्तु प्रत्यक्ष-बोध करने वाले व्यक्ति की आँख के सामने जितने अधिक समय के लिए रहती है, उसका प्रत्यक्ष-बोध उतना ही स्पष्ट होता है।
- (d) **वस्तु का आकार (Size of Object)** – प्रायः देखा जाता है कि छोटे उद्दीपकों की तुलना में बड़े आकार के उद्दीपकों का ज्यादा स्पष्ट एवं शीघ्र प्रत्यक्ष-बोध होता है।
- (e) **उद्दीपक की नवीनता (Novelty of Stimulus)** – यदि किसी उद्दीपक का बार-बार प्रत्यक्ष-बोध हो तो प्रत्यक्ष-बोध अधिक स्पष्ट एवं शीघ्र होता है अपेक्षाकृत पहली बार आए उद्दीपक के प्रत्यक्ष-बोध के।

प्रश्न 25. भ्रम के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए।

Describe the main types of illusion.

उत्तर- भ्रम को दो भागों में बांटा गया है-


1. व्यक्तिगत भ्रम (Individual Illusion)

2. सर्वव्यापी या सामान्य भ्रम (Universal or General Illusion)

1. व्यक्तिगत भ्रम (Individual Illusion) – ऐसा भ्रम, जो किसी व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है, व्यक्तिगत भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ, रात के अंधेरे में पांच-छः फुट लम्बे पेड़ को कोई व्यक्ति भूत-प्रेत समझता है तो कोई सामान्य आदमी, चोर आदि।


2. सर्वव्यापी या सामान्य भ्रम (Universal or General Illusion) – ऐसा त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्ष-बोध जो अधिकांश व्यक्तियों में समान प्रकार से पाया जाता है, सर्वव्यापी भ्रम कहलाता है। व्यक्तिगत भ्रम की तुलना में ये भ्रम अधिक स्थायी होते हैं। उदाहरणार्थ, रेल की दो पटरियों का कुछ दूर आगे चलकर आपस में मिलती हुई नजर आना। इस प्रकार के भ्रमों को रेखागणितीय/ज्यामितीय (geometrical) भ्रम भी कहते हैं। लोगों में पाये जाने वाले कुछ सामान्य सार्वभौमिक भ्रमों के उदाहरण निम्न हैं—

(a) **जूलनर भ्रम (Zollner Illusion)** – इस प्रकार के भ्रम को निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। यद्यपि उक्त चित्र में दिखाई गयी सभी लम्बवत् रेखाएं समानान्तर हैं परन्तु आड़ी खिंची हुई रेखाओं के कारण समानान्तर प्रतीत नहीं होती है।




जूलनर भ्रम (Zollner Illusion)

(b) **लम्बवत् और क्षैतिज रेखा का भ्रम (Vertical and Horizontal Illusion)** – यद्यपि निम्न चित्र में दिखाई गयी लम्बवत् (खड़ी) एवं क्षैतिज (पड़ी हुई) रेखाएं लम्बाई में एक दूसरे के बराबर हैं फिर भी लम्बवत् रेखा क्षैतिज रेखा की तुलना में अधिक लम्बी प्रतीत होती है।




लम्बवत् और क्षैतिज रेखा भ्रम (Vertical and Horizontal Illusion)

(c) मूलर-लायर भ्रम (Muller-Lyer Illusion) – निम्न चित्र में दिखाई गयी दोनों रेखाओं की लम्बाई समान होने के बावजूद भी तीर के निशान अलग-अलग दिशा में होने के कारण ऐसा लगता है कि रेखा A, रेखा B से छोटी है।



(d) ओर्बिसन भ्रम (Orbison Illusion) – चित्र में एक बड़े गोले में छोटे गोले को दिखाया गया है। चित्र में देखने पर लगता है कि बड़े गोले के अन्दर बना छोटा गोला विकृत है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यह ओर्बिसन भ्रम है।



ओर्बिसन भ्रम (Orbison Illusion)

(e) गतिभ्रम (Movement Illusion) – इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है, माना एक स्थिर रेलगाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं तभी ठीक बराबर वाली पटरी पर खड़ी रेलगाड़ी चल पड़ती है तो पहली स्थिर रेलगाड़ी में बैठे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनकी रेलगाड़ी चल रही है।

(f) पोन्जो भ्रम (Ponzo Illusion) – इस प्रकार के भ्रम को निम्न चित्र से समझा जा सकता है। इस चित्र में कोण के बीच में खिंची हुई रेखाओं में कोण के पास की रेखा बड़ी तथा कोण से दूरी की रेखा छोटी प्रतीत होती है, हालांकि दोनों रेखाओं की लम्बाई समान है।



(g) हेरिंग भ्रम (Hering Illusion) – इसे निम्न चित्र से समझा जा सकता है। इस चित्र में मध्य में खींची गई क्षैतिज रेखाएं समान्तर होते हुए भी टेढ़ी लग रही हैं।

(h) अर्नस्टीन भ्रम (Ehrenstein Illusion) – इसे निम्न चित्र में दिखाया गया है। इसमें बीच का वर्ग कुछ विकृत दिखाई पड़ता है हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है।

परिभाषाएं (Definitions) –

वुड्वर्थ (Woodworth) के अनुसार – व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। (*Personality is the total quality of an individual's behaviour*).

जे.पी. गिलफर्ड (J.P. Gilford) के अनुसार – व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। (*Personality is an integrated pattern of Individual's traits.*)

वाट्सन (Watson) के अनुसार – हम जो कुछ करते हैं, वही व्यक्तित्व है।

वैलेन्टीन (Valentine) के अनुसार – व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है।

प्रश्न 2. व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?

What are the main factors that influencing development of personality?

उत्तर- जिन कारकों से व्यक्तित्व प्रभावित हो उन्हें व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। इन कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा गया है—

1. जैविक कारक (Biological Factor)

2. पर्यावरणीय कारक (Environmental Factor)

1. **जैविक कारक (Biological Factor)** – जैविक कारक वे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति का अपने शारीरिक गतिविधियों से व आनुवांशिकता से होता है। इसमें निम्न कारक शामिल होते हैं—

- (a) शरीर रचना एवं स्वास्थ्य (Physique and Health) – शरीर रचना सही होने एवं स्वास्थ्य अच्छा होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है एवं उसमें आत्म-विश्वास, श्रेष्ठता का भाव आदि उपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ शारीरिक बनावट व स्वास्थ्य अच्छा न होने से व्यक्ति में हीन-भावना, शर्मलापन, एकाकीपन व मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होते हैं।
- (b) अंतःस्नावी ग्रंथियाँ व शारीरिक रसायन (Endocrine glands and body chemistry) – शरीर में होने वाले रसायनिक परिवर्तन व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अंतःस्नावी ग्रंथियाँ जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि आदि से स्रवित होने वाले हॉमोन व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव छोड़ते हैं।
- (c) आनुवांशिक कारक (Genetic Factors) – प्रायः देखने में आता है कि बालक में वैसे ही गुण उपस्थिति हैं जैसे उसके माता-पिता में हैं। इसका मुख्य कारण आनुवांशिकी है जो माता-पिता से उनकी संतान में आते हैं। आनुवांशिकी का व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

2. पर्यावरणीय कारक (Environmental Factor) – व्यक्ति के व्यक्तित्व को जैविक कारक के अलावा पर्यावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं—

- (a) सामाजिक कारक (Social Factor) – व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाज के विभिन्न अंग जैसे— परिवार, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएँ, आस-पड़ोस आदि प्रभावित करते हैं।
- (b) सांस्कृतिक कारक (Cultural Factor) – बालक का व्यक्तित्व उस संस्कृति से भी प्रभावित होता है जिस सांस्कृतिक वातावरण में वह रहता है व उसका विकास होता है।
- (c) आर्थिक कारण (Economic Factor) – आर्थिक स्थिति का किसी के भी व्यक्तित्व पर बड़ा महत्वपूर्ण असर पड़ता है। गरीबी में पले बच्चों में हीनता की भावना, आत्म-विश्वास की कमी, असुरक्षा की भावनाएं आदि उत्पन्न हो जाती हैं। गरीबी के तनावपूर्ण व संघर्षपूर्ण वातावरण का बालकों के मानसिक विकास और व्यक्तित्व पर असर पड़ता है।

प्रश्न 3. व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए।

Describe the main types of personality.

उत्तर— व्यक्तित्व की संरचना एवं प्रकृति को समझने के लिए व्यक्तित्व के वर्गीकरण (classification/kinds/types of personality) को समझना अति आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिये गये व्यक्तित्व का वर्गीकरण / प्रकार निम्न रूप से किया जाता है—

1. भारतीय आयुर्वेद के अनुसार (According to Indian Ayurveda) – भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के तीन प्रकार हैं—

- (a) वात प्रधान (Dominated by wind) – वात प्रधान वाले व्यक्ति चंचल, स्फूर्तिवाले, मिलनसार, प्रसन्नचित्त एवं वायु रोगों से ग्रसित (afflicted) रहने वाले होते हैं।
- (b) पित्त प्रधान (Dominated by the bile) – ऐसे व्यक्ति आनन्द युक्त लेकिन सुस्त, शारीरिक रूप से कमजोर एवं संवेगात्मक (emotive) दृष्टि से सशक्त होते हैं।
- (c) कफ प्रधान (Dominated by the phlegm) – इस प्रकृति वाले व्यक्ति शान्त, संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य एवं शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं।

2. स्वभाव के आधार पर (According to Habits) – मनोवैज्ञानिक Margon and Gilliland (मार्गन और गिलीलैंड) ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्वभाव के आधार पर किया है, जो निम्न चार प्रकार के हैं—

- (a) अस्थिर व्यक्तित्व (Unstable personality) – इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर

और असनुलित स्वभाव के होते हैं।

- (b) **चिड़चिड़ा व्यक्तित्व (Irritable personality)** – इस स्वभाव के व्यक्तियों का व्यक्तित्व चिड़चिड़ा होता है और ऐसे व्यक्ति झगड़ालू (quarrelsome) तथा गर्म स्वभाव के होते हैं।
- (c) **उदास व्यक्तित्व (Depressed personality)** – इस प्रकार के व्यक्तियों का व्यक्तित्व उदास होता है, ये अधिकतर संवेगात्मक (emotional), निराशावादी (pessimistic) और उदास होते हैं।
- (d) **प्रफुल्ल व्यक्तित्व (Elated personality)** – इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वभाव से खुशमिजाज, प्रसन्नचित्त रहने वाले एवं आशावादी (optimistic) होते हैं।

3. शरीर रचना के आधार पर (According to Physical Structure) –

- (a) **क्रेश्मर का वर्गीकरण (Classification of Kretschmer)** – शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेश्मर ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताये हैं–
- **Asthenic Type** – ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लम्बे तथा दुबले-पतले शरीर वाले होते हैं। ये क्रोधी तथा निराशावादी प्रकृति के होते हैं।
 - **Athletic Type** – ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ शरीर वाले व चुस्त होते हैं।
 - **Pyknic Type** – ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते हैं व स्वभाव से प्रसन्नचित्त रहने वाले, आरामप्रिय एवं मिलनसार प्रकृति के होते हैं।
- (b) **शेलडन का वर्गीकरण (Classification of Sheldon)** – शेलडन ने भी शारीरिक बनावट के आधार पर तीन भागों में बांटा है–
- **Endomorphic** – इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से शक्तिहीन, मोटे तथा कोमल शरीर वाले होते हैं।
 - **Mesomorphic** – ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से संतुलित, तन्दुरुस्त और हष्ट-पुष्ट होते हैं।
 - **Ectomorphic** – इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शरीर से दुबले-पतले, लम्बे, कमजोर और निराशावादी होते हैं।

4. सामाजिकता के आधार पर (On Social Basis) – प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक Jung (जुंग) ने सामाजिकता (social interaction) के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ये दो प्रकार के हैं–

- (a) **बहिर्मुखी व्यक्तित्व (Extrovert Personality)** – बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति यथार्थवादी होते हैं तथा जीवन की परिस्थितियों का वस्तुगत रूप से सामना करते हैं। इस व्यक्तित्व वालों का ज्ञाकाव बाहरी चीजों की ओर अधिक होता है तथा अपने जैसे स्वभाव वालों के साथ मिलना-जुलना अधिक पसन्द करते हैं। इनमें आत्मविश्वास चरम पर होता है। ये कर्मठ, व्यवहार-कुशल, चिन्तामुक्त, सामाजिक, आशावादी, साहसिक तथा आक्रामक (aggressive) प्रकृति के होते हैं।
- (b) **अन्तर्मुखी व्यक्तित्व (Introvert Personality)** – अन्तर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति अपने आस-पास के लोगों की ओर नहीं होती, बल्कि इनकी प्रवृत्ति स्वयं अपनी ओर अर्थात् अन्दर की ओर ही होती है। इनकी अभिवृत्तियां, आदतें आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती हैं। इनकी मानसिक शक्तियों का विकास अधिक होता है। ये विचार-प्रधान वाले होते हैं, चिन्तन-मनन में ध्यान देते हैं। ये आत्मकेन्द्रित, एकान्तप्रिय, कम बोलने वाले, अध्ययनशील और शीघ्र निर्णय न लेने वाले होते हैं। अन्तर्मुखी व्यक्तित्व की श्रेणी में कवि, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि आते हैं।

प्रश्न 4. अच्छे व्यक्तित्व के कौन-कौन से गुण हैं?

What are the qualities of good personality?

(V.Imp.)

अथवा

व्यक्तित्व की प्रकृति या स्वभाव समझाइए।

Describe the nature of personality.

उत्तर— अच्छे व्यक्तित्व के गुण (Qualities of Good Personality) —

1. प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में आत्मचेतना (self-consciousness) होती है, जिस पर उसके परिवेश (milieu) का असर अवश्य पड़ता है।
2. अपने स्वाभाविक (natural) गुणों के अनुसार ही वह समाज में अपना योगदान देता है और वह परिवार और समाज से भी उतना और वैसा ही चाहता है जैसा उसका नैसर्गिक स्वभाव उसे अपनाने की इज्जत देता है।
3. जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में व्यक्ति पलता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है और वह स्वभाव ही उसकी पहचान (identity) का द्योतक होता है।
4. शारीरिक स्वास्थ्य ही की तरह एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए मानसिक स्वास्थ्य (व्यक्ति की बुद्धि, तर्कशक्ति, स्मरणशक्ति, ध्यान, निर्णय, कल्पना, आदि) भी बहुत जरूरी है। अगर कोई इस क्षेत्र में कमजोर है, तो अभ्यास और आदर्श का सहारा लेकर अपने स्वभाव को (कुछ) अच्छा बनाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में तालमेल बिठाकर अच्छे व्यक्तित्व वाला बन सकता है।
5. स्वभाव की विपरीत परिस्थितियों में अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने को सहज रख पाता है व समाज को अपना उल्लेखनीय योगदान दे पाता है।
6. व्यक्ति के स्वभाव का एक प्रमुख गुण समायोजनशीलता (adjustability) है, इसके अभाव में व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सकता है, इसके लिए भी व्यक्ति को अच्छे विचारों और सुझावों से समायोजनशील बनाया जा सकता है।

प्रश्न 8. संकल्प की विशेषताएं लिखिए।

Write down the characteristics of will.

उत्तर- संकल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

1. संकल्प/इच्छा—शक्ति व्यक्ति की प्राकृतिक प्रवृत्ति (natural tendency) को नियंत्रित करती है।
2. संकल्प के द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और समाज में क्रांति (revolution) लाई जा सकती है।
3. संकल्प द्वारा सामाजिक परिवर्तन सम्भव हो सकता है साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन भी किया जा सकता है।
4. संकल्प/इच्छा—शक्ति मजबूत व्यक्तित्व का परिचायक है।
5. संकल्प के द्वारा मानव-समाज, सभ्यता, संस्कृति का विकास संभव है तथा इनमें वांछित (desired) परिवर्तन लाये जा सकते हैं।

प्रश्न 9. संकल्प को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।

Write down the factors affecting will.

उत्तर- संकल्प को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं—

1. **आयु (Age)** — दृढ़ संकल्प शक्ति के लिए आयु एक महत्वपूर्ण तत्व है। वृद्ध व्यक्ति एवं छोटा बच्चा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होते हैं।

2. **आत्म-विश्वास (Self confidence)** — व्यक्ति में आत्म-विश्वास होने पर किसी भी निर्णय को लेने में आसानी होती है। वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करके अपने लक्ष्य व उद्देश्य तक पहुँच सकता है। इसी प्रकार नर्स अपने आत्म-विश्वास के कारण ही रोगी में विश्वास पैदा करने में सफल हो जाती है एवं रोग तथा औषधि के प्रति रोगी की अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने में सफल रहती है।

3. **समझ (Understanding)** — परिस्थितियों की अच्छी समझ संकल्प शक्ति के लिए अति आवश्यक होती है। समझ से निर्णय लेने में आसानी होती है।

4. **अभ्यास का स्तर (Amount of Practice)** — उत्तम शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अभ्यास दृढ़ संकल्प शक्ति के विकास में अत्यंत लाभदायक होते हैं। अभ्यास के उच्च स्तर से ही नर्स चिकित्सक के आने से पहले ही रोगी को प्राथमिक उपचार दे सकती है।

5. **रुचि (Interest)** — किसी कार्य में विशेष रुचि का होना भी आवश्यक होता है इससे संकल्प निर्णय में सहायता मिलती है। नर्स को अपने कार्य में जितनी अधिक रुचि होगी वह उतने ही अधिक दृढ़ निश्चय से अपने कार्य को कर पाएगी।

6. अवसर (Opportunities) – दृढ़ संकल्प शक्ति निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि किसी कार्य को करने के अवसर प्रदान किए जाएँ। नर्स को अस्पताल में ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि वह अपनी योग्यताओं एवं सीमाओं के आधार पर निर्णय ले सके।

7. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य – संकल्प शक्ति के लिए व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा एवं व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान, कुंठा आदि से घिरा रहेगा तो वह दृढ़ संकल्प प्राप्त करने में असमर्थ होगा। जैसे- नर्स यदि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह कुशलतापूर्वक चिकित्सक को सहयोग व अपना योगदान नहीं दे पाएगी।

प्रश्न 10. चरित्र क्या है? चरित्र की विशेषताएँ लिखिए।

What is character? Write down the characteristics of character.

उत्तर- **चरित्र (Characteristics)** – व्यक्ति के चरित्र की अभिव्यक्ति उसके आचरण द्वारा होती है। आचरण चरित्र का बाह्य रूप होता है। चरित्र द्वारा ही संकल्प का निर्माण होता है। एक बुरा व्यक्ति भी संकल्प ले सकता है। इस प्रकार चरित्र व संकल्प परस्पर आश्रित रहते हैं।

चरित्र व्यक्ति के आचरण को गहराई से प्रभावित करता है। मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के पीछे चरित्र मुख्य भूमिका अदा करता है। चरित्र हमारे अर्जित व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

परिभाषा (Definitions) –

चरित्र एक पूर्णतः निर्मित संकल्प है। व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों से उसका चरित्र बनता है, जो एक स्थायी मानसिक प्रवृत्ति है।

नोबेलिस के अनुसार – चरित्र एक अभ्यासजन्य तरीका है, जिसमें संकल्प प्रवृत्तियों और इच्छाओं को उस व्यवस्था तक नियमन करता है जो उसके कार्य का क्षेत्र है।

चरित्र की विशेषताएँ (Characteristics of Character) – चरित्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. चरित्र का विकास प्राकृतिक इच्छाओं, संवेगों के नियंत्रण व बुद्धि के माध्यम से होता है।
2. चरित्र व्यक्ति के दृढ़ निर्णय व इच्छा-शक्ति का ही विस्तृत रूप है।
3. चरित्र को व्यक्ति के स्थायी लक्षणों द्वारा व्यक्त किया जाता है।
4. स्वभाव के विपरीत यह एक ग्रहण किया गया लक्षण है।
5. व्यक्ति का चरित्र आचरण (conduct) द्वारा व्यक्त होता है।
6. व्यक्ति के चरित्र में किंचित परिवर्तन (modification) लाया जा सकता है, परन्तु बार-बार परिवर्तित चरित्र को असंगठित चरित्र कहा जाता है।

प्रश्न 3. बुद्धि के प्रकार व इसकी विशेषताएं या प्रकृति लिखिए।

Write down the types and characteristics or nature of intelligence.

उत्तर— बुद्धि को तीन प्रकारों में बाँटा गया है जो निम्न प्रकार हैं—

1. मूर्त या ठोस बुद्धि (Concrete Intelligence)
2. अमूर्त या विस्तृत बुद्धि (Abstract Intelligence)
3. सामाजिक बुद्धि (Social Intelligence)

1. मूर्त या ठोस बुद्धि (Concrete Intelligence) – इसे गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि का संबंध ठोस सामग्री से होता है। जिस व्यक्ति में इस बुद्धि की अधिकता होती है, वह मशीनों या ठोस वस्तुओं में अधिक रुचित रखता है। जैसे— इंजीनियर, टेलर, वादक, चालक आदि।

2. अमूर्त या विस्तृत बुद्धि (Abstract Intelligence) – अमूर्त बुद्धि पढ़ने-लिखने से, पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करने से आती है। यह संख्या एवं शब्दों को समझने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है वे साहित्यकार, डॉक्टर, एडवोकेट आदि बनते हैं।

3. सामाजिक बुद्धि (Social Intelligence) – सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति या अपने व्यवहार से दूसरों पर प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्ति सामाजिक बुद्धि वाले कहलाते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में लोगों को समझने एवं समझदारी से काम कर मानव संबंध बनाने, सहयोग लेने आदि की क्षमता होती है जैसे— राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी आदि।

बुद्धि की विशेषताएँ (Characteristics of intelligence) –

1. बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है।
2. बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त (abstract/ incorporeal) चिन्तन की योग्यता प्रदान करती है।
3. बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण तथा सार्थक क्रियाएं करता है।
4. बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है।
5. बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है।
6. बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करती है।
7. बुद्धि व्यक्ति को कठिन व जटिल समस्याओं के समाधान करने में मदद करती है।
8. बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है।
9. लिंग-भेद से बुद्धि में भिन्नता नहीं आती।
10. बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण/परिवेश (milieu) का प्रभाव पड़ता है।
11. वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षा भी बुद्धि को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न 4. बुद्धि को मापने के परीक्षण एवं उसकी उपयोगिता लिखिए।

Write the test for measurement of intelligent and its uses.

उत्तर— मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं—

1. व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण (Individual Intelligence Test)

2. सामूहिक बुद्धि परीक्षण (Group Intelligence Test)

1. व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण (Individual Intelligence Test) – इस परीक्षण द्वारा एक समय में केवल एक व्यक्ति की ही बुद्धि का मापन (assessment) किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है—

(i) **व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण (Individual Verbal Intelligence Test)**— वे बुद्धि परीक्षण जिसमें समस्याओं को भाषा (शब्दों) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तथा परीक्षार्थी को इनका उत्तर भाषा में ही देना होता है। ये प्रायः कागज, पेंसिल परीक्षण भी कहलाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण निम्न हैं—

- (a) बिने-साइमन बुद्धि परीक्षण, 1908

(b) बिने-साइमन बुद्धि स्केल, 1911

(c) स्टेन फोर्ड-बिने परीक्षण, 1916

(ii) **व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण (Individual Non-verbal Intelligence Test)** – इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वस्तुओं का हर-फेर कर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण शिशु, मानसिक विकलांगता एवं ऐसे व्यक्ति जो भाषा नहीं समझते हैं उनके लिए किया जाता है। इसमें मुख्य परीक्षण निम्न हैं–

(a) पोर्टियस भूलभूलैया परीक्षण

(b) वेश्लर बैल्यूब टेस्ट

(c) भाटिया बैटरी

2. **सामूहिक बुद्धि परीक्षण (Group intelligence Test)** – इन परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण (standardization) सरलता से किया जा सकता है। ये परीक्षण हजारों लोगों पर एक साथ किए जा सकते हैं। ये परीक्षण व्यक्तियों के चयन एवं वर्गीकरण के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं–

(i) **सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण (Group Verbal Intelligence Test)** – इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण का उपयोग एक समूह में व्यक्तियों की बुद्धि का आंकलन या मापन करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य परीक्षण निम्नलिखित हैं–

(a) आर्मी एल्फा टेस्ट

(b) सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण (AGCT)

(c) प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण

(d) जलोटा का सामूहिक परीक्षण

(ii) **सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण (Group Non-Verbal Intelligence)** – इस परीक्षण में भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें उन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शब्द एवं संख्या का प्रयोग नहीं होता है। इस परीक्षण में व्यक्तियों को रिक्त स्थान भरने, समानता एवं असमानता बताने, चित्र पहचानने आदि कार्य दिए जाते हैं। इसमें मुख्य परीक्षण निम्नलिखित हैं–

(a) आर्मी बीटा टेस्ट

(b) शिकागो अशाब्दिक परीक्षण

(c) रेबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण

बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता (Uses of Intelligence Test) – बुद्धि परीक्षणों से निम्न उपयोगिता हासिल की जा सकती हैं–

1. इन परीक्षणों का प्रयोग व्यक्ति की मानसिक योग्यता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

2. मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाने के लिए इन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है।

3. बच्चों को मार्गदर्शन देने में भी यह परीक्षण लाभकारी होते हैं।

4. बुद्धि परीक्षणों द्वारा उद्योगों, संस्थानों में कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के चयन में सहायता मिलता है।

5. इन परीक्षणों से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जा सकता है।

6. इन परीक्षणों से विद्यार्थियों की बुद्धि क्षमता का आंकलन करा जा सकता है।

- बुद्धि परीक्षणों से प्राशासनिक सेवाओं में अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है।
- बुद्धि परीक्षण अनुसंधानों में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

प्रश्न 5. बुद्धिलब्धि (बुद्धिमानी) क्या है? बुद्धिलब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण कीजिए।

What is intelligence quotient? Describe the classification of intelligence.

(Imp.)

उत्तर- सन् 1916 में टरमन् ने साइमन-विने के बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत में संशोधन किया एवं तबसे बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाने लगा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग होता है।

$$\text{बुद्धि लब्धि (I.Q.)} = \frac{\text{मानसिक आयु (M.A.)}}{\text{वास्तविक आयु (C.A.)}} \times 100$$

वास्तविक आयु (Chronological Age) – व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान समय यानि परीक्षण की तिथि तक की आयु को वास्तविक आयु कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2000 को पैदा हुए शिशु की उम्र 1 जनवरी 2016 को 16 वर्ष होगी।

मानसिक आयु (Mental Age) – मनोवैज्ञानिक विने के अनुसार मानसिक आयु किसी व्यक्ति के मानसिक विकास की वह अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किए जाने वाले मानसिक कार्यों से ज्ञात की जा सकती है। मानसिक आयु का वास्तविक आयु से कोई संबंध नहीं होता है।

उदाहरण के लिए एक बालक जिसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, वह 12 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण य समस्या-समाधान में सफल हो जाता है तो इस बालक की मानसिक उम्र 12 वर्ष कहलाएगी जबकि उसकी वास्तविक उम्र 10 वर्ष है।

इसी प्रकार यह बालक 8 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि-परीक्षण में तो सफल हो लेकिन 10 वर्ष के लिए बने बुद्धि परीक्षण में सफल न हो तो इसकी मानसिक उम्र 8 वर्ष कहलाएगी जबकि वास्तविक उम्र 10 वर्ष है।

बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण

बुद्धिलब्धि (I.Q.)	श्रेणी (Category)
140 या इससे अधिक	प्रतिभाशाली
120 से 139 तक	अतिश्रेष्ठ
110 से 119 तक	श्रेष्ठ बुद्धि
90 से 109 तक	सामान्य बुद्धि
80 से 89 तक	मन्द बुद्धि
70 से 79 तक	सीमान्त क्षीण बुद्धि
70 से कम	निश्चित क्षीण बुद्धि
50 से 69 तक	अल्प बुद्धि
20 से 49 तक	मूर्ख बुद्धि
20 या इससे कम	जड़ बुद्धि (Idiot)

समाजशास्त्र की परिभाषाएँ (Definitions of Sociology)

- एल.एफ. वार्ड के अनुसार – समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। (Sociology is the science of Society).
- गिडिन्स (Giddins) के अनुसार – समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। (Sociology is the Scientific Study of Society).
 - एच.पी. फेयर चाइल्ड के अनुसार – समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन है।
 - गिडिंग्स के अनुसार – समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है।
 - दुर्खीम के अनुसार – समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है।

प्रश्न 2. नर्स के लिए या नर्सिंग के क्षेत्र में समाजशास्त्र का क्या महत्व है?

(V. Imp.)

What is the importance of sociology for nurse or in the field of nursing?

उत्तर– नर्सों के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। नर्सिंग पेशे में समाजशास्त्र का निम्न कारणों से महत्व है–

1. **सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन (Socio-cultural Life)** – समाजशास्त्र नर्सों को रोगी के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद करता है। भारत जैसे देश में जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों और पंथों के लोग रहते हैं, रोगी के उपचार से पूर्व उसकी परंपराओं, रीति-रिवाज, विश्वास, मूल्यों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों (cultural pattern) को समझना आवश्यक है।

2. **सामाजिक कारक (Social Factors)** – समाजशास्त्र के अध्ययन से नर्स उन सामाजिक कारकों (social factors) का

पता लगा सकती है, जोकि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या बीमारी उत्पन्न करते हैं।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएँ (Public Health Problem) – Medical Sociology, जोकि समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, के अध्ययन से हम अनेक सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अनेक रोग, जैसे संक्रामक बीमारियां (infectious diseases), हृदय रोग, मधुमेह (diabetes), उच्च रक्तचाप, अल्सर आदि जोकि आधुनिक जीवन-शैली के दबाव व तनाव के कारण होती हैं, के समाधान में आयुर्विज्ञान समाजशास्त्र (Medical Sociology) का ज्ञान बहुत सहायक है।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएँ (National Health Services) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सही उपभोग (utilization) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों (National Health Programmes) के सफल क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक सहभागिता (community participation) एक अत्यन्त आवश्यक घटक है। समाजशास्त्र के ज्ञान से नर्स समुदाय विशेष की स्वास्थ्य आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य समस्याओं को भली प्रकार से जान सकती है तथा लोगों को इन कार्यक्रमों से जुड़ने व उपलब्ध स्वास्थ्य-सेवाओं के बेहतर उपभोग के लिए प्रेरित कर सकती है।

5. स्वास्थ्य-शिक्षा (Health education) – समुदाय में रोगों की रोकथाम (disease prevention) करने व स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करने के लिए लोगों को स्वास्थ्य-शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। स्वास्थ्य-शिक्षा के माध्यम से ही लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आदतों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जा सकता है। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के लिए नर्स को समुदाय विशेष के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, जोकि समाजशास्त्र के अध्ययन से ही सम्भव है।

6. सामंजस्य (Adjustment) – समाजशास्त्र का ज्ञान नर्स को अस्पताल संगठन की परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने, नर्स-रोगी संबंध, नर्स-डाक्टर सम्बन्ध तथा नर्स-जनता संबंध को समझने और उनमें तालमेल बनाये रखने में सहायक है।

7. सामाजिक नियोजन एवं विकास (Social Planning and Development) – समाजशास्त्र हमें सामाजिक समस्याओं को जानने, सामाजिक संस्थाओं में हो रहे परिवर्तनों को समझने और समाज के विकास की योजना बनाने में मदद करता है। सामाजिक नियोजन एवं विकास के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है।

8. सामाजिक संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (Social Structure and Health Services) – समाजशास्त्रीय अध्ययन से परिवार, सामाजिक संरचना तथा समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है और जिसके आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित एवं विपरीत किया जा सकता है।

9. सामाजिक जटिलताएँ (Social Complications) – समाजशास्त्र के अध्ययन से सामाजिक संबंधों में आने वाली जटिलताओं और उनका स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है, साथ ही अन्य बाह्य कारक/कारण जो स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उनका भी पता लगाया जा सकता है।

प्रश्न 3. समाजशास्त्र की शाखाओं का वर्णन कीजिए।

Describe the branches of sociology.

उत्तर – समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएँ निम्न हैं –

1. प्रयोगात्मक समाजशास्त्र (Experimental Sociology) – किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक विषय का अध्ययन प्रयोगात्मक तरीके से ही सम्भव है, जिसमें उस विषय से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण कर उनका विश्लेषण किया जाता है। अन्त में प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धान्तों के रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस शाखा द्वारा ही समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त होती है।

2. व्यावहारिक समाजशास्त्र (Applied Sociology) – समाज में विद्यमान विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र के ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक रूप से समाजशास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है। यह शाखा समाज में समाजशास्त्र

का उपयोग समस्या-समाधान, नीति-निर्माण, समाज-कल्याण योजनाओं आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

3. विशुद्ध समाजशास्त्र (Pure Sociology) – विशुद्ध विज्ञान द्वारा सामग्री का अध्ययन कर उससे निष्कर्ष प्राप्त कर उन्हें सिद्धान्तों का रूप दिया जाता है। विशुद्ध समाजशास्त्र के अन्तर्गत समाज की समस्याओं, परिवर्तनों, व्यवस्थाओं व संस्थाओं से अध्ययन-सामग्री को एकत्रित कर उसका अध्ययन किया जाता है तथा प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धान्त के रूप में समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया जाता है।

4. सामाजिक मनोविज्ञान (Social Psychology) – इस शाखा में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान में समाज के समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।

5. ऐतिहासिक समाजशास्त्र (Historical Sociology) – ऐतिहासिक समाजशास्त्र के अन्तर्गत समाज के भूतकाल, वर्तमान व भविष्य सामग्री का अध्ययन किया जाता है। इसके अन्तर्गत आदिम समाज की व्यवस्था, उसमें हुए परिवर्तन, सामाजिक सम्बन्धों, संस्कृति, उसके वर्तमान व भविष्य के समाज पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

6. सामाजिक मानवशास्त्र (Social Anthropology) – सामाजिक मानवशास्त्रों के अन्तर्गत आदिम समाजों में मानव-विकास अवस्थाओं व मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, साथ ही समाज-निर्माण व सामाजिक अंतर्सम्बन्धों के विकास का भी अध्ययन किया जाता है।

7. सामाजिक अर्थशास्त्र (Social Economics) – सामाजिक अर्थशास्त्र के अन्तर्गत संस्थाओं के विकास, नियमन, कार्यप्रणाली, माँग, उत्पादन, वितरण, आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही आदिम समाज में आर्थिक संस्थाएं व उनके वर्तमान समय में प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है।

8. शैक्षणिक समाजशास्त्र (Educational Sociology) – इस शाखा के अन्तर्गत समाज में शैक्षणिक संस्थाओं के कार्य, महत्व, भूमिका व समाज पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

9. औद्योगिक समाजशास्त्र (Industrial Sociology) – इस शाखा के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों में मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थित मानवीय समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग किया जाता है।

10. चिकित्सीय समाजशास्त्र (Medical Sociology) – चिकित्सीय समाजशास्त्र के अन्तर्गत समाज में उपस्थित मानव-समूहों की स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा स्वास्थ्य पर सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

11. आपराधिक समाजशास्त्र (Criminal Sociology) – इस शाखा के अन्तर्गत समाज के अन्तर्गत घटित होने वाले अपराधों के प्रकार, कारणों व समाज पर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ इनके समाधान के उपाय भी सुझाए जाते हैं।

प्रश्न 3. मानव वृद्धि व विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Explain the difference between human growth and development.

उत्तर-

वृद्धि (Growth)	विकास (Development)
<ol style="list-style-type: none">वृद्धि विकास के अवयवों में से एक है। वृद्धि की प्रक्रिया विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक चरण है। अतः वृद्धि शब्द का प्रयोग संकीर्ण (narrow) होता है।वृद्धि की प्रक्रिया निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है।वृद्धि शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है।	<ol style="list-style-type: none">विकास शब्द का अर्थ बहुत ही विस्तृत है, इसमें वृद्धि भी निहित होती है। शारीरिक विकास के साथ-साथ बौद्धिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास भी होता है।विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत (essential) प्रक्रिया है, जो जीवन-पर्यन्त चलती रहती है।विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व में सम्पूर्ण परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है।

4. वृद्धि की प्रक्रिया के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट देखा जा सकता है, तथा उन्हें नापा भी जा सकता है।

5. वृद्धि के व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है।

4. विकास के परिवर्तन विकास में गुणात्मक पक्ष होने कारण देखे नहीं जा सकते, किन्तु व्यवहार में इसके कारण आए परिवर्तनों को महसूस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विकास को नापा भी नहीं जा सकता है।

5. सभी व्यक्तियों में विकास के स्तरों की समानता होती है, किन्तु इसकी दर, सीमा तथा विभिन्नता में अन्तर होता है।

प्रश्न 4. मानव वृद्धि और विकास में पर्यावरण का प्रभाव समझाइए।

Explain the effect of environment on human growth and development.

उत्तर— मानव-विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर पर्यावरण का प्रभाव (Effect of Environment on Different Stages of Human Development) — रोबर्ट ऑवेन (Robert Owen) के अनुसार, “व्यक्ति का विकास पूर्णतया वातावरण पर निर्भर है। जिस समाज में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, वहां के व्यक्ति अच्छी प्रगति करते हैं।”

1. बाल्यावस्था (Effects of environment on childhood) — यह मनुष्य के जन्म से 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। मनुष्य को जन्म के पश्चात अपने पर्यावरण के साथ अनेक अनुकूलन (adaptation) करने पड़ते हैं, क्योंकि बाहरी वातावरण व माता के शरीर का आंतरिक वातावरण पूर्णतया भिन्न होते हैं। अतः शिशु को माता से बाहर आने के तुरन्त बाद वातावरण से सामंजस्य (adjustment) स्थापित करना पड़ता है तभी वह जीवित रह सकता है।

ओवेन (Owen) ने बाल्यावस्था को निम्न प्रकार विभाजित किया है—

(a) शिशु आयु (Infant age, 0-1 year) — यह बच्चे के पैदा होने से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु पर सर्वाधिक प्रभाव उसके परिवार व माता-पिता का पड़ता है। इस आयु में शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है।

(b) चलना सीखने वाला/छोटा बच्चा (Toddler age) — यह अवस्था 1-3 वर्ष तक की आयु में पाई जाती है, जब शिशु हाथों और पैरों से जमीन पर चलता है। इस अवस्था में बालक पारिवारिक वातावरण के साथ सामाजिक वातावरण के सम्पर्क में आता है। उसमें अन्य आदतों का विकास होता है, जैसे खाना, शौच जाना, नहाना आदि। इस आयु से उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ होती है।

(c) स्कूल पूर्व आयु (Pre-school age) — इस आयु, 3 से 6 वर्ष में वह घर के आस-पास के वातावरण में नये दोस्तों के साथ खेलता है। उसके स्वास्थ्य का निर्धारण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ करती हैं। इस अवस्था में मानसिक विकास ज्यादा होता है। अतः इस आयु में पारिवारिक व सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है।

(d) स्कूल आयु (School age, 6-12 years) — इस आयु में शिक्षा-प्राप्ति हेतु बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, जहां उसे नया वातावरण व नये दोस्त मिलते हैं। यहां शिक्षा द्वारा आदतों व नैतिक व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है। यह अवस्था व्यक्ति के समाजीकरण व अच्छी आदतों के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होती है।

2. किशोरावस्था पर पर्यावरण का प्रभाव (Effect of environment on adolescent) — इस अवस्था (13-19 वर्ष) में व्यक्ति परिवार की अपेक्षा बाहरी वातावरण के सम्पर्क में अधिक रहता है, जैसे स्कूल, कालिज, मित्र, शिक्षक अन्य संबंधी आदि। अतः सामाजिक वातावरण का प्रभाव इस अवस्था में अधिक पड़ता है। बालक पारिवारिक छवि को छोड़कर अपनी पहचान अलग बनाने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में उसके अनदर अच्छे व बुरे विचारों का जन्म भी होता है। कभी-कभी द्वैधवृत्ति (ambivalence) का भी सामना करना पड़ता है, परिणामस्वरूप विद्रोही स्वभाव भी पैदा हो जाता है और वह सामाजिक नियमों को

तोड़ने की कोशिश भी करता है।

किशोरावस्था में भिन्नता घनिष्ठता में बदलने लगती है। किशोर अपनी ही रुचि व स्वभाव में समानता वाले किशोरों को ही अपना मित्र बनाता है, विशेषकर विषम लिंगियों (opposite sex) से मित्रता बढ़ाने की इच्छा प्रबल हो जाती है।

किशोरावस्था में विषम लिंगियों में आकर्षण बढ़ जाने के कारण (किशोर-किशोरी) opposite sex एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए कपड़ों एवं बनाव-शृंगार पर अधिक ध्यान देते हैं। चूंकि लड़कियों में किशोरावस्था लड़कों से पहले आ जाती है, अतः लड़की किसी लड़के की ओर आकर्षित होने लगती है। अतः इस अवस्था में किशोरों (both sexes—male and female) को विषम लिंगियों के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने एवं संबंधों का सही रूप स्थापित करने के लिए अपने से बड़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है।

3. वयस्क अवस्था पर पर्यावरण का प्रभाव (Effect of environment on adult age) – इस अवस्था (20-35 वर्ष) तक व्यक्ति सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण विकसित हो जाता है तथा शैक्षणिक जीवन से गार्हस्थ्य (householder) जीवन में प्रवेश करता है। इस समय तक व्यक्ति पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इस अवस्था में दो कारक (आर्थिक और सांस्कृतिक) व्यक्ति को अधिक प्रभावित करते हैं।

आर्थिक वातावरण द्वारा व्यक्ति के जीवन-स्तर व समाज के प्रकार का निर्धारण होता है अर्थात् समाज में उसकी स्थिति और भूमिका का निर्धारण आर्थिक स्थिति द्वारा होता है।

सांस्कृतिक वातावरण, जैसे— धार्मिक परम्पराएं और कार्य, विवाह, यौन-संबंध, परिवारिक उत्सव आदि कार्य भी व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं।

4. पूर्व वृद्धावस्था पर पर्यावरण का प्रभाव (Effect of environment on early old age) – इस अवस्था (35-60 वर्ष) में व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमता में हास होने लगता है। व्यक्ति आरामपसन्द जीवन व्यतीत करने लगता है। व्यक्ति अधिक सामाजिक व पारिवारिक होता है। इस समय पारिवारिक व आर्थिक समस्याएं अधिक रहती हैं। अतः यदि पारिवारिक व आर्थिक वातावरण ठीक हो तो व्यक्ति का विकास अच्छी तरह से होता है, अन्यथा वह अवसादग्रस्त (dejected) हो सकता है।

5. वृद्धावस्था पर पर्यावरण का प्रभाव (Effect of environment on old age) – इस आयु (60 वर्ष के बाद की आयु) में व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन आते हैं, जैसे, सेवानिवृत्ति, जीवन-साथी की मौत, शारीरिक कमजोरी, आदि। अतः व्यक्ति को नये परिवर्तनों के साथ जीवन को समायोजित (adjustable) करना पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक श्रम छोड़कर धार्मिक प्रक्रिया की ओर आकर्षित होता है, जिससे मानसिक शान्ति (peace of mind) प्राप्त होती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के हर क्षण का व्यक्ति के जीवन के हर पहलू की वृद्धि व विकास पर प्रभाव पड़ता है।

**प्रश्न 5. लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य या जिम्मेदारियों का वर्णन कीजिए
Explain the rights and responsibilities of the individual in democratic society. (Imp.)**

उत्तर— नागरिकों के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights of Citizens) – भारत के संविधान में भी अन्य देशों की भाँति भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) दिये गये हैं। इनका मुख्य कार्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, न्याय व सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान-निर्माण के समय ये अधिकार सात थे, जो बाद में छः कर दिये गए। (सात अधिकारों में से एक अधिकार 'सम्पत्ति का अधिकार' 44 वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया।)

1. समानता का अधिकार (Right to Equality) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद (Article) 14 के अन्तर्गत विधि (law) के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है जिसमें भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। उनकी सुरक्षा व अपराध करने पर दण्ड समान रूप से लागू होगा।

- (a) धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- (b) सरकारी नौकरी या अन्य स्पर्धा में सभी को समान अवसर दिया गया है।
- (c) छुआछूत व अस्पृश्यता (untouchability) का अन्त करना।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) –

- (a) भारत में कहीं भी यात्रा या निवास का अधिकार
- (b) भारत में कहीं भी सम्पत्ति खरीदने व बेचने का अधिकार
- (c) शान्तिपूर्वक व शस्त्रविहीन (weapon-less) प्रदर्शन का अधिकार
- (d) भाषण व प्रकाशन की स्वतंत्रता का अधिकार
- (e) संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता
- (f) कहीं भी कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता
- (g) नजरबन्दी के विरुद्ध अपील करने की स्वतंत्रता

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) –

- (a) किसी भी मनुष्य का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है।
- (b) किसी भी मनुष्य को दास, गुलाम, या बन्दी के रूप में नहीं रखा जा सकता है।
- (c) किसी से उसकी कमाई जबरदस्ती नहीं ली जा सकती है।
- (d) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से व्यावसायिक काम नहीं करवाया जा सकता है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Religious Freedom) –

- (a) कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन व प्रसार कर सकता है।
- (b) व्यक्तियों को धार्मिक संस्थाओं के निर्माण का अधिकार दिया गया है।
- (c) सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- (d) किसी भी व्यक्ति का धर्म-परिवर्तन जबरन नहीं करवाया जा सकता है।
- (e) हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन व दूसरे धर्म का सम्मान करे।

5. सांस्कृतिक व शिक्षा-संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Right) –

- (a) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति, संस्कृति, भाषा व लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है।
- (b) प्रत्येक व्यक्ति सरकारी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
- (c) अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संचालन उनकी संस्कृति अनुसार करना।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – डा. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार – “संवैधानिक उपचारों का होना समस्त संविधान की आत्मा है।”

इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि अपने अधिकारों के हनन होने की स्थिति में वह सरकार के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय (High Court) तथा उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में जा सकता है। अतः न्यायालय का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। यह अधिकार संविधान की आत्मा या हृदय कहलाता है।

अन्य अधिकार (Other Rights) –

- (a) सूचना का अधिकार – प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सरकारी सहायतार्थ अनुदान (grant-in-aid) पाने वाली संस्था से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है।
- (b) प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु के बाद मतदान का अधिकार रखता है।
- (c) कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की आयु के बाद चुनाव लड़ने का अधिकारी होता है।
- (d) समाज के निम्न व पिछड़े वर्ग को आरक्षण (reservation) का अधिकार प्राप्त है।
- (e) खाद्य सुरक्षा के अधिकार के अन्तर्गत भोजन प्राप्त करना।
- (f) प्रत्येक व्यक्ति को योग्यतानुसार सेना में शामिल होने का अधिकार है।
- (g) प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अधिकार है।
- (h) प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता-संरक्षण अधिकार दिया गया है।
- (i) अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं।
- (j) स्वास्थ्य का अधिकार के अन्तर्गत न्यूनतम सेवाओं का लाभ।
- (k) प्रत्येक व्यक्ति को 'आधार-कार्ड,' (व्यक्ति के फोटो, निवास-स्थान, और कार्ड नं. दर्शाने वाला कम्प्युटरीकृत, ऐसा कार्ड, जो लगभग सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान, जहां व्यक्ति को अपने प्रति प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती हो, की पुष्टि करने वाला कानूनी मान्यता प्राप्त है।) बनवाने का अधिकार।

नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारियां (Fundamental Responsibilities of Citizens) – प्रत्येक नागरिकों के कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं, जो निम्न हैं –

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति या सम्प्रदाय को ठेस न पहुँचे।
2. किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो तथा देश व समाज का नाम रोशन हो।
3. प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र व चुनाव-प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाए।
4. प्रत्येक युवा का दायित्व है कि वह अपने देश की रक्षा हेतु सेना में भर्ती हो व अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सहभागिता निभाये।
5. देश में राजनेताओं, सांसदों व पदाधिकारियों को निष्पक्ष (indiscriminate) भाव से जनता की सेवा करनी चाहिए।
6. अल्पसंख्यकों व समाज के निम्न वर्गों का दायित्व है कि वे अपने अधिकारों व योजनाओं का लाभ उठाकर अपना स्तर ऊँचा उठायें, जिससे राष्ट्र के विकास में सहायता मिले।
7. विदेशों में रहने वाले प्रवासी नागरिकों का दायित्व है कि विदेश में अपनी योग्यता व व्यवहार द्वारा देश का मान बढ़ाये।
8. नवयुवकों व सम्पन्न व्यक्तियों का दायित्व है कि आवश्यकता पड़ने पर वह देश के दूसरे नागरिकों की सहायता करें।
9. किसी व्यक्ति को राष्ट्रदोही या आपराधिक घटना की जानकारी होने पर, उसका दायित्व है कि वह पुलिस को सूचित करे।

प्रश्न 1. परिवार का अर्थ लिखकर उसे परिभाषित करें।

Write the meaning of family and define it.

(V. Imp.)

उत्तर- अर्थ (Meaning) – Family (परिवार) शब्द रोमन शब्द *famulus* से लिया गया है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता-पिता, बच्चे, और दास (नौकर) हों। सामान्य अर्थ में परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है, जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। इन रहने वालों में पति-पत्नी व उनकी संतान अनिवार्यतः होती है।

परिवार की परिभाषाएँ (Definitions of Family)

लूसी मेयर के अनुसार – परिवार एक गार्हस्थ्य समूह है, जिसमें माता-पिता व सन्तान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दम्पत्ति व उसकी संतान रहती है।

बीसांज एवं बीसांज के अनुसार – परिवार मौलिक एवं सार्वभौमिक संस्था है। प्रत्येक समाज का जीवित रहना इसी पर निर्भर करता है।

क्लेयर के अनुसार – परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं, जो माता-पिता और उनकी संतानों के बीच में पाया जाता है।

इलियट एवं मैरिल के अनुसार – परिवार पति-पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है।

डेविस के अनुसार – परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो रक्त के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित हैं तथा जो परस्पर नातेदार हैं।

प्रश्न 2. परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए

Explain the characteristics of family.

उत्तर- परिवार की विशेषताओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया हैं –

1. सामान्य विशेषताएँ
2. विशिष्ट विशेषताएँ

सामान्य विशेषताएँ (General Characteristics) –

1. यौन सम्बन्ध (Sex relationship) – परिवार पति-पत्नी का वह यौन-संबंध है, जिसको सामाजिक अधिमान्यता (preference) प्राप्त होती है। विवाहेतर (after the marriage) ही स्त्री-पुरुष को सन्तानोत्पत्ति की अनुमति मिल पाती है। यह सम्बन्ध आजीवन बना रहता है।

2. विवाह का स्वरूप (Form of Marriage) – विवाह के स्वरूप से भी परिवार की प्रकृति का अनुमान लगाया जा

सकता है। इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हो सकते हैं, जैसे— Monogamy (एक पत्नी, एक पति प्रथा), Polyandry (बहुपति प्रथा), Polygyny / polygamy (बहुपत्नी प्रथा)।

3. एक वंशावलिक व्यवस्था (A Genealogical System) — प्रत्येक परिवार में संतानों को एक निश्चित वंशावलिक (वंशनाम) प्रदान किया जाता है। वंश के आधार पर ही परिवारों को मातृवंशीय व पितृवंशीय नामों से जाना जाता है।

4. आर्थिक व्यवस्था (Some Economic Provision) — परिवार के सदस्यों को जीवित रखने व उनके सही रूप से निर्वाह के लिए किसी न किसी अर्थ-व्यवस्था का होना परम आवश्यक है। कृषि, पशुपालन, नौकरी, व्यवसाय आदि के द्वारा आर्थिक साधन जुटाये जाते हैं।

5. सामान्य निवास-स्थान (A Common Habitation) — एक परिवार के सदस्यों के रहने के लिए एक सामान्य घर या निवास-स्थान की आवश्यकता होती है। परिवार पितृस्थानीय (Paternal) या मातृस्थानीय (Maternal) हो सकते हैं।

विशिष्ट विशेषताएँ (Specific Characteristics) —

1. सार्वभौमिकता (Universality) — परिवार एक समिति या संस्था के रूप में संसार में सर्वत्र पाया जाता है। विकसित (developed), अर्द्धविकसित (semi-developed) या अविकसित (non-developed) सभी प्रकार के समाजों में परिवार रूपी समिति के दर्शन किये जा सकते हैं। इसकी सार्वत्रिक प्रकृति के कारण ही इस समिति को सार्वभौमिक कहना उपर्युक्त है।

2. भावात्मक आधार (Emotional Basis) — परिवार यौन-सम्बन्ध, वात्सल्य, बच्चों के लालन-पालन की अभिलाषा, प्रेम, सहयोग, माता-पिता की सुरक्षा तथा ऐसी ही अनेक स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित होता है, जोकि परिवार को अधिक स्थायी, आकर्षक और घनिष्ठ बना देती है।

3. रचनात्मक प्रभाव (Creative Influence) — मैकाइवर एवं पेज के अनुसार— “परिवार सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम सामाजिक पर्यावरण होता है और व्यक्ति के चरित्र निर्माण में इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। शिशु काल में परिवार का जो प्रभाव पड़ता है, वही व्यक्तित्व के आधारों को निश्चित करता है और शारीरिक व मानसिक दोनों ही प्रकार के विकास में सहायक होता है।” इसीलिए कहा गया है कि “अच्छे परिवार में जन्म लेना जीवन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को प्राप्त कर लेना है।”

4. सीमित आकार (Limited Size) — परिवार का आकार अपने मूल रूप में काफी सीमित होता है। पारसन्स ने जनता परिवार की जो चर्चा की है, उसमें पति-पत्नी और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। इस तरह मूल परिवारों की सदस्य संख्या काफी होती है।

5. सामाजिक ढांचे में मूल परिवार (Nuclear Family in Social Structure) — Nuclear family ही समाज का मूल केन्द्र-बिन्दु हैं। अरस्तू और अन्य दार्शनिकों की मान्यतानुसार परिवार सामाजिक संगठन का मूल बिन्दु है। इन्हीं परिवारों से गांव और गावों में विस्तृत समुदायों का निर्माण होता रहा है।

6. सदस्यों का उत्तरदायित्व (Responsibility of Members) — परिवार का प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के कर्तव्यों और अधिकारों से जुड़ा रहता है। पुत्र, पुत्री, माँ, पिता, भाई, बहन आदि अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है।

7. सामाजिक नियंत्रण (Social Control) — परिवार में औपचारिक किस्म का सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। बच्चों व वयस्कों दोनों के व्यवहारों का नियमन (regulation) करना परिवार की सीमाओं में आता है। भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं। सन् 1954 का विशेष विवाह अधिनियम तथा सन् 1955 का हिन्दू विवाह अधिनियम विवाह परिवार का नियमन करते हैं।

8. परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति (Permanent and Temporary Nature of Family) — परिवार दो

प्रकार की प्रकृति के होते हैं— स्थायी एवं अस्थायी। यह आवश्यक नहीं है कि पति-पत्नी का सम्बन्ध आने वाले समय में हमेशा चलता रहे और इसलिए यह कहना उपयुक्त होगा कि परिवार अस्थायी प्रकृति के भी होते हैं। अनेक परिवार काफी समय तक ज्यों के त्यों चलते रहते हैं। मृत्यु ही ऐसे परिवारों को नष्ट करती है। ये परिवार स्थाई परिवार के नाम से जाने जाते हैं।

प्रश्न 3. परिवार के प्रमुख प्रकार विस्तार से समझाइए।

(Imp.)

Describe the main types of family.

उत्तर— परिवार के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जो किसी स्थान की भौगोलिक (geographical), सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। विभिन्न आधारों पर परिवार को निम्न प्रकार से बाँटा जा सकता है—

सदस्यों की संख्या के आधार पर (On the Basis of Number of Members) —

1. केन्द्रीय या एकल परिवार (Nuclear or Alone Family) — यह परिवार का सबसे छोटा रूप है, जिसमें एक पुरुष, स्त्री तथा उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ऐसे परिवार आधुनिक समाजों में बहुतायत से पाये जाते हैं।

2. संयुक्त परिवार (Joint Family) — संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ-साथ एक ही घर में निवास करते हैं। इनकी सम्पत्ति सामूहिक होती है और सभी सदस्य एक-दूसरे के अधिकारों और दायित्वों को निभाते हैं।

3. विस्तृत परिवार (Extended Family) — इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त-सम्बन्धी व अन्य सम्बन्धी भी सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, इस कारण इनमें किसी को भी एक-दूसरे का आपसी सम्बन्ध क्या है, रिश्तेदारी क्या है, इसका ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है।

अधिकारों के आधार पर (On the Basis of Right) —

1. पितृसत्तात्मक परिवार (Patriarchal Family) — ऐसे परिवार में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुष के हाथों में होते हैं, वे ही परिवार का नियंत्रण करते हैं।

2. मातृ-तंत्रात्मक परिवार (Matriarchal Family) — ऐसे परिवारों में अधिकार एवं सत्ता स्त्री में ही निहित होती है। परिवार का नियंत्रण भी स्त्री के ही हाथ में होता है।

निवास के आधार पर (On the Basis of Residence) —

1. पितृ-स्थानीय परिवार (Patrilocal Family) — यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के माता-पिता के साथ रहने लगती है तो उसे पितृ-स्थानीय परिवार कहते हैं।

2. मातृ-स्थानीय परिवार (Matrilocal Family) — विवाह के बाद जब पति, पत्नी के साथ उसके माता-पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, तो उसे मातृ-स्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत में मालाबार के नायर, खासी व गारो जन-जातियों में देखने को मिलते हैं।

विवाह के आधार पर (On the Basis of Marriage) —

1. एक-विवाह परिवार (Management Family) — एक-विवाही परिवार में पुरुष को एक समय में केवल एक ही स्त्री से विवाह की अनुमति होती है। अतः इस प्रकार का परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के मिलन से बनता है।

2. बहु-विवाही प्रथा (Polygamous Family) — ऐसे परिवारों में एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। इसी प्रकार एक पत्नी कई पतियों के साथ एक ही समय में रह सकती है।

प्रश्न 4. परिवार की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या होती हैं?

What are the basic needs of family?

उत्तर- परिवार का निर्माण व्यक्तियों के समूह से मिलकर होता है। अतः जिस प्रकार व्यक्ति को जीवित रहने व प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उसी प्रकार दम्पत्ति द्वारा परिवार की स्थापना, नियमन व संचालन हेतु कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो निम्न हैं—

1. भौतिक आवश्यकताएँ (Physical needs)
2. जैविक आवश्यकताएँ (Biological needs)
3. सामाजिक आवश्यकताएँ (Social needs)
4. मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ (Psychological needs)

1. भौतिक आवश्यकताएँ (Physical needs) — नवदम्पत्ति द्वारा परिवार की शुरूआत करने व उसका नियमन करने हेतु भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, जो इस कार्य हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जैसे, आवास, भोजन, कपड़े, सुरक्षित वातावरण, धन, घरेलू वस्तुएं, इत्यादि।

2. जैविक आवश्यकताएँ (Biological needs) — जीवन जीने के समान ही परिवार निर्माण व नियमन हेतु भी कुछ जैविक आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण होती हैं, जो परिवार को स्थायित्व प्रदान कर उसकी वृद्धि व सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं, जैसे, यौन-संबंध, रोगों से सुरक्षा, नियोजित अभिभावकता आदि।

3. सामाजिक आवश्यकताएँ (Social needs) — चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार का निर्माण भी समाज के अन्तर्गत होता है, अतः परिवार हेतु कुछ सामाजिक आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें व्यक्ति केवल समाज में रहकर ही पूर्ण कर सकता है। जैसे, रिश्तेदारी, सम्मान, पहचान, मनोरंजन, समाजीकरण, सामाजिक सुरक्षा, आदि।

4. मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ (Psychological needs) — स्वस्थ व प्रसन्न परिवार हेतु उस परिवार का वातावरण भी मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है, जिसमें परिवार के सदस्यों की सभी प्रकार की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर उचित मनोवैज्ञानिक वातावरण में उपलब्ध करवाना चाहिए। इसमें व्यक्ति पारिवारिक व सामाजिक बना रहता है, जैसे स्नेह, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व-विकास, जिम्मेदारियां, बौद्धिक विकास, उचित प्रेरणा, आदि।

प्रश्न 8. संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण हैं?

What are the reasons of disintegration of joint family?

उत्तर— संयुक्त परिवार के विघटन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

1. औद्योगिकरण एवं शहरीकरण — औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ग्रामीण परिवेश से लोगों की शहरों की तरफ जाने की प्रवृत्ति पैदा हुई है जिससे गांवों के संयुक्त परिवार टूट जाते हैं।

2. पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव — पाश्चात्य संस्कृति में संयुक्त परिवार का चलन नहीं है उनके प्रभाव से परिवार यहां भी एकल रहना चाहते हैं।

3. नौकरी में स्थानांतरण — नौकरी का स्थानांतरण होने से व्यक्ति को वहां जाना पड़ता है इससे भी संयुक्त परिवार विघटित होता है।

4. गोपनीयता व स्वतंत्रता की आवश्यकता — संयुक्त परिवार में पति-पत्नी में गोपनीयता व स्वतंत्रता का अभाव होता है इसे पाने के लिए परिवार विघटित होता है।

5. परंपरागत कार्यों में कमी — संयुक्त परिवार के परंपरागत कार्यों में कमी आने से उसके सदस्यों को अन्य आर्थिक स्रोतों के लिए अलग रहना पड़ता है।

6. परिवार के मुखिया पर आर्थिक निर्भरता — परिवार के सदस्यों की आर्थिक निर्भरता परिवार के मुखिया पर रहती है, इस निर्भरता को खत्म करने के लिए भी परिवार टूटता है।

7. परिवार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ — संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं नई पीढ़ी के सदस्य जो आधुनिक प्रवृत्ति के हैं वे परंपरागत विचारों, रूढ़िवादी प्रथाओं, अंधविश्वासों का विरोध करते हैं। इससे भी एकल परिवार का उदय होता है।

8. घरेल झगड़े एवं तनाव — बड़ा परिवार होने के कारण उसके सदस्यों में झगड़े होते हैं एवं घर का माहौल

प्रश्न 9. विवाह के विभिन्न स्वरूपों को लिखिए।

(Imp.)

Write the different forms of marriage.

उत्तर— विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है अर्थात् विवाह-संस्था सभी कालों एवं सभी समाजों में विद्यमान रही है, बस अन्तर केवल जीवन-साथी प्राप्त करने की पद्धति और विवाह के स्वरूप में रहा है। कुछ समाजों में बहुविवाह प्रचलित रहा है तो

वहाँ कुछ आदिम समाजों में समूह विवाह की मान्यता रही है। वैसे अगर विस्तृत आंकलन (calculation) किया जाए तो एक-विवाह (Monogamy) प्रथा ही अधिक प्रचलित रही है, विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, संप्रदायों एवं समाजों में। आधुनिक सभ्य समाज में भी विवाह का यही स्वरूप प्रचलन में है। लेकिन एक संस्था के रूप में विवाह के दो स्वरूप (form) हैं—

1. एक-विवाह
2. बहुविवाह

1. **एक-विवाह (Monogamy)** — एक-विवाह तब कहा जाता है जब एक पुरुष केवल एक स्त्री से और एक स्त्री केवल एक पुरुष से विवाह करे। जिन समाजों में सामान्यतया स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात समान होता है वहाँ प्रायः यही प्रथा पाई जाती है।

पिडिंग्टन के अनुसार — एक विवाह, विवाह का वह स्वरूप है, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है।

वास्तव में एक-विवाह सर्वोत्तम लक्षणों में से एक है और आधुनिक सभ्य समाजों में इस प्रकार का विवाह, सभ्यता का सर्वमान्य प्रतिमान बनता जा रहा है। आधुनिक सभ्य समाजों के सम्पर्क में आने के कारण भारतीय जन-जातियों में एक-विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। एक-विवाह सभ्यता की एक उत्तम पराकाष्ठा है, इसीलिए आधुनिक समाज के इस प्रकार के विवाह के लिए मेलिनोवस्की ने लिखा है कि— “एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहा था एवं रहेगा।”

2. **बहुविवाह (Polygamy)** — जब एक पुरुष की एक से अधिक स्त्री हों और एक स्त्री के एक से अधिक पति हों तो इस प्रथा को बहुविवाह प्रथा कहा जाता है। बहुविवाह की प्रथा का वह रूप जिसमें एक स्त्री के एक समय में अनेक पति हों, आज के समाज में अप्राप्य (unobtainable) है, किन्तु प्राचीन समय में कहीं-कहीं प्राप्य (obtainable) थी। किन्तु एक पुरुष की अनेक पत्नियां हों, यह प्रथा संसार में सर्वत्र पायी जाती थी (विशेष कर राजघरानों में, राजा और उसके अनुयायियों में) और आज भी पायी जाती है (बहुधा भारतीय जन-जातियों में और इस्लाम धर्म के अनुयायियों, मुसलमानों में)। बहुविवाह के मुख्यतया दो रूप देखने को मिलते हैं—

(a) **बहुपति विवाह (Polygyny)** — विवाह की यह प्रथा सामान्यतया कम प्रचलित है, किन्तु फिर भी आर्थिक तंगी के कारण सामान्य रूप से यह प्रथा भारत की जन-जातियों में पायी जाती है। भारत की जन-जातियों में धनी व्यक्ति अधिकतर बहु-पत्नी विवाह करते हैं। नागा, गोंड, टोडा तथा मध्य भारत की कुछ जन-जातियों में यह प्रथा पायी जाती है।

(b) **बहु-पति विवाह (Polyandry)** — बहु-पति विवाह, विवाह का वह स्वरूप है, जिसमें एक ही स्त्री के एक ही समय में दो या अधिक पति होते हैं। यह प्रथा भारतीय जन-जातियों में अधिक पायी जाती है। यह जन-जातियां मध्य प्रदेश के नीलगिरि के टोडा, लद्दाख के पहाड़ी भागों में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मण्डी के ऊँचे प्रदेशों तथा केरल व मालाबार के नायरों में पाई जाती है। बहु-पति विवाह के दो प्रकार हैं—

(i) **भ्राता संबंधी बहुपति विवाह (Fraternal Polyandry)** — इस प्रकार के विवाहों में सब पति भाई-भाई होते हैं। जब दो या अधिक भाई एक ही स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर यौन-सम्बन्ध रखते हैं तो उसे भ्राता सम्बन्धी बहुपति विवाह कहा जाता है।

(ii) **अभ्राता सम्बन्धी बहुपति विवाह (Non-fraternal Polyandry)** — अभ्राता सम्बन्धी बहुपति विवाह में पतियों का परस्पर भाई होना अनिवार्य नहीं होता। स्त्री अपने पतियों के पास बारी-बारी से जाती है। जब पत्नी एक पति के पास होती है, उस समय तक उस पर किसी भी दूसरे पति का अधिकार नहीं होता।

प्रश्न 6. संयुक्त एवं एकल परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Differentiate between joint and nuclear family

(V. Imp.)

उत्तर-

संयुक्त परिवार (Joint Family)

1. संयुक्त परिवार में संयुक्त निवास स्थान स्थान होता है।
2. इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें कई परिवार होते हैं।
3. संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं।
4. संयुक्त परिवार में दहेज प्रथा, पर्दा-प्रथा स्त्रियों की निम्न दशा जैसी सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
5. संयुक्त परिवार में गोपनीयता का अभाव होता है।
6. परिवार के अधिक सदस्यों के कारण बच्चों का समुचित पालन-पोषण हो पाता है।
7. परिवार के समस्त कार्य कर्ता की आज्ञा से होते हैं, कर्ता ही परिवार का मुखिया होता है।
8. सामूहिक जीवन के कारण इस परिवार का सदस्य अकेलापन महसूस नहीं करता है।

एकल परिवार (Nuclear Family)

1. एकल परिवार में अलग-अलग निवास स्थान होता है।
2. एकल परिवार का आकार छोटा होता है।
3. एकल परिवार में अधिक से अधिक दो पीढ़ी के सदस्य ही रहते हैं।
4. अधिकतर एकल परिवार ऐसी समस्याओं से मुक्त होते हैं।
5. एकल परिवार में गोपनीयता का तत्व विद्यमान होता है।
6. सदस्य कम होने के कारण बच्चों के पालन-पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
7. परिवार का मुखिया कर्ता ही होता है लेकिन निर्णय आपसी सहमति से ही होते हैं।
8. एकाकी जीवन के कारण इसके सदस्य अकेलापन महसूस करते हैं।

(V. Imp.)

प्रश्न 2. समाज को परिभाषित कीजिए। समाज के प्रकार लिखिए।

Define the society. Write down the types of society.

उत्तर— समाज की परिभाषाएं (Definitions of Society) —

- ई.बी. राइटर के अनुसार — समाज एक अमूर्त अवधारणा है, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है।
- गिडिंग्स के अनुसार — समाज स्वयं एक संघ है। संगठन है। औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबद्ध हैं।
- लापियर के अनुसार — समाज मनुष्यों के समूहों का नाम नहीं, बल्कि यह मनुष्यों के अन्तःसंबंधों की जटिल व्यवस्था है।
- मैकाइवर और पेज के अनुसार — समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।
- आगस्ट काप्टे के अनुसार — समाज एक अत्यधिक जटिल संरचना है।

समाज के प्रकार/वर्ग (Types of Society) — विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर सामाजिक समूहों का

वर्गीकरण किया है, जिनमें से कुछ आधारों पर किये गये प्रकार निम्न हैं—

1. सदस्यों की संख्या के आधार पर (On the Number of Member Basis) —

(a) **छोटे समूह (Small Group)** — छोटे समूह में अन्तःक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है तथा छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के सम्बन्ध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। छोटे समूह के महत्व को स्वीकार करते हुए होमन्स ने कहा है कि, “छोटे समूह आरम्भ से ही समाज के आधार रहे हैं।” छोटे समूहों में सदस्यों की संख्या कम होती, जैसे परिवार, गांव, आदि।

(b) **बड़े समूह (Large Group)** — बड़े सामाजिक समूहों में अन्तःक्रिया छोटे समूहों की तुलना में कम पायी जाती है। बड़े समूहों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जैसे, प्रान्त, राष्ट्र आदि।

2. स्थायित्व के आधार पर (On the Basis of Stability) —

(a) **स्थिर समूह (Permanent Group)** — कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जिनकी हर समय आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे — परिवार, नातेदारी, शिक्षण, संस्थान, आदि। ऐसे समूह स्थायी/स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं।

(b) **अस्थिर समूह (Temporary Group)** — कुछ समूह अस्थायी/अस्थिर प्रकृति के होते हैं, जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, जैसे — भीड़, श्रोता, आदि। ये अस्थिर श्रेणी में आते हैं।

3. ‘हम की भावना’ के आधार पर (On the Basis of ‘We-feeling’) —

(a) **अन्तःसमूह (In-group)** — अन्तःसमूह को ‘हम समूह’ भी कहते हैं। अन्तःसमूह के सदस्यों में ‘हम की भावना’ तथा एकता पायी जाती है। एक अन्तःसमूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं। अन्तःसमूह के सदस्यों में अपने समूह को श्रेष्ठ तथा दूसरे समूह को हीन समझने की भावना पायी जाती है। अन्तःसमूह के सदस्यों के मध्य प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग आदि की भावना विद्यमान होती है।

(b) **बाह्य समूह (Out-group)** — बाह्य समूह को ‘वे समूह’ भी कहते हैं। यह उन व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जो औपचारिक रूप से संगठित हों या न हों, लेकिन उनके प्रति ‘हम समूह’ (अन्तःसमूह) उदासीनता, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखते हैं। बाह्य समूह (out-group) किसी भी अन्तःसमूह (in-group) का विरोधी समूह होता है।

4. कार्यात्मक आधार पर (On the Functional Basis) — व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार के समूह बन जाते हैं। व्यक्ति अपनी शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक, मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों के माध्यम से करता है।

5. सामाजिक संबंधों के आधार पर (On the Basis of Social Relationship) — सामाजिक समूहों के प्रकार / वर्ग का यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक संबंधों की गहनताओं के आधार पर समूहों को दो वर्गों में किया गया हैं—

(a) **प्राथमिक समूह/अनौपचारिक समूह (Primary Group/Informal Group)** — उस समूह को ‘प्राथमिक समूह’ कहा जाता है, जिसके सदस्यों में आमने-सामने के संबंध पाए जाते हैं अर्थात् सदस्य प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं।

(b) **द्वितीयक समूह/ औपचारिक समूह (Secondary Group/Formal Group)** — उस समूह को ‘द्वितीयक समूह’ कहते हैं, जिसके निर्माण के लिए आमने-सामने के संबंध तथा घनिष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। द्वितीयक समूहों में उन गुणों का अभाव पाया जाता है जो ‘प्राथमिक समूह’ में पाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसे यूं कह सकते हैं कि द्वितीयक समूह में जो कुछ भी है वह प्राथमिक समूह में नहीं है।

प्रश्न 8. समूह संरचना व समूह चक्र से आप क्या समझते हैं?

What do you understand with group structure and group cycle?

उत्तर- समूह संरचना (Group Structure) – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य सदस्यों से जुड़ता है और इस प्रकार समूहों का निर्माण करता है। प्रत्येक समूह की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि प्राथमिक समूह की निश्चित सीमाएं होती हैं और सदस्यों की संख्या सीमित होने के कारण इसकी संरचना स्थानिक (local) प्रकृति की होती है। लेकिन द्वितीयक समूह की सदस्य संख्या ज्यादा होने तथा परिणामस्वरूप बढ़ा आकार होने के कारण इसकी संरचना जटिल तथा विस्तृत होती है। समूह संरचना में सदस्यों की भूमिका तथा संबंधों का पदानुक्रम (hierarchy) भी शामिल होता है। इसके साथ ही इसमें संप्रेषण (communication) के माध्यम तथा पदानुक्रम में विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जो निर्णय-निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि समूह में कौन-सी गतिविधियां संचालित की जानी हैं तथा किन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है।

समूह संरचना (group structure) में पदों एवं भूमिका के निर्धारण के अलावा अधिकार कर्तव्यों का भी समुचित वितरण होता है। इसके अतिरिक्त समूह के कुछ निश्चित लक्ष्य, नियम एवं निश्चित कार्य-प्रणाली का होना भी आवश्यक है।

समूह चक्र (Group Cycle) – मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में सामाजिक समूह का सदस्य रहता है, क्योंकि वह समाज से अलग होकर नहीं रह सकता। एक व्यक्ति अनेक समूहों का सदस्य होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार अनेक प्राथमिक अथवा द्वितीयक समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है। एक समूह की सदस्यता विघटित होने पर वह दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, जैसे, जन्म के समय व्यक्ति जिस परिवार तथा पड़ोस समूह का सदस्य होता है। विवाह के बाद वह अपने परिवार का स्वयं निर्माण कर नवीन समूह का गठन कर लेता है और अपना पड़ोस समूह भी बदल सकता है।

अतः ये स्पष्ट हैं कि आयु, उद्देश्य, संस्कृति, रुचि, परिवार, व्यावसायिक हित के अनुरूप व्यक्ति समूहों का निर्माण एवं विघटन करता रहता है। जीवन-पर्यन्त यह समूह -चक्र विद्यमान रहता है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्तियों तथा सामाजिक अन्तःक्रियाओं के लिए समूह चक्र की अनिवार्यता एवं उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

प्रश्न 9. प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(V. Imp.)

Explain the difference between primary and secondary group.

उत्तर-

प्राथमिक समूह (Primary Group)	द्वितीयक समूह (Secondary Group)
<ol style="list-style-type: none">इसमें आमने-सामने के घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग की विशेषता होती है।इसका आकार छोटा होता है।इसके सदस्यों की संख्या कम होती है।इसमें संबंधों में मैं स्थिरता व निरंतरता पायी जाती है।प्राथमिक समूह सरल होते हैं।इसमें 'हम की भावना' पायी जाती है।इसमें संबंध प्रत्यक्ष और अनौपचारिक होते हैं।	<ol style="list-style-type: none">इसमें आमने-सामने के घनिष्ठ संबंधों में कमी होती है।इसका आकार बढ़ा होता है।इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है।इसमें संबंधों में स्थिरता व निरंतरता का अभाव पाया जाता है।द्वितीयक समूह जटिल होते हैं।इसमें 'हम की भावना' का अभाव पाया जाता है।इसमें संबंध अप्रत्यक्ष और औपचारिक होते हैं।

8. इसमें व्यक्तिगत संबंध इच्छानुसार स्थापित किए जाते हैं।

9. प्राथमिक समूह स्थानीय होते हैं।

10. इसमें सामूहिक एवं व्यक्तिगत नियंत्रण पाया जाता है।

11. संबंधों में घनिष्ठता तथा आत्मीयता होती है।

12. इसमें पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध होते हैं।

13. ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूहों की अधिकता होती है।

14. प्राथमिक समूहों के उद्देश्यों में समानता एवं सामंजस्य पाया जाता है।

15. उदाहरण— गाँव, परिवार, पड़ोस, खेल-समूह आदि।

8. इसमें संबंध विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं।

9. द्वितीयक समूह फैले हुए होते हैं।

10. इसमें सामूहिक एवं व्यक्तिगत नियंत्रण कम पाया जाता है।

11. संबंध स्वार्थ आधारित होते हैं, घनिष्ठता का अभाव रहता है।

12. इसमें पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं।

13. नगरीय जीवन में द्वितीयक समूहों की अधिकता होती है।

14. द्वितीयक समूहों के उद्देश्यों में समानता एवं सामंजस्य नहीं होता है।

15. उदाहरण— राजनीतिक दल, नगर, राष्ट्र, सेना आदि।

प्रश्न 10. सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है? समझाइए।

What is the meaning of social changes? Explain.

उत्तर— परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत (essential) एवं अटल नियम है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंश होने के कारण परिवर्तनशील है। समाज एक परिवर्तनशील और गत्यात्मक व्यवस्था है (Society is a changeable and dynamic system)।

मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा, जो परिवर्तन के दौर से न गुजरा हो और पूर्णतः स्थिर और अस्थायी रहा हो। यह हो सकता है कि विभिन्न कालों एवं समाजों में परिवर्तन की प्रकृति, गति एवं स्वरूप में अन्तर रहा हो।

मैकाइवर एवं पेज के अनुसार— समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।

परिवर्तन का सामान्य अर्थ है, किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना। परिवर्तन का संबंध मुख्य रूप से तीन बातों से है—

1. वस्तु (object)
2. समय (Time)
3. भिन्नता (Variation)

1. वस्तु (Object) — परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय अथवा वस्तु से होता है। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, तब हमें यह भी स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस विषय या वस्तु में आ रहा है।

2. समय (Time) — परिवर्तन का समय से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए कम से कम दो समय होने चाहिए।

3. भिन्नता (Variation) — समय के साथ विषय या वस्तु के रंग-रूप, आकार-प्रकार, संरचना-कार्य अथवा अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं।

प्रश्न 11. सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?

What are the main causes affecting social changes?

उत्तर- प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए भी कोई एक या कुछ कारक ही उत्तरदायी (responsible) नहीं है, वरन् यह अनेक कारकों के समूह के प्रभाव से उत्पन्न होता है। निम्न कारक समाज, सामाजिक संस्थान और उसके सांस्कृतिक परिवेश (milieu) के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं—

1. भौगोलिक या प्राकृतिक कारक (Geographical or Natural Factors) — प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों के अन्तर्गत सभी प्राकृतिक वस्तुओं एवं शक्तियों का समावेश (inclusion) होता है, जैसे— जंगल, पहाड़, वर्षा, ऋतुएँ (seasons), पृथ्वी, आकाश, झरने, नदी, समुद्र, भूकम्प, बाढ़, अकाल, आदि। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को निरन्तर प्रभावित करते रहते हैं।

2. जैविकीय कारक (Biological Factor) — जैविकीय कारकों से तात्पर्य उन कारकों से है, जो व्यक्ति को उसके माता-पिता द्वारा वंशानुक्रम (genealogy) से उसे प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य, कद, शारीरिक गठन, शारीरिक और मानसिक क्षमता आदि पर जैविकीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। किसी समाज के लोगों की जन्म-दर एवं मृत्यु-दर, औसत आयु, आदि पर भी जैविकीय कारकों का प्रभाव पड़ता है।

3. प्रौद्योगिकी कारक (Technological Factors) — आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उन उन्नत प्रविधियों (techniques) से है, जो हमें भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी के विकास ने संस्कृति के भौतिक पक्ष के साथ-साथ इस के अभौतिक पक्ष को भी काफी सीमा तक प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यों, दृष्टिकोणों, विचारों, आदर्शों, संबंधों, कला, दर्शन-विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है।

4. आर्थिक कारक (Economic Factors) — आर्थिक कारक भी सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सम्पत्ति का स्वरूप, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति का वितरण, लोगों का जीवन-स्तर, व्यापार चक्र, वर्ग-संघर्ष आदि सभी सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं।

5. महान लोगों की भूमिका (The Role of Great Persons) — सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवर्तन में महापुरुषों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। समाज में जितने भी आन्दोलन हुए हैं, उनके पीछे कोई न कोई क्रान्तिकारी प्रतिभा अवश्य रही है। भारत में समाज-सुधार आन्दोलन में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, आदि महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है।

6. सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors) — संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह सदैव परिवर्तन की अवस्था में रहती है, क्योंकि परिवर्तन इसमें अन्तर्निहित है। यह स्वयं अपनी उत्पत्ति करती है और स्वयं ही विकसित भी होती है। यह सांस्कृतिक परिवर्तन समाज के आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन से भी प्रभावित होता है।

7. अन्य कारक (Other Factors) — निम्न कारक भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं—

- शिक्षा का प्रसार
- प्रजातन्त्र की स्थापना तथा राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण
- धर्म-निरपेक्षता, अवसरों की समानता, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार
- लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
- यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों में वृद्धि
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि

प्रश्न 14. सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ लिखिए।

What is social stratification? Write characteristics of social stratification.

उत्तर- सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य समाज में विभिन्न समूहों को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित करने और उसी के अनुसार सामाजिक संरचना में उनकी स्थिति एवं भूमिका (role) को निर्धारित करने की एक सामाजिक व्यवस्था से है। सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाती है। विकसित और जटिल समाजों में यह प्रक्रिया असंख्य स्तरों का का निर्माण कर रही है। इसकी कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं—

- **टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार** – किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊँचे और नीचे क्रम-विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है।
- **रेमण्ड मुरे के अनुसार** – स्तरीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में, समाज का क्षैतिज विभाजन है।
- **गिस्बर्ट के अनुसार** – सामाजिक स्तरीकरण का आशय समाज की विभिन्न ऐसी स्थायी श्रेणियों और समूहों में विभाजन से है जो उच्चता और अधीनता के संबंधों से परस्पर संबद्ध होती हैं।

सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ (Characteristics of Social Stratification) – सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. यह एक पुरानी प्रक्रिया है जो कई वर्षों से चली आ रही है ताकि समाज में संतुलन एवं उत्पादकता बनाई रखी जा सके।
2. यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में पायी जाती है।
3. स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज में उसका स्थान एवं पहचान प्रदान करती है।
4. यह जीवनशैली तथा जीवन की घटनाओं पर आधारित होती है।
5. सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न पायी जाती है।

प्रश्न 15. सामाजिक स्तरीकरण का महत्व या कार्य क्या हैं?

What are the importance or function of social stratification?

उत्तर- सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य कार्य या महत्व निम्नलिखित हैं—

1. व्यक्ति की आवश्यकतापूर्ति में सहायक।

2. व्यक्ति को अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करना।

3. स्तरीकरण में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को पद प्रदान किये जाते हैं। इससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती और सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं।

4. स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है। व्यक्ति जिस जाति, वर्ग एवं परिस्थिति-समूह का सदस्य होता है, उसके विचार, क्रियाएं एवं मनोवृत्तियां भिन्न-भिन्न होती हैं।

5. स्तरीकरण समाज में शक्ति-संतुलन कायम रखता है।

6. स्तरीकरण में जब एक व्यक्ति को एक निश्चित पद प्रदान कर दिया जाता है तो वह अपने पद को बनाये रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है। इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।

7. स्तरीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित किया जाता है और व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार ही उसे कार्य सौंपे जाते हैं।

8. स्तरीकरण परिवर्तन को प्रोत्साहन देता है।

9. सामाजिक स्तरीकरण में कार्यों का निर्वाह कर सामाजिक एकता एवं संगठन को बनाये रखने में योगदान देता है। इससे वे संघर्ष की स्थिति से बचे रहते हैं।

10. सामाजिक स्तरीकरण में ऊँचे एवं नीचे पदों की व्यवस्था होती है। व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। इससे समाज में नयी सोच पैदा होती है, नये अविष्कार होते हैं और समाज आगे बढ़ता है।

11. स्तरीकरण में समाज के कार्यों का विभिन्न लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। श्रम-विभाजन और विशेषीकरण के कारण कार्यकुशलता बढ़ती है, साथ ही यह सामाजिक एकता एवं संगठन को सुदृढ़ बनाता है।

प्रश्न 17. भारत में प्रमुख सामाजिक समस्याएँ कौन-कौन सी हैं?

(V. Imp.)

What are the main social problems in India.

उत्तर- प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ विघटनकारी तत्व विद्यमान रहते हैं तथा इनसे सामाजिक समस्याएँ पैदा होती रहती हैं। हमारे समाज में भी अनेक सामाजिक समस्याएँ विद्यमान हैं। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य इन सामाजिक समस्याओं को समझना व इनके निवारण में मदद करना है। समाज के विकास में बाधक कुड़ समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. दहेज प्रथा (Dowry)
2. वेश्यावृत्ति (Prostitution)
3. बाल अपराध (Juvenile Delinquency)
4. अपराध (Crime)
5. भ्रष्टाचार (Corruption)
6. जातिवाद (Casteism)
7. साम्राज्यिकता (Communism)
8. मादक द्रव्य व्यसन (Drug Addiction)
9. बेरोजगारी (Unemployment)
10. निर्धनता (Poverty)
11. अविवाहित माताएँ (Unmarried Mothers)
12. विकलांगता (Handicapped Citizen/Disability)
13. गंदी बस्तियाँ (Slums)
14. निरक्षरता (Illiteracy)
15. मद्यपान (Alcoholism)
16. निर्धनता (Poverty)
17. एड्स (AIDS)
18. ग्रामीण ऋणग्रस्तता (Rural Indebtness)

19. बालश्रम (Child Labour)
20. बाल शोषण या बाल दुराचार (Child Abuse)
21. लैंगिक असमानता (Gender Inequality)

प्रश्न 18. दहेज प्रथा पर संक्षिप्त लेख लिखिए।

(Imp.)

Write short notes on dowry.

उत्तर- प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में अन्दान, विद्यादान, जीवनदान, आदि को महत्व दिया गया है। इसके साथ ही 'कन्यादान' भी प्रमुख दान माना जाता था। माता-पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवाह के समय कन्या को आभूषण, वस्त्र व आवश्यक वस्तुएं देते थे, जिससे कि कन्या को गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करते समय समुचित सहायता मिल जाए। जहाँ प्रारम्भ में दहेज स्वैच्छिक था, धीरे-धीरे यह आवश्यक हो गया। फलस्वरूप कन्या का जन्म ही अशुभ माना जाने लगा।

अब दहेज माता-पिता के लिए एक बोझ बन गया है। वर्तमान समय में दहेज प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और इसके फलस्वरूप नारी समाज के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। कन्या का विवाह अब एक 'विकट' समस्या बन गया है। आज दहेज एक प्रकार का सौदा हो गया है।

दहेज प्रथा के कारण (Causes of Dowry System) –

- जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र
- शिक्षित, प्रतिष्ठित व योग्य वर की तलाश
- बाल-विवाह
- लड़कियों के विवाह की अनिवार्यता
- दहेज देने की सामाजिक परम्परा
- धन का महत्व
- दहेज को प्रतिष्ठा से जोड़ना
- स्त्रियों का निम्न सामाजिक स्तर
- स्त्री शिक्षा की कमी
- भौतिकवादी दृष्टिकोण

दहेज प्रथा की बुराइयाँ (Demerits of Dowry System) – इस प्रथा के कारण लड़की व उसके माता-पिता को अनेक असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. **ऋणग्रस्तता (Indebtedness)** – वर-पक्ष की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए लड़की के माता-पिता की अगर कुछ हद तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें दहेज के प्रबन्धन में बड़ी कठिनाई होती है। उन्हें किसी से ऋण लेना पड़ता है, जिसको चुकता करने में वे परेशान हो जाते हैं।

2. **बेमेल विवाह (Unmatched marriage)** – दुर्भाग्यवश ऐसा भी कभी हो जाता है कि योग्य वर न मिलने के कारण (दहेज की अधिक मांग के कारण) माता-पिता को अपनी लड़की का विवाह किसी अयोग्य व बेमेल लड़के (जोकि कम दहेज के कारण मिलता है) से करनी पड़ जाती है, जिस कारण लड़की को मानसिक प्रताङ्गन के बावजूद भी जीवन उस बेमेल वर (पति) के साथ गुजारना पड़ता है।

3. **कष्टपूर्ण वैवाहिक जीवन (Painful Marital Life)** – अधिकतर देखने में आता है कि पर्याप्त दहेज न दे पाने के कारण लड़कियों को अपने ससुराल में काफी कष्टपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन फिर भी वे अपने माता-पिता की खुशी के

कारण अपने दाम्पत्य जीवन को येनेकेन प्रकारेण निभाती ही हैं।

4. आत्महत्याएं (Suicides) – लड़कियां अपने माता-पिता को कभी परेशान नहीं देख सकतीं, यह उनका नैसर्गिक गुण है। परिणाम यह होता है कि बहुधा जब लड़कियों के योग्य वर की तलाश में उसके माता-पिता परेशान हो जाते हैं और उन्हें जब अपना आत्मसम्मान भी गवाने की नौबत आ जाती है, महज एक दहेज-प्रबंधन के लिए, तो लड़कियां ये बर्दाश्त नहीं कर पातीं और भावातिरेक (emotion) लड़कियों की आत्महत्या के रूप में आता है।

5. कन्या भूण-हत्या (Girl Foeticide) – दहेज की गंभीर समस्या के कारण अनेक माता-पिता कन्या को गर्भ में ही मार देते हैं।

दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपाय (Measures to Eradicate Dowry System)

- केन्द्र सरकार ने 20 मई 1961 को 'दहेज निषेध अधिनियम' (Dowry Prohibition Act 1961) पारित किया। 1984 व 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किये गये इस अधिनियम में दहेज लेना व देना अपराध माने गये हैं।
- बाल-विवाह पर रोक व विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कियों की 18 वर्ष व लड़कों की 21 वर्ष की गई है।
- अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन
- युवक-युवतियों को आत्म-निर्भर होने पर विवाह का प्रावधान (provision)
- स्त्री शिक्षा (विशेषकर उच्च शिक्षा) को बढ़ावा
- दहेज लेने व देने व उसको बढ़ावा देने वाले का सामाजिक बहिष्कार
- दहेज-विरोधी स्वस्थ जनमत तैयार करना।

प्रश्न 19. वेश्यावृत्ति क्या है? वेश्यावृत्ति के कारण, दुष्परिणाम एवं नियंत्रण के बारे में लिखें।

What is prostitution? Write down its causes, evil consequences and measures for control.

उत्तर— वेश्यावृत्ति स्त्रियों की एक प्रमुख सामाजिक बुराई है, जो अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वेश्यावृत्ति यौन-तृप्ति का एक विकृत एवं घृणित साधन माना गया है। वेश्यावृत्ति अवैध यौन-संबंधों पर आधारित कमाने का एक तरीका और आजीविका का संबंध है। इस प्राचीन व्यवसाय का वर्तमान में व्यापारीकरण हुआ है।

वेश्यावृत्ति के कारण (Causes of Prostitution) — वेश्यावृत्ति के अनेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविकीय और मनोवैज्ञानिक कारक जिम्मेदार हैं, जो संक्षेप में निम्न हैं—

1. वेश्यावृत्ति का मूल कारण 'पुरुषों की यौन इच्छा' (sexual desire) का होना तथा इस इच्छापूर्ति के लिए स्त्रियों की माँग है। अविवाहित पुरुषों के लिए जहां वेश्यावृत्ति यौन इच्छाओं की तृप्ति का सरलतम साधन है, वहीं विवाहित पुरुषों के लिए यह यौन क्रियाओं में रोचकता व विविधता अनुभव करने का साधन है।

2. स्त्रियों की यौन-इच्छा भी वेश्यावृत्ति का एक अन्य प्रमुख कारण है। आज बहुत-सी स्त्रियां इसलिए वेश्याएँ हैं कि किसी समय वे अपनी यौन-इच्छाओं को दबाना सकतीं और पुरुषों के फुसलाने से इस धन्धे में आ गयीं।

3. विधवा-विवाह का अभाव

4. बाल-विवाह

5. दहेज-प्रथा

6. यौन-क्रिया पर बल

7. परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति

8. आर्थिक दृष्टि से महिलाओं का पुरुषों पर आश्रित होना
9. जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की इच्छा
10. वैवाहिक जीवन में तनाव (conflict in marital life)
11. देरी से विवाह होना (delay in marriage)
12. परिवार से लम्बे समय तक दूर रहना
13. Craving of high profile living (सुख-समृद्धि युक्त आरामदायक जीवन-यापन की लालसा)
14. भौतिक सुख की प्राप्ति हेतु एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ (competition)
15. उचित मार्ग-दर्शन का न मिलना
16. नैतिक मूल्यों का हास (lack of moral values)

वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम (Evil Consequences of Prostitution)

1. व्यक्ति और समाज का नैतिक अधःपतन
2. वैयक्तिक विघटन (Personal disintegration)
3. पारिवारिक विघटन
4. समाज में नैतिक मूल्यों का हास, दुराचार व अनैतिकता का बढ़ना
5. मद्यपान (drinking), जुआ, चोरी-डकैती, हत्या, आदि अपराधों को प्रोत्साहन
6. महिलाओं की शारीरिक व मानसिक शक्ति का दुरुपयोग
7. महिलाओं के व्यक्तित्व का कुंठाग्रस्त हो जाना
8. अवैध सन्तानों की उत्पत्ति की समस्या
9. एड्स (AIDS) और संचारी रोगों (STDs) के प्रसार में वृद्धि

वेश्यावृत्ति नियंत्रण के उपाय (Measures to control prostitution) –

1. आर्थिक समस्याओं से ग्रसित महिलाओं के जीवकोपार्जन हेतु विकल्प उपलब्ध कराना ताकि वे वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर न हों।
2. महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें स्वयं की आजीविका उपलब्ध कराने की कोशिश करना।
3. वेश्यावृत्ति को छोड़ने वाली महिलाओं के लिए आवासीय, सामाजिक, आर्थिक व पुर्नवास के लिए सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराना।
4. स्कूल व कॉलेज में यौन शिक्षा का अनिवार्य होना ताकि विद्यार्थियों को यौन संबंधित अच्छाईयों व बुराईयों का पता चल सके।
5. कानूनों का कड़ा होना ताकि किसी को भी जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने वाले को कड़ी सजा मिल सके।

प्रश्न 20. निम्नलिखित पर लेख लिखिए—

Write down the notes on following.

अविवाहित माताएँ (Unmarried Mothers)

कच्ची बस्तियाँ (Slums)

गरीबी/निर्धनता (Poverty)

विकलांगता (Disability)

उत्तर-

अविवाहित माताएँ

(Unmarried Mothers)

अविवाहित माताएँ, यह समस्या विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। भारत में भी यह समस्या बढ़ रही है। विवाह से पूर्व किसी स्त्री के माँ बनने को अविवाहित माता कहते हैं। भारत में इसे कलंक के रूप में देखते हैं व इसे किसी भी धर्म व समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है।

कारण (Causes) —

- लिंब-इन रिलेशनशिप में रहना
- यौन शिक्षा की कमी
- पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव
- प्यार में धोखा खाना
- यौन स्वच्छतादता चाहना
- बालात्कार के कारण
- विवाह न करने की इच्छा लेकिन मातृत्व पाने की इच्छा
- एकाकी जीवन
- मानसिक रूप से विक्षिप्त युवतियाँ

अविवाहित माताओं पर दुष्प्रभाव (Ill-effects of being Unmarried Mothers) —

- मानसिक व शारीरिक कष्ट
- समाज द्वारा बहिष्कार
- परिवार द्वारा त्यागना
- आर्थिक संकट
- असुरक्षा की भावना
- बच्चे के पालन-पोषण में कठिनाई
- असुरक्षित भविष्य

रोकने के उपाय (Preventive Measures) —

- नैतिक व मूल्य स्तर को उच्च बनाना
- अच्छी यौन शिक्षा प्राप्त करना
- अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना
- विवाह से पूर्व संबंध नहीं बनाना
- विवाह से पूर्व संबंध बनाते वक्त अनचाहे गर्भ से बचने के लिए उपयुक्त साधन इस्तेमाल करना, जैसे— कण्डोम आदि।

कच्ची बस्तियाँ

(Slums)

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के अनुसार देशों में शहरी आबादी का 33% कच्ची बस्तियों (slums) में रहता है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले सहारा, अफ्रीका में सबसे ज्यादा 61.7%, दक्षिण एशिया में 35%, पश्चिम एशिया में 24.6%, पूर्व एशिया में 28.2%, और लैटिन अमेरीका में '23.5% हैं।

कच्ची बस्तियाँ पनपने के कारण (Causes of Slum Development)

- तेजी से ग्रामीण अंचलों से शहरों की ओर पलायन (migration)
- बढ़ती निर्धनता
- गाँवों में बेरोजगारी की अधिकता
- नगरीय आकर्षण
- गरीबी
- भौगोलिक गतिशीलता (Geographic mobility)
- सरकारी सुविधाएं
- प्राकृतिक आपदाएं (disasters) और सामाजिक संघर्ष

कच्ची बस्तियों से उत्पन्न समस्याएं (Problems onset from Slum)

कच्ची बस्तियों में अत्यधिक भीड़-भाड़ से ध्वनि-प्रदूषण, स्वच्छता की कमी, हवा की गुणवत्ता में गिरावट, संक्रामक रोगों में वृद्धि, जल-आपूर्ति और स्वच्छता-सुविधा का अभाव, उचित सीवेज (sewage) सेवाओं का अभाव, अपराध और अन्य सामाजिक समस्याएं, जैसे— गरीबी, अशिक्षा, जयादा प्रजनन-दर, मादक पदार्थों का सेवन, आदि।

कच्ची बस्ती निवारण के उपाय (Measures to Prevention of Slum Problems)

- मलिन बस्तियाँ हटाने, झुग्गी-झोपड़ी हटाने और उनके लिए स्लम पुनर्वास जैसी योजनाएं क्रियान्वित हैं।
- गाँवों में रोजगार व सुविधाओं के अवसर उपलब्ध करवाना।
- बुनियादी व्यवस्थाओं के विकास के साथ शहरी नियोजन और सार्वजनिक आवास परियोजनाओं का एक संयोजन शामिल है।
- मलिन बस्तियों की समस्या को सुलझाने में शहरों की पुनः सुधारात्मक डिजाइन की आवश्यकता है।

गरीबी/निर्धनता

(Poverty)

गरीबी भारत की एक प्रमुख समस्या है जो वर्षों से निरंतर बनी हुई है। निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो व्यक्ति और उनके आश्रितों को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने के लिए आवश्यक है अर्थात् जब एक व्यक्ति दिन-प्रतिदिन की अपनी व अपने आश्रितों की आवश्यकताओं को बड़ी कठिनाई से पूरा कर पाता है व उन्हें मानसिक, भौतिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने में असक्षम होता है तो उसे निर्धनता या गरीबी कहते हैं।

गरीबी के कारण (Causes of Poverty) –

व्यक्तिगत कारण (Individual Causes) –

- बीमारी
- मानसिक रोग
- दुर्घटना या दीर्घकालिक रोग
- आलस्त्य
- अपब्यय
- मादक द्रव्य/औषधि व्यवसन
- बुरी संगत
- परिवार नियोजन का अभाव एवं परिवार में अधिक संतानें

भौतिक कारण (Physical Causes) —

- प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा जैसे— भूकंप, बाढ़, दंगे या हड़ताल आदि।
- कृषि के लिए प्राकृतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुविधाओं का अभाव
- बेरोजगारी
- आर्थिक उतार-चढ़ाव
- राष्ट्र की हानिकारक आर्थिक नीति
- क्षेत्रों का असमान विकास

सामाजिक कारण (Social Causes) —

- अज्ञानता व अशिक्षा
- सामाजिक कुप्रथाएँ
- जनसंख्या विस्फोट
- दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली
- अज्ञानता व अशिक्षा
- दोषपूर्ण जाति-व्यवस्था

गरीबी के दुष्प्रभाव (Bad Effect of Poverty) —

- अपराधों में वृद्धि
- बाल-अपराधों में वृद्धि
- भिक्षावृत्ति (भीख मांगना) को बढ़ावा
- आर्थिक संकट
- शारीरिक व मानसिक विघटन
- समाज में निम्न स्तर
- शारीरिक व मानसिक विघटन
- आत्म-हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति
- अशिक्षा

गरीबी उन्मूलन हेतु उपाय (Measures to Eradicate Poverty) –

- लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों तथा लोग आत्मनिर्भर हो सकें।
- परिवार-नियोजन पर अधिक बल दिया जाए ताकि परिवार सीमित हों और वे अच्छा जीवन-यापन कर सकें।
- कृषि को उन्नत बनाया जाए, किसानों को आधुनिक तकनीकों का ज्ञान देकर, सिंचाई, बिजली, यूरिया, खाद्य आदि की उचित व्यवस्था हो जिससे किसान की आर्थिक समृद्धि हो सके।
- देश में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं व अंधविश्वासों को दूर किया जाना चाहिए।
- गरीबों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ बढ़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपनी शारीरिक व मानसिक विकारों को दूर करा सकें।
- शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए खासतौर से लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए।
- सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं।
- गरीबों को सस्ती दरों पर घरों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे गंदी बस्तियों को छोड़ सकें।
- श्रमिकों के हित में कानून बनाना ताकि पूँजीपति उनका शोषण न कर सकें।

विकलांगता/अपगंता/दिव्यांग (Disability)

जो व्यक्ति जन्म से या दुर्घटना के कारण शारीरिक विकृतियों तथा मानसिक अक्षमताओं से पीड़ित है, विकलांग अथवा दिव्यांग (handicapped/disabled) कहलाता है।

विकलांगों का वर्गीकरण (Classification of Handicapped/Disabled Persons) –

- 1. शारीरिक विकलांगता (Physical Disability) –** ये निम्न हैं, जो जन्मजात या दुर्घटनावश हो सकती हैं—
 - मूँक/गूँगा होना
 - बहरा होना
 - अंधा होना
 - लंगड़ा होना
- 2. मानसिक विकलांगता (Mental Disability) –** ये भी जन्मजात या दुर्घटनावश हो सकती हैं—
 - जिनका IQ 70 से कम हो
 - सीखने की क्षमता का अभाव
 - बौद्धिक क्षमता का अभाव

विकलांगता के कारण (Causes of Disability) – विकलांगता के दो मुख्य कारण हैं—

1. जैविक कारण (Biological Causes)

- जन्मजात विकार
- गर्भविस्था में संक्रमण
- आनुवांशिक या पारिवारिक कारण
- जन्म के समय चोट लगाना

- शरार में रोग उत्पन्न होने के कारण

2. सामाजिक कारण (Social Causes) —

- हादसा या दुर्घटना
- औषधि / मादक द्रव्य व्यसन
- बाल शोषण
- अनाथ, निराश्रित व तिररकृत होने से

विकलांग नागरिकों की सहायता हेतु उपाय (Remedial Measures for Handicapped Citizen) —

1. पुनर्वास केन्द्र (Rehabilitation Centres) — शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता में

सुधार या कम करने के लिए पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जहां उपचार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यमों से यह प्रयास किया जाता है कि विकलांग व्यक्ति जहां तक सम्भव हो सामान्य जिन्दगी जी सकें और आत्म-निर्भर बनकर समाज के उपयोगी नागरिक बनें।

2. विकलांग बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम (Educational Programme for Handicapped Children) — विकलांग बालकों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित किये गये हैं, साथ ही मन्दबुद्धि या मानसिक रूप से कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए भी विशेष विद्यालय खोले गये हैं, जहां विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक विकलांग बच्चों को शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि विकलांग व मन्दबुद्धि बालक सामान्य कार्यों में आत्म-निर्भर बन कर सम्मानजनक जीवन-यापन कर सकें। इस क्षेत्र में कुछ स्वैच्छिक संगठन भी सम्मिलित हैं जिन्हें समाज कल्याण मंत्रालय से अनुदान एवं सहायता मिलती है।

3. संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Protection) — भारतीय संविधान विकलांगों को उनके काम, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता के अधिकार दिलाने हेतु राज्यों की सरकारों को निर्देश देता है। भारत में विकलांगों के हित से संबंधित मुख्य तथा निम्न कानून हैं—

- (a) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council) को वैधानिक दर्जा दिया गया है। यह परिषद विकलांगों के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के लिए चल रहे कार्यक्रमों तथा संस्थाओं को नियंत्रित करता है।
- (b) विकलांग व्यक्ति को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 बनाया गया है। यह अधिनियम सर्वाधिक व्यापक है जो विकलांगों के लिए समग्र दृष्टिकोण रखता है। इसके मुख्य प्रावधान निम्न हैं—
 - सरकारी नौकरियों में विकलांगों को 3% आरक्षण दिया जायेगा।
 - सरकार का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक विकलांग को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे।
 - विकलांगों को घर बनाने, उद्योग स्थापित करने, विद्यालय या अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
 - इनके लिए रोजगार, विशेष बीमा पालिसियाँ तथा बेकारी भत्ते की व्यवस्था की जायेगी।
 - इस अधिनियम के अनुसार एक न्यास (trust) की स्थापना की गयी है, जो विभिन्न विकलांगता से पीड़ित लोगों के पारिवारिक संरक्षण को सुदृढ़ बनायेगा तथा जिन्हें पारिवारिक सहारा नहीं उपलब्ध है उनकी देखभाल करेगा।

प्रश्न 21. मादक द्रव्य/औषधि व्यसन तुरुपयोग क्या है? इसके लक्षण कारण व कुप्रभाव लिखिए।

What is drug addiction? Write its characteristics, causes and bad effect.

(V. Imp.)

अथवा

मादक औषधि व्यसन और मादक पदार्थों का दुरुपयोग क्या है?

मादक औषधि व्यसन के चिह्न एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए।

What is drug addiction and drug abuse?

Describe sign and symptoms of drug addiction.

उत्तर- मादक द्रव्य ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन द्रव्यों के सेवन से कुछ समय के लिए व्यक्ति मानसिक तनाव व चिन्ताओं से मुक्ति का आभास पाता है। यहाँ तक कि उसका विषाद एवं कष्ट कम हो जाता है तथा उसे अस्थायी शान्ति, उल्लास एवं आनंद का अनुभव होता है। परन्तु धीरे-धीरे इनके सेवन से व्यक्ति को इनकी लत लग जाती है तथा वह इनका आदी (addict) हो जाता है।

औषधि-व्यसन के चिह्न एवं लक्षण (Sign and Symptoms/Characteristics of Drug-addiction) –

- नशा करना आदमी को मजबूर कर देता है कि वह नशा करे। इसीलिए नशेड़ी किसी भी साधन (उचित या अनुचित) से मादक द्रव्य/औषधि प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- नशे में एक प्रवृत्ति यह भी होती है कि इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जाती है।
- नशा करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मादक द्रव्य पर ही निर्भर हो जाता है।
- व्यक्ति की खान-पान एवं एवं निद्रा की आदतें अनियमित हो जाती हैं।
- व्यक्ति अनुत्तरदायित्वपूर्ण / गैर-जिम्मेदाराना (irresponsible) व्यवहार करता है।
- व्यक्ति की शक्ति कमजोर हो जाती है।
- व्यक्ति की इच्छा शक्ति (will-power) बहुत कमजोर हो जाती है।
- व्यक्ति की शारीरिक/मानसिक शक्ति की क्षमता/सामर्थ्य (stamina) शिथिल हो जाती है।

मादक द्रव्य/औषधि व्यसन के कारण (Causes of Drug-addiction)

- औद्योगीकरण / नगरीकरण से उत्पन्न नयी जीवन-शैली
- तनाव, निराशायुक्त जीवन तथा भावात्मक सहानुभूति का अभाव
- व्यक्तिवाद, स्वच्छन्ता (arbitrariness) एवं उन्मुक्तता (unrestrictedness) का बढ़ना
- माता-पिता दोनों का नौकरीपेशा होना और घर में उनकी अनुपस्थिति में किसी बड़े, बूढ़े या बुजुर्ग का न होना कि बालक स्कूल के बाद का समय उनके साथ बिता सके।
- संयुक्त परिवारों का टूटना एवं एकल परिवारों का चलन में होना।
- मादक पदार्थों की सहज उपलब्धि
- संश्लिष्ट (synthesised) मादक पदार्थों का निर्माण
- बुरे दोस्तों की संगति
- उत्सुकता की संतुष्टि हेतु मादक पदार्थों का सेवन
- दुःखदायी रोगों से छुटकारा पाने हेतु मादक पदार्थों का सेवन
- पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव

- ड्रग-माफियाओं का विश्वव्यापी जाल

मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के कुप्रभाव (Bad Effects of Drug-abuse) –

इस व्यसन (addiction) का व्यक्ति और समाज पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, जो निम्न हैं–

1. वैयक्तिक दुष्प्रभाव (Individual Effects) –

- शारीरिक बीमारियां, जैसे— तंत्रिका-तंत्र से संबंधित खराबी, पाचन-तंत्र, जिगर संबंधी बीमारी, गठिया, दया, क्षय रोग, कैंसर, आदि।
- मानसिक बीमारियां, जैसे— मानसिक दक्षता में कमी, तंत्रिका-तंत्र का नष्ट होना।
- मानसिक दुर्बलता, क्रोध, संदेह, उत्तेजना, स्मृति-नाश, आदि
- वैयक्तिक विघटन (individual disintegration)

2. पारिवारिक विघटन (Family Disintegration) –

- धन, समय, शक्ति का ह्रास
- पारिवारिक दायित्वों से पलायन
- पारिवारिक सदस्यों से झगड़ा, तनाव
- संबंध-विच्छेद (तलाक)
- बच्चों का भगोड़ा व आवारा हो जाना

3. सामाजिक विघटन (Social Disintegration)

- चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, आत्महत्या, मारपीट, बाल-अपराध, यौन-अपराध एवं जुआबाजी, वेश्यावृत्ति आदि अपराध में वृद्धि।
- सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का पतन
- गरीबी, बेकारी आदि का पनपना
- कार्यक्षमता का घटना
- औद्योगिक एवं यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में वृद्धि
- सामाजिक परम्पराओं एवं मर्यादाओं का ह्रास
- भ्रष्टाचार का पनपना व कानून की अवहेलना होना। प्रत्यक्ष-बोध की जाने वाली वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक या नकारात्मक है तो प्रत्यक्ष-बोध कुछ बड़ा/अधिक होता है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण तटस्थ (neutral) होता है, तो उनका प्रत्यक्ष-बोध छोटा होता है।

प्रश्न 22. बाल अपराध से आप क्या समझते हैं?

What do you understand with juvenile delinquency?

उत्तर— किशोर अपराध आज के समय की एक बहुत ही खतरनाक और प्रमुख समस्या है। किशोर अपराध का सीधा-सा अर्थ है कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों से ऐसा दुर्व्यवहार हो जाए जो तय की हुई कानूनी सीमाओं को लांघता हुआ अपराध की श्रेणी में आ जाए।

किशोर अपराध के कारण (Causes of Juvenile Delinquency) – किशोर अपराध के दो मुख्य कारण हैं—

1. जैविक कारक (Biological Factors)

2. सामाजिक और वातावरणीय कारक (Social and Environmental Factors)

1. जैविक कारक (Biological Factors) – ये निम्न हैं–

- आनुवांशिक कारक (Genetic Factors)
- हार्मोनल कारक (Hormonal Factors)
- व्यक्तित्व कारक (Personality Factors)
- मंदबुद्धि (Low Intelligence)
- विकलांगता (Physically Handicapped)
- उच्च ग्लूकोज स्तर (High Glucose Level)
- निम्न स्वास्थ्य स्तर (Health Deficiency/Low Health Level)

2. सामाजिक और वातावरणीय कारक (Social and Environmental Factors) – ये निम्न हैं –

- निम्न आर्थिक स्तर (Low Economic status)
- एकल परिवार (Nuclear Family)
- नाजायज संतान (Illegal progeny)
- टूटा परिवार (Shattered Family)
- अनियंत्रित इच्छाएँ (Uncontrollable Desire)
- खराब पारिवारिक व सामाजिक परिवेश (Bad Familial and Social Milieu)
- अत्यधिक यौन-इच्छाएं (Excessive Sex-desires)
- गलत व अपूर्ण शिक्षा (Wrong and Inadequate Education)
- सांस्कृतिक संघर्ष (Cultural Conflicts)
- पारिवारिक इतिहास (Family History)
- मद्य-पान आदी और नशा करने वाला/ औषधि व्यसनी (Habitual of drinking and Drug-addict)
- अश्लील साहित्य और चलचित्र का प्रभाव (Effect of porn literature and cinema)

किशोर अपराध रोकने के उपाय (Preventive Measures for Juvenile Delinquency)

1. स्थानीय लोगों द्वारा अपने आस-पास के वातावरण को बदलने में सहयोग करना चाहिए।
2. समुदाय में लोगों को बाल अपराधों के प्रति जागरूक करना चाहिए।
3. समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार-पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलिविजन, चलचित्रों का प्रयोग करना चाहिए।
4. बच्चों के प्रति अभिभावक का प्रेम और स्नेह होना चाहिए।
5. पारिवारिक वातावरण सही होना चाहिए।
6. समाज में स्थानीय पुलिस द्वारा कानून को बलपूर्वक लागू करना चाहिए तथा कानून तोड़ने वाले के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान करना चाहिए।
7. किशोर अपराधियों को अपराध करने पर जेल नहीं भेजा जाता है, बल्कि उन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुधरने हेतु वाल सुधारगृह (Child Correction Home) में भेजा जाता है। जहां उन के व्यवहार व विचारों में परिवर्तन लाया जाता है।

प्रश्न 23. बाल शोषण को परिभाषित कीजिए। इसके कारण एवं रोकथाम का वर्णन कीजिए।

What is child abuse? Describe its causes and treatment.

उत्तर- **बालशोषण (Child Abuse) –** अभिभावकों, माता-पिता, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे के शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक या मानसिक विकास के लिए दुर्ब्यवहार करना बाल शोषण या बाल प्रताड़ना कहलाता है।

बालशोषण के कारण (Causes of Child Abuse) –

- परिवारिक झगड़े
- परिवार में तनाव
- मानसिक रोग
- अवाञ्छित गर्भधारण
- गरीबी

शोषण के चेतावनी चिन्ह (Warning Signs of Abuse) –

- पूर्व की चोट के निशान अथवा चोट के घाव
- खरोंच
- दांत के काटने के निशान
- जलने के निशान
- सिर में चोटों के निशान
- चोटों के इलाज के लिए बार-बार स्वास्थ्य केन्द्र आना
- यौन शोषण में त्वचा, मुख, मलद्वार, बाह्य जननांगों पर चोटों के निशान।

शोषित बच्चों में प्रवृत्तियाँ (Trends in Abused Child) –

- अस्वीकार्यता (Rejection)
- भयभीत रहना
- आक्रामक व्यवहार करना
- बिस्तर गीला करना
- शैक्षणिक प्रदर्शन में अचानक कमी आना
- बार-बार मूत्र-मार्ग संक्रमण होना
- समस्याग्रस्त स्वभाव
- आदतन रोना
- मानसिक अवभेदन

रोकथाम (Prevention) –

1. शारीरिक चोटों व संक्रमण के लिए चिकित्सीय उपचार कराना।
2. अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का लाक्षणिक उपचार कराना।
3. प्रताड़ना व शोषण का शक होने पर कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस को सूचित करना।
4. अगर शोषण घर के किसी सदस्य द्वारा किया गया है तो बालक को उससे दूर रखना।

5. आवश्यक कार्यवाही हेतु महिला एवं बाल आयोग को सूचित करना।
6. बच्चे को भविष्य में शोषण से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करने चाहिए।

प्रश्न 24. बाल श्रम को परिभाषित कीजिए।

(Imp.)

बालश्रम के कारण लिखिए।

बालश्रम को कैसे रोका जा सकता है?

Define child labour.

Write down causes of child labour.

How child labour can be stopped.

उत्तर— बालश्रम (Child Labour) — व्यापार, उद्योग व सेवा आदि क्षेत्रों में बच्चों द्वारा बचपन में दी गई सेवा को बाल मजदूरी या बाल श्रम कहा जाता है। बाल श्रम सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं मानसिक सभी दृष्टिकोण से बच्चों की वृद्धि एवं विकास में अवरोधक होता है। बालश्रम की निम्नलिखित हानियाँ होती हैं—

1. रोजगार दाता द्वारा शोषण
2. गलत संगत
3. भिक्षावृत समूह।
4. शाला छोड़ना।
5. यौन शोषण की सम्भावना।
6. बाल अपराध।

बालश्रम के कारण (Causes of Child Labour) —

1. **गैर-जिम्मेदार माता-पिता** — कुछ बच्चों के माता-पिता गैर-जिम्मेदार होते हैं जिन्हें बच्चों द्वारा अर्जित आमदनी अधिक अच्छी लगती है न कि बच्चों के सुदृढ़ भविष्य के।
2. **मालिकों द्वारा अपना लाभ बढ़ाने के लिए** — कुछ फैक्ट्री मालिक अधिक मुनाफे के लालच में बच्चों पर मजदूरी करने का दबाव बनाते हैं व उन्हें बंधक तक बनाकर काम करवाते हैं ताकि उन्हें कम पैसे देकर अधिक मुनाफा कमाया जा सके।
3. **निवेश की लागत कम करने के लिए** — व्यापार में निवेश की लागत कम करने के लिए भी बच्चों से काम करवाया जाता है।
4. **परिवार की खराब आर्थिक हालत** — जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी न हो पाने के कारण बच्चों को भी बालश्रम करना पड़ता है ताकि परिवार का खर्चा चल सके।
5. **पारिवारिक व्यापार** — ऐसे व्यापार जिनमें परिवार के सदस्य काम करते हैं उनमें परिवार के बच्चों को भी काम करने के लिए शामिल कर लिया जाता है जैसे— कृषि उद्योग।
6. **शिक्षा का निम्न स्तर** — परिवार में शिक्षा का निम्न स्तर होने के कारण भी कुछ अभिभावक शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं व बच्चे को स्कूल भेजने की जगह कहीं काम पर भेजना उचित समझते हैं ताकि बच्चा कुछ आमदनी कर सके।

बाल श्रम की रोकथाम (Prevention of Child Labour) —

बाल श्रम को हतोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने बाल श्रम सुरक्षा तथा नियमन अधिनियम, 1986 (Child Labour

Protection and Regulation Act) पास किया। इसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं-

1. इस कानून के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया।
2. इस अधिनियम के सैक्षण 3 के भाग 'अ' एवं 'ब' में उल्लेखित व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बालकों से काम करनवाने पर उसके नियोजक (employer) को कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष की सजा अथवा 10000 से 20000 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।
3. सैक्षण 3 के के भाग 'अ' एवं 'ब' में उल्लेखित व प्रतिबंधित व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में बच्चों के नियोजन हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं-
 - किसी भी बच्चे को, किसी भी स्थापना में, निर्देशित कार्य घंटों से अधिक कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं है।
 - प्रत्येक दिन के लिए कार्य अवधि इस प्रकार निश्चित की जाए कि आराम के एक घंटे अंतराल के पश्चात कार्य अवधि 3 घंटे से अधिक न हो।
 - कार्य अवधि इस प्रकार हो कि आराम के अंतराल (सब सैक्षण 2 के अन्तर्गत) मिलाकर 6 घंटे से अधिक न हो। जिसमें कार्य की बारी हेतु इंतजार करने का समय भी शामिल है।
4. कोई भी बच्चा जिसने 12 वर्ष पूर्ण किए हों तथा किसी भी किशोर को वृक्षारोपण में कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं है। जब तक कि उसे सैक्षण 27 के अन्तर्गत स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र या टोकन न दिया गया हो। वह रोजगारदाता की अभिरक्षा या बच्चे या किशोर के पास कार्य करते वक्त होना चाहिए।
5. किसी भी बच्चे को शाम 7 से सुबह 8 बजे तक कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं है।

प्रश्न 25. मध्यपान पर संक्षिप्त लेख लिखिए।

Write short notes on alcoholism.

उत्तर- संसार के हर भाग में मनुष्य आदिमकाल से ही मध्यपान (drinking) करता रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका अत्यधिक विस्तार हुआ है, जोकि एक विकट सामाजिक समस्या का आकार ग्रहण कर रहा है।

मध्यपान के लक्षण (Characteristics of Alcoholism) –

1. मदिरा जैसे पेय पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग
2. व्यक्ति की अपनी मध्यपान की आदत पर स्वयं की बढ़ती हुई चिन्ता
3. मध्यव्यसनी की अपनी मध्यपान की आदत पर नियंत्रण की कमी
4. व्यक्ति के सामाजिक संसार में कार्य करने में बाधाएं आना
5. असामान्य व्यवहार करना
6. वजन में कमी, जी मिचलाना, पेट दर्द, वमन की शिकायत
7. यकृत रोग
8. प्रातःकाल से ही मध्यपान

मध्यपान के कारण (Causes of Alcoholism) –

1. मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological Causes) – व्यक्ति प्रायः मानसिक तनाव कम करने, उदासीनता हटाने, थकावट कम करने, आपत्ति का सामना करने के कारणों के वशीभूत (overpowered) होकर मध्यपान करता है।

2. सामाजिक कारण (Social Cause) – व्यक्ति मनोरंजन, फैशन, उत्सव, मित्रों द्वारा अस्वीकार किए जाने और सामाजिक मूल्यों की चुनौती आदि, कारणों से मद्यपान करता है।
3. शारीरिक कारण (Physical Causes) – इसमें सेक्स संबंधी इच्छा को उत्तेजित करना, निद्रा लाना, शारीरिक दर्द दूर करना आदि कारण आते हैं।
4. अन्य कारण (Other Causes) –
 - व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान
 - आत्मज्ञान तेज करना
 - मनोरंजन के साधनों की कमी
 - मानसिक विकार तथा मानसिक तनाव, वंशानुगत कमजोरी
 - व्यवसायजनित तनाव व कुंठा

मद्यपान के दुष्प्रभाव (Consequences of Alcoholism) –

1. मद्यपान और वैयक्तिक विघटन (Alcoholism and Individual Disintegration) – स्वस्थ तथा संगठित जीवन का आधार अच्छे और सामान्य सामाजिक संबंध होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति मद्य-व्यसनी (addicted of drinking) हो जाता है तो इन संबंधों में अन्तर आ जाता है, क्योंकि
 - मद्य-व्यसनी की प्रवृत्तियां व्यक्तिवादी हो जाती हैं।
 - शराब के नशे में प्रायः व्यक्ति बहुत बातूनी (talkative) हो जाता है।
 - शराब के नशे में प्रायः व्यक्ति शालीनता के विपरीत बातें और हरकतें करने लगता है।
 - अत्यधिक शराब पीने से व्यक्ति का मस्तिष्क कमजोर हो जाता है साथ ही उसका असर किडनी पर भी पड़ता है।
2. मद्यपान और पारिवारिक विघटन (Alcoholism and Familial Disintegration) – शराबी के निस्तर मद्यपान से व्यक्तिगत विघटन के साथ उसके परिवार के भी विघटन की समस्या जुड़ी हुई रहती है। परिवार में बराबर आपसी संघर्ष और तनाव का वातावरण बना रहता है।
3. मद्यपान और सामुदायिक विघटन (Alcoholism and Community disintegration) – मद्यपान से वैयक्तिक और पारिवारिक विघटन तो होता ही है, इसके साथ ही सामुदायिक विघटन भी हो जाता है, जैसे – जिन स्थानों पर मनोरंजन कार्यक्रम (नृत्य, संगीत), जुआ, मदिरालय आदि होते हैं, वहां शराब सामुदायिक विघटन उत्पन्न कर देता है। रेखाएं समान्तर होते हुए भी टेढ़ी लग रही हैं।

प्रश्न 26. बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के कारण लिखिए।

What is unemployment? Write the causes of unemployment.

उत्तर – बेरोजगारी की परिभाषा (Definition of unemployment) – जब किसी व्यक्ति के पास जीविका अर्जित करने का कोई साधन नहीं होता है, एवं वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं।

या

जब व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं।

बेरोजगारी के कारण (Causes of unemployment) –

1. जनसंख्या विस्फोट (Population explosion) – जनसंख्या की वृद्धि, रोजगार सृजन की वृद्धि दर से ढाई गुना अधिक है। इसलिए जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे-वैसे रोजगारों में कमी आ रही है तथा बेरोजगारी की दर बढ़ रही है।

2. कृषि का धीमा विकास (Slow growth of agriculture) — कृषि क्षेत्र का विकास दर धीमा है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कारण यह बढ़ती अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाता है एवं छिपी हुई बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ जाती हैं।

4. त्रुटिपूर्ण शिक्षा तंत्र (Defective education system) — आज भी हमारा देश पुरानी शिक्षा प्रणाली पर चल रहा है एवं इस प्रणाली में कोई अधिक सुधार या विकास नहीं हुआ है। इसी कारण हर वर्ष एक जैसी शिक्षित जनसंख्या में बढ़ोत्तरी होती है एवं रोजगार के अवसर उतने ही रहते हैं।

3. औद्योगिक विकास की धीमी दर (Slow speed of industrial development) — भारत में औद्योगिक विकास दर जनसंख्या की वृद्धि दर से कम है जिसके कारण आर्थिक रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं।

5. अनुपर्युक्त ग्रामीण आर्थिक विकास (Inadequate rural economic development) — गाँवों में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ न हो पाने के कारण व्यक्ति बेरोजगार है।

6. गरीबी (Poverty) — गरीबी बेरोजगारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। गरीबी के कारण लोग रोजगार एवं अन्य संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है।

7. स्थानीय विषमता (Regional disparities) — स्थानीय विषमता भी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। जो स्थान या क्षेत्र विकसित है वहाँ रोजगार की भी उपर्युक्त सुविधाएँ हैं एवं जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं वहाँ न तो विकास है और न ही रोजगार की उपर्युक्त सुविधाएँ हैं।

8. मशीनीकरण (Mechanization) — नई तकनीक के विकास के साथ अधिकतर उद्योगों में मानव का स्थान मशीनों ने ले लिया है जिस कारण बेरोजगारी के आँकड़ों में वृद्धि हुई है।

प्रश्न 27. जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं कारण सहित लिखिए।

(Imp.)

What do you mean by over population or population explosion?

उत्तर— भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से चीन का है। एक आंकड़े के मुताबिक विश्व की कुल आबादी का अगर आकलन किया जाए तो उसमें हर सातवें स्थान पर एक भारतीय का स्थान रहेगा/मिलेगा।

भारत में सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु किये जा रहे समस्त प्रयास एवं प्रगति जनसंख्या की अधिकता के कारण कम पड़ जाते हैं। भारत में जन्म-दर एवं मृत्यु-दर में बढ़ते हुए अन्तर के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो रही है, ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विकास के कारण है। औसत आयु में वृद्धि हुई है, मृत्यु-दर में कमी आयी है, किन्तु इस जनाधिक्य का दोष मृत्यु-दर को देना कदापि सही नहीं होगा, क्योंकि घटती हुई मृत्यु-दर तो सामाजिक विकास का द्योतक है, अच्छी चिकित्सा-व्यवस्था की निशानी है। किन्तु फिर भी यह अति आवश्यक है कि जन्म-दर पर कुछ नियंत्रण लगाया जाये।

जनसंख्या-वृद्धि के कारण (Causes of Overpopulation) — अत्यधिक जनसंख्या के मुख्य कारण निम्न हैं—

1. **जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ (Climate and Geographical Conditions)** — भारत की जलवायु गर्म होने के कारण लड़के एवं लड़कियां जल्दी परिपक्वता (maturity) की स्थिति में आ जाते हैं, जिसके कारण शीघ्र ही संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं।

2. **भाग्यवादी दृष्टिकोण (Fatalistic Viewpoint)** — अधिकतर भारतवासी धर्मपरायण (religious) हैं और मानना है कि ईश्वर ने जितनी संतान भाग्य में लिखी हैं, उतनी संतान उत्पन्न तो होगी ही और ईश्वर ही सबका पालनहार, कर्ता-धर्ता है।

3. **विवाह की अनिवार्यता (Inevitability of Marriage)** — भारत में विवाह को मोक्ष-प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है और ये धार्मिक धारणा है कि विवाह पुण्य का परिणाम है और लड़कियों का विवाह अति आवश्यक माना गया है। परिणाम जनता-वृद्धि के रूप में आता है।

4. पुत्र-प्राप्ति को अधिक महत्व (More Importance to getting the Son) – पुत्र को अधिक महत्व दिए जाने के कारण भारत में तब तक सन्तानोत्पत्ति की प्रक्रिया लोग जारी रखते हैं, जब तक कि पुत्र की प्राप्ति न हो जाए, ऐसा लोग वंश-वृक्ष को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। एक कारण जनसंख्या-वृद्धि का यह भी है।

5. निर्धनता (Poverty) – भारत में करोड़ों व्यक्तियों का जीवन-स्तर बहुत निम्न है। अधिकांश जनसंख्या कृषि-कार्यों में लगी हुई है। कृषि-कार्यों में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इस कारण से गांवों के लोग अधिक सन्तानें उत्पन्न करते हैं।

6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि (Increase in Medical and Health Facilities) – गत वर्षों में भारत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-सेवाओं में काफी सुधार हुआ है और लगातार होता जा रहा है, जिस कारण मृत्यु-दर में कमी आयी है।

7. परिवार-नियोजन की तरफ कम आकर्षण (Less Attraction towards Family Planning) – यद्यपि भारत में परिवार-नियोजन की सभी स्तरों पर कोशिश की गयी है, किन्तु परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार-नियोजन की तरफ व्यक्तियों का ध्यान कम है, इस कारण भी जनाधिक्य की समस्या बनी हुई है।

8. राष्ट्रीय चेतना का अभाव (Lack of National Awareness) – भारतीय जनता में कर्तव्यपरायणता (dutifulness) की काफी कमी है, साथ ही राष्ट्रीय चेतना की भी। इस कारण बच्चों के व्यक्तित्व का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है।

9. अन्य कारण (Other Causes) – पाश्चात्य मूल्यों के बढ़ते प्रभाव के कारण स्त्री-पुरुष में अवैध रूप से सहवास की समस्या बढ़ी है। इन दिनों युवा पीढ़ी एक नये रूप के (अवैध) सेक्स- Living relationship का शिकार हो रही है, इस कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

प्रश्न 28. जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव व जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए।

(Imp.)

Describe the effects of overpopulation and measures to control of population growth.

उत्तर- जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव को मुख्य तीन वर्गों में रखा गया है—

1. सामाजिक दुष्प्रभाव (Social Effects)

- गरीबी एवं बेरोजगारी
- अशिक्षा
- बढ़ते अपराध
- सामाजिक बुराइयाँ
- जीवन-स्तर में गिरावट (Decrease in Life Status)
- आवास समस्या
- खाद्य-पूर्ति समस्या
- पर्यावरण असनुलन समस्याएं (Imbalance in Environment)
- शहरी भीड़-भाड़ समस्या (Over crowding in Cities)
- भिक्षावृत्ति

2. आर्थिक दुष्प्रभाव (Economic Effects)

- गरीबी
- निम्न जीवन-स्तर (Low Life Status)
- प्रतिव्यक्ति आय में कमी

- महंगाई का बढ़ना
- संसाधनों पर बोझ (Pressure on Resources)

3. स्वास्थ्य दुष्प्रभाव (Effect on Health)

- अपर्याप्त स्वास्थ्य-सेवा/सुविधा
- कुपोषण (Malnutrition)
- मृत्यु-दर में वृद्धि
- निम्न स्वास्थ्य-स्तर

जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय (Measures to control population) – जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं–

1. परिवार नियोजन के पक्ष में उचित वातावरण तैयार करना।
2. परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना।
4. लिंग असमानता को खत्म करना।
5. जनसंख्या वृद्धि के नुकसानों का प्रचार-प्रसार करना।
6. सभी धर्मों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम समान रूप से लागू करना चाहिए।
7. नसबंदी या बंध्याकरण ऑपरेशन करवाने वाले एवं उनको प्रेरित करने वालों को उचित पुरस्कार देने की व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण समाज व कम शिक्षित या अशिक्षित समाज में विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार-प्रसार करना।

प्रश्न 29. सामाजिक संस्थाओं पर संक्षिप्त लेख लिखिए।

Write short note on social agencies.

उत्तर- समाज कल्याण सेवाएँ, समाज के दुर्बल समूह, जिसमें बच्चे, महिला, वृद्ध, विकलांग तथा अन्य पिछड़ी जातियाँ शामिल हैं, के लिए प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं सरकारी संस्थाओं, समितियों, ट्रस्टों आदि के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

1. **योजना आयोग (Planning Commission) –** भारत सरकार ने मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया। यह आयोग समाज-कल्याण (Social welfare) हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाता है।
2. **समाज कल्याण मंत्रालय (Ministry of Social Welfare) –** केन्द्र सरकार का समाज कल्याण मंत्रालय देश के सामान्य सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित कल्याणकारी सेवाओं (welfare services) के समन्वय (coordination) का कार्य करता है।
3. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board) –** इसकी स्थापना 1953 में की गयी। यह बोर्ड एक स्वायत्तशासी इकाई (autonomous body) है, जोकि स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संगठनों को फण्ड वितरित करने का कार्य करता है। वे स्वैच्छिक संगठन निम्न हैं–
 - भारतीय रेडक्रास सोसायटी
 - रोटरी क्लब
 - लायन्स क्लब

- भारतीय महिला कल्याण परिषद
- भारतीय समाज कल्याण परिषद
- मानव अधिकार संगठन
- महिला मण्डल
- इन्द्रा गांधी ट्रस्ट
- कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट
- अखिल भारतीय महिला कांफ्रेंस
- भारतीय वेश्यावृत्ति कल्याणकारी समिति
- अखिल भारतीय परिवार नियोजन संघ
- कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट
- भारतीय ग्रामीण महिला संघ
- भारत सेवक समाज
- भारतीय बाल कल्याण परिषद
- अखिल भारतीय अन्धता निवारण समिति
- हेल्पएज इण्डिया
- भारतीय स्पास्टिक सोसायटी
- क्रिश्चयन मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया
- ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन आफ इण्डिया

प्रश्न 30. बालात्कार अथवा यौन शोषण समझाइए।

Write about rape or sexual assault.

उत्तर— बालात्कार (Rape) — किसी भी व्यक्ति के साथ बिना उसकी इच्छा बिना सहमति के जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बालात्कार या यौन शोषण कहलाता है। यह एक जघन्य अपराध है जिसमें एक या एक से अधिक अपराधी पीड़ित के साथ जबरदस्ती, बहला-फुसला कर या धोखे से यौन-शोषण को अंजाम देते हैं। भारतीय दंड संहिता 376 के अंतर्गत बालात्कारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

बालात्कार के पीड़ित पर प्रभाव (Effects of Rape on Victim) —

1. शारीरिक चोट (physical assaults)
2. अनचाही गर्भावस्था (pregnancy)
3. पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रैस डिसऑर्डर (PTSD)
4. अवसाद (depression)
5. पीड़ित द्वारा आत्महत्या की कोशिश (suicidal attempts)
6. आत्मसम्मान को चोट (self esteem destruction)

प्रश्न 1. समुदाय का अर्थ लिखकर उसे परिभाषित करें।

(Imp.)

Write down the meaning of community and define it.

उत्तर- **अर्थ (Meaning) –** सामान्य भाषा में समुदाय शब्द का प्रयोग जाति विशेष, धर्म विशेष सा सम्प्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है, जैसे, ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, आदि। किन्तु समाजशास्त्र में ‘समुदाय’ शब्द से तात्पर्य इससे अलग है, यह किसी गांव, कस्बा, नगर, प्रान्त या देश के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

जब किसी समूह के सदस्य किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साथ-साथ रहते हैं और एक सामान्य जीवन के भागीदार होते हैं, तो इस प्रकार के निर्मित क्षेत्रीय समूह को ‘समुदाय’ कहा जाता है।

समुदाय की परिभाषाएँ (Definitions of Community)

- **ग्रीन के अनुसार –** समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।
- **एच.टी. मजुमदार के अनुसार –** समुदाय किसी निश्चित भू-क्षेत्र, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो, पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।
- **आगर्बन एवं निमकाफ के अनुसार –** समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है।
- **बोगार्डस के अनुसार –** समुदाय एक सामाजिक समूह है, जिसमें ‘हम की भावना’ की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं।

प्रश्न 2. समुदाय के लक्षण या विशेषताएँ लिखिए।

Write down the characteristics of community.

उत्तर- समुदाय की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **लोगों का समूह (Group of people) –** समुदाय का निर्माण लोगों के समूह से मिलकर ही होता है, एक व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता।
2. **आत्मनिर्भरता (Self dependent) –** समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह होता है। यह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है।
3. **पहचान (Identity) –** प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। इससे समुदाय को पहचान मिलती है।
4. **स्थिरता (Stability) –** समुदाय स्थायी होता है, यह किसी क्षेत्र विशेष में ही स्थिर रूप से रहता है।

5. अनिवार्य सदस्यता (Compulsory membership) – प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, यह ऐच्छिक नहीं होती है।

6. समान जीवनशैली (Common life style) – हर समुदाय में कुछ रीति-रिवाज, खान-पान, मूल्य-परंपराएँ आदि समान होते हैं जो उस समुदाय की विशेषता बनाते हैं।

7. व्यापक उद्देश्य (Extensive objectives) – समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, यह व्यापक होता है।

8. नियंत्रण (Control) – प्रत्येक समुदाय के कुछ नियम होते हैं एवं समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति एवं क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं नियमों द्वारा किया जाता है।

9. स्वाभाविक विकास (Spontaneous growth) – समुदाय का विकास स्वयं होता है न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 3. ग्रामीण समुदाय व नगरीय समुदाय को संक्षेप में समझाइए।

Explain the rural community and urban community in brief.

उत्तर – ग्रामीण समुदाय (Rural/Village Community) – ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। भारत के सन्दर्भ में ग्रामीण समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा समूह है, जो अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता हो और जिनमें सामुदायिक भावना के साथ प्राथमिक सम्बन्ध स्थापित हो चुके हों। ग्रामीण समाज के सदस्य मुख्यतः कृषि पर निर्भर होकर अपना जीवनयापन करते हैं। इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि जीवन व्यतीत करते हुए कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य में लिप्त रहती है और जिसमें समुदाय के लिए सभी आवश्यक तत्व निहित होते हैं।

नगरीय समुदाय (Urban Community) – नगरीय समुदाय वह समुदाय होता है, जिसमें जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है। गाँवों की तुलना में शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ग्रामीण समुदाय के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों पर निर्भर होते हैं जबकि नगरों में व्यवसायों की बाहुल्यता एवं भिन्नता, कार्य विशेषीकरण, भौतिकवादिता एवं व्यक्तिवादिता, जटिलता और सामाजिक गतिशीलता आदि तत्वों की प्रधानता होती है।

प्रश्न 4. समुदाय के प्रकार लिखते हुए शहरी एवं ग्रामीण समुदायों की विशेषताएँ लिखिए। (Imp.)

Explain the types and characteristics of rural and urban community.

उत्तर – समुदाय के प्रकार (Types of Community) – समुदाय के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं-

1. ग्रामीण समुदाय (Rural Community)
2. शहरी समुदाय (Urban Community)

1. ग्रामीण समुदाय (Rural/Village Community) – ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। भारत के सन्दर्भ में ग्रामीण समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा समूह है, जो अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता हो और जिनमें सामुदायिक भावना के साथ प्राथमिक सम्बन्ध स्थापित हो चुके हों।

विशेषताएँ (Characteristics) –

1. ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है, क्योंकि गाँवों में शहरों की अपेक्षा कम लोग रहते हैं। गांव का क्षेत्रफल (area) भी शहर के क्षेत्रफल की अपेक्षा कम होता है।
2. गाँवों में जनसंख्या का अनुपात प्रति वर्ग किमी. शहरों की अपेक्षा कम होता है। गांव अधिक खुली हुई जगह के होते हैं।

3. गाँव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, मछली-पालन आदि क्रियाओं पर निर्भर रहता है।
4. ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गाँवों में रहने वाले 80% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर होते हैं। सारा आधार कृषि ही रहती है।
5. ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता है कि यहां संयुक्त-परिवारों की प्रधानता पायी जाती है। परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का संचालन करता है। माता-पिता तथा उनकी संतानें एक ही छत के नीचे रहते हैं।
6. गाँव के लोगों में परस्पर निकट सम्पर्क के कारण परस्पर अपनत्व पाया जाता है और सभी में 'हम की भावना' पायी जाती है। बाढ़, अकाल, महामारी और अन्य संकटकालीन अवसरों पर सभी लोग सामूहिक रूप से इन परिस्थितियों का सामना करते हैं।
7. गाँवों के लोगों का जीवन सामान्यतः सीधा और सरल होता है। भोजन और वेशभूषा में सादगी पायी जाती है।

शहरी समुदाय (Urban Community) — शहरी समुदाय वह समुदाय होता है, जिसमें जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है।

विशेषताएं (Characteristics) —

1. जनसंख्या की दृष्टि से नगरीय समुदाय बड़ा होता है। जनघनत्व अधिक होता है, जिसके कारण नगरों में गन्दी बस्तियां (slums), अपराध, संघर्ष, बेकारी, आदि से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
2. नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। यहां के लोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों एवं व्यवसायों में लगे रहते हैं।
3. नगरों में व्यक्ति के अपने कामों में व्यस्तता के कारण परस्पर आमने-सामने के घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाते हैं।
5. शहरों में भौतिकवादिता के कारण लोग उचित/अनुचित रूप से अपनी भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के लिए लगे रहते हैं। उन्हें प्रकृति के विषय में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता।
6. नगरों के लोगों का व्यवहार स्वार्थी प्रकृति का होता है तथा उनमें 'हम की भावना' कम पायी जाती है।
7. नगरीय समुदायों में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार बनते जा रहे हैं। परिवार में बड़े-बुजुर्गों तथा पास-पड़ोस का महत्व कम होता है। इन सब कारणों से शहरों में पारिवारिक विघटन के साथ ही संयुक्त परिवार प्रणाली का अन्त होता जा रहा है।

प्रश्न 7. ग्रामीण समुदाय की मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं क्या-क्या हैं?

(V. Imp.)

What are the major health problems in rural community?

अथवा

ग्रामीण समुदाय की मुख्य समस्याओं के कारणों के बारे में लिखिए।

Write down the causes of major problems in rural community.

उत्तर – ग्रामीण समुदाय में मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं –

1. कुपोषण (Malnutrition) – भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के खराब स्वास्थ्य का अहम कारण कुपोषण यानि अपर्याप्त एवं असंतुलित भोजन है। आम भारतीय नागरिक के शरीर की आवश्यकता 2500 से 3000 कैलोरी की होती है जबकि वह

1750 कैलोरी ही प्राप्त कर पाता है। असंतुलित वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज एवं विटामिन की कमी वाले भोजन खाने से नागरिकों में कई प्रकार के रोग जैसे, बेरी-बेरी, रतोंधी, क्षय-रोग आदि बीमारियां हो जाती हैं। कुपोषण के कारण ही भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर आदि अन्य देशों से अधिक है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चालू करे हैं जैसे— मिड-डे मील, मातृत्व लाभ योजना, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, एफ.ए.ओ के सहयोग से एप्लाइड पोषण कार्यक्रम आदि।

2. समुचित आवास का अभाव (Inadequate Housing) — हमारे देश में वर्तमान में भी बड़ी संख्या में लोग आवास के अभाव में रह रहे हैं। बिना आवास के वे शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकता से भी वंचित हैं। लाखों लोग खुले में सोते हैं जिसके कारण वे बीमारियों का शिकार होते हैं। अधिक गर्मी व शीत लहर में कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है।

3. अशिक्षा (Illiteracy) — भारत में साक्षरता दर काफी कम है जो न केवल वैज्ञानिक सोच में बाधक है बल्कि व्यक्ति के विकास में भी बाधक है। भारत में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार यह साक्षरता दर केवल 67% थी जिसका स्वास्थ्य दशाओं की क्षीणता में एक बड़ा योगदान है।

4. अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियाँ (Superstition and Social Evils) — हमारे देश में अनेक कुरीतियां एवं अंधविश्वास हर धर्म, समुदाय व लगभग प्रत्येक परिवेश में मौजूद हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को वर्तमान में समय में भी ईश्वरीय प्रकोप माना जाता है जिनका अवैज्ञानिक तरीकों जैसे झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र आदि से इलाज किया जाता है जिनके कारण स्वास्थ्य समस्याएँ और गंभीर हो जाती हैं।

5. पेयजल एवं स्वच्छता (Drinking Water and Sanitation) — देश में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं स्वच्छता का स्तर अभी भी अधिक नहीं है। इनके कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां जैसे— हैजा, अस्थमा, श्वसन रोग, संक्रामक रोग आदि उत्पन्न होते हैं। लाखों लोग अभी भी गंदी बस्तियों में रहते हैं जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है न ही शौचालय आदि की व्यवस्था जिससे अस्वच्छता फैली रहती है।

6. अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ (Insufficient Medical Facilities) — देश की जनसंख्या के अनुसार हमारी चिकित्सा सुविधाएँ नगण्य हैं। अस्पतालों व चिकित्सकों की कमी से सभी को पर्याप्त चिकित्सा नहीं मिल पाती है। दर्वाईयों का अभाव व उनकी उच्च कीमतें भी प्रत्येक नागरिक तक पहुँच नहीं बना पाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं राष्ट्रीय बजट में स्वास्थ्य पर कम नियोजन करना भी इसका एक मुख्य कारण है।

प्रश्न 8. ग्रामीण एवं शहरी समुदाय में क्या अंतर है?

Differentiate between rural and urban society.

उत्तर—

ग्रामीण समुदाय/समाज (Rural Community/Society)	नगरीय समुदाय/समाज (Urban Community/Society)
--	--

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> ग्रामीण समाज में जनसंख्या एवं जनघनत्व कम होता है। ग्रामीण समाज में प्राकृतिक वातावरण बहुतायत में होते हैं जैसे— साफ हवा, नदियां, जंगल, तालाब, पेड-पौधे आदि। ग्रामीण समाज में लोगों का मूल-भूत व्यवसाय कृषि, पशु-पालन आदि होता है। | <ol style="list-style-type: none"> शहरों में जनसंख्या व जनघनत्व अधिक होता है। शहरों का वातावरण अधिकांश कृत्रिम या मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक स्रोत काफी कम मात्रा में होते हैं। शहरों में लोगों मुख्य व्यवसाय व्यापार या नौकरी जैसे— डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, व्यापारी आदि होता है। |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| 4. ग्रामीण समाज में वातावरण समस्याएं नहीं होती हैं। | 4. शहरी समाज में वातावरण संबंधित समस्याएं काफी होती हैं जैसे— वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भीड़-भाड़ आदि। |
| 5. ग्रामीण समुदाय में अधिकांश संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। | 5. शहरी समुदाय में एकल परिवार का प्रचलन अधिक है। |
| 6. गाँव में शिक्षा का स्तर कम या सीमित होता है। | 6. शहरों में शिक्षा का स्तर अधिक एवं विस्तारित होता है। |
| 7. ग्रामीण समुदाय में जाति, धर्म, मान्यताओं पर अधिक विश्वास होता है। | 7. शहरी समुदाय में लोग विज्ञान प्रमाणित बातों पर अधिक विश्वास करते हैं। |
| 8. ग्रामीण समुदाय में लोगों के बीच अधिक स्नेह, प्यार, भाईचारा, सहयोग की भावना एवं एकता की भावना होती है। | 8. शहरी समुदाय में आपसी सहयोग व भावना की कमी होती है। अधिकतर संबंध आवश्यकताओं के आधार पर पैदा होते हैं। |
| 9. स्त्री शिक्षा की कमी से स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तर की रहती है। | 9. शहरी समुदाय में स्त्रियों की स्थिति बेहतर होती है। |
| 10. ग्रामीण समाज में स्थिरता होती है इसलिए बदलाव कम होते हैं। | 10. शहरी समाज में अस्थिरता के कारण बदलाव अधिक होते हैं। |
| 11. ग्रामीण समुदाय में आर्थिक संपन्नता कम होती है। | 11. शहरों में आर्थिक संपन्नता अधिक होती है। |

प्रश्न 9. समुदाय व समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(Imp.)

Differentiate between community and society.

उत्तर—

समुदाय (Community)	समाज (Society)
<p>1. समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।</p> <p>2. समुदाय समाज का एक भाग होता है।</p> <p>3. समुदाय में निश्चित क्षेत्र या भौगोलिक सीमाएं होती हैं।</p> <p>4. समुदाय में आपसी सहयोग व एकता की भावना होती है।</p> <p>5. व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय विस्तृत (abstract) है।</p>	<p>1. समाज एक अमूर्त अवधारणा है, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है।</p> <p>2. समाज कई समुदाय से मिलकर बनता है।</p> <p>3. समाज की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है।</p> <p>4. समाज में आपसी सहयोग व एकता की भावना होना या न होना निश्चित नहीं है।</p> <p>5. सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज ठोस या मूर्त (concrete) हैं।</p>

प्रश्न 10. संस्कृति का अर्थ लिखकर उसे परिभाषित करें।

Write down the meaning of culture and define it.

उत्तर— संस्कृति (Culture) — संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से प्राप्त हुआ है। संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों द्वारा

सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। समाजशास्त्र के अंतर्गत संस्कृति सीखे हुए व्यवहार की वह समग्रता है जिसमें कि एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता और पनपता है।

संस्कृति की परिभाषाएं (Definitions of Community)

- बेनडिक्ट के अनुसार – संस्कृति वह विश्व है जिसमें व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, क्रियाएं करता है एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखता है।
- टायलर के अनुसार – संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, प्रथा, नैतिक आचरण तथा अन्य क्षमताएं व आदतें आती हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित करता है।
- सी.सी. नार्थ के अनुसार – संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण सम्मिलित हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायकता करते हैं।

प्रश्न 11. संस्कृति की विशेषताएँ या गुण लिखिए।

Write down the characteristics or properties of culture.

उत्तर – संस्कृति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **संस्कृति मानव-निर्मित है (Culture is Man-made)** – संस्कृति केवल मनुष्य समाज / समुदाय में ही पायी जाती है। मनुष्य के पास ऐसी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियां और विशेषताएं हैं कि वह संस्कृति को निर्मित व विकसित कर पाया है, कर रहा है।
2. **संस्कृति सीखी जाती है (Culture is being learned)** – संस्कृति मनुष्य को अपने माता-पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रम में नहीं प्राप्त होती, जिस प्रकार से शरीर-रचना प्राप्त होती है। संस्कृति मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार-प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के बाद जिस समाज या समुदाय में रहता है, उसकी संस्कृति को धीरे-धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है।
3. **संस्कृति हस्तान्तरित की जाती है (Culture is being transmitted)** – संस्कृति को केवल सीखा ही नहीं जाता, इसे हस्तान्तरित भी किया जाता है। मनुष्य ही केवल ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए है कि उसके पास दिमाग है, सोचने की शक्ति है, भाषा का ज्ञान है। अपने इसी भाषा-ज्ञान द्वारा वह सीखी हुई संस्कृति को अपनी आने वाली पीढ़ी को देता है, हस्तान्तरित करता है और यह क्रम निरन्तर चलता रहता है।
4. **प्रत्येक समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है (Every community has got its own especial culture)** – एक समाज या समुदाय की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है।
5. **संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है (Culture has the quality of Sociality)** – संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन न होकर सम्पूर्ण समाज की देन होती है। संस्कृति का जन्म और विकास समाज के कारण ही होता है। कोई भी संस्कृति दस, बीस, या सौ-दो सौ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वह पूरे समूह या समूह के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
6. **संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है (Culture fulfils the human needs)** – मनुष्य की अनेक सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। संस्कृति मनुष्य की इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
7. **संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है (Culture is ideal for the Group)** – किसी भी समूह के लिए उसकी अपनी संस्कृति आदर्श होती है और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों और विचारों को तौलते हैं। जब कभी दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो संबंधित समूह के लोग अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं।

8. संस्कृति में अनुकूलन व सामंजस्य की क्षमता होती है (Culture has capacity of Adaptability and Adjustment) – संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने-आपको ढालने की क्षमता होती है। यही कारण है कि मैदानों, रेगिस्तानों, पहाड़ी भागों एवं बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृतियों में पर्याप्त अन्तर पाए जाते हैं।

प्रश्न 12. राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय के महत्व व घटक के बारे में लिखिए।

What is national income? Write about importance and components of national income.

उत्तर- **राष्ट्रीय आय (National Income)** – राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है, इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है।

राष्ट्रीय आय के घटक (Components of National Income) – राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों का योगदान होता है –

1. **प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)** – प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, खनन, मत्स्य आदि व्यवसाय शामिल हैं, इनका राष्ट्रीय आय में 26% का योगदान होता है।

2. **द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)** – इसमें विनिर्माण एवं निर्माण उद्योग शामिल हैं। इसका राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 22% प्रतिशत है।

3. **तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)** – तृतीयक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक 51% योगदान है। इसमें व्यापार, परिवहन, वाणिज्य सेवाएँ आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय आय का महत्व (Importance of National Income) – राष्ट्रीय आय का महत्व निम्न है –

1. राष्ट्रीय आय देश की अर्थव्यवस्था की संरचना ज्ञात करने में सहायक होती है।

2. यह राष्ट्र की समृद्धि का सूचक होती है।

3. राष्ट्रीय आय की गणना से सामाजिक आर्थिक दोषों को दूर करने में सहायता मिलती है।

4. राष्ट्रीय आय की गणना से सामाजिक एवं आर्थिक दोषों को दूर करने में सहायता मिलती है।

5. राष्ट्रीय आय देश के नागरिकों के जीवन स्तर का संकेतक होती है, इससे राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

6. राष्ट्रीय आय देश के विकास एवं समृद्धि की सूचक है।

7. इससे देश की आर्थिक नीतियों का निर्माण करने एवं उन्हें लागू करने में मदद मिलती है।

1. मनोविज्ञान (Psychology) – अरस्टू के अनुसार – मनोविज्ञान मन का विज्ञान है।

वाट्सन के अनुसार – मनोविज्ञान मानव-व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। “*Psychology is the positive science of behaviour*”

पील्सबरी के अनुसार – मनोविज्ञान मानव-व्यवहार का विज्ञान है। “*Psychology is the science of human behaviour.*”

2. समाजशास्त्र (Sociology) – एल.एफ. वार्ड के अनुसार – समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। (*Sociology is the science of Society*).

गिडिन्स (Giddins) के अनुसार – समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। (*Sociology is the Scientific Study of Society*).

गिडिंग्स के अनुसार – समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है।

3. अभिप्रेरणा (Motivation) – अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।

4. मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान अथवा मानसिक आरोग्यता (Mental Hygiene) – मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है वह उपाय करना जिससे मनोरोग के आपत्ति (incidence) को रोकथाम एवं शीघ्र उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके।

5. कुसमायोजन (Maladjustment) – कुसमायोजन, व्यक्ति और उसके असंतुलन को दर्शाता है, जब व्यक्ति व्यक्तिगत लक्ष्य एवं सामाजिक वातावरण की माँग में समायोजन नहीं रख पाता है तो उसे कुसमंजन कहते हैं।

6. समायोजन (Adjustment) – समायोजन का अर्थ है विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना।

7. तनाव (Stress) – तनाव एक चिन्ता उत्पन्न करने वाली अवस्था है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य (adjustment) क्षमताओं से ज्यादा जिम्मेदारियों व घटना का कारण बनती है। तनाव एक मानसिक स्थिति है, जिसे व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा होने पर महसूस करता है।

8. व्यक्तित्व (Personality) – व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। (*Personality is the total quality of an individual's behaviour*). व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। (*Personality is an integrated pattern of Individual's traits.*)

9. अन्तर्द्वन्द्व या संघर्ष (Conflict) – जब व्यक्ति को दो लक्ष्यों में से किसी एक को चुनना होता है या एक ही लक्ष्य के

प्रति व्यक्ति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होते हैं तो इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी और समान शक्ति प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं।

10. **कुण्ठा या निराशा (Frustration)** — कुण्ठा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द *Frustra* से हुई है। इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा आना। आज के समय में व्यक्ति को दैनिक जीवन-यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करते समय कभी-कभी विशेष समस्याएँ आ जाती हैं, जिनका वह समाधान नहीं कर पाता, फलस्वरूप वह कुण्ठा (frustration) का शिकार हो जाता है। कुण्ठा उत्पन्न होने से व्यक्ति में अवसाद (depression), चिन्ता (anxiety), डर (fear), क्रोध (anger), आदि उत्पन्न हो जाते हैं।
11. **संवेग (Emotion)** — संवेग एक जटिल अवस्था (complex state) होती है जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा को दर्शाता है। संवेग सम्पूर्ण जीवन का तीव्र उपद्रव है, जिसके अन्तर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव और आंगिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं।
12. **मानसिक तंत्र (Defence Mechanism)** — यह एक ऐसी तकनीक है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी चिंता व तनाव को कम करने का प्रयास करता है एवं इसके द्वारा वह अपने द्वंद्व को सुलझाने की कोशिश करता है।
13. **सामाजिक परिवर्तन (Social Change)** — समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन का सामान्य अर्थ है, किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना।
14. **अभिवृत्ति (Attitude)** — अभिवृत्ति मत, रुचि या उद्देश्य की एक लगभग स्थायी तत्परता या प्रवृत्ति है जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा एवं उचित प्रक्रिया की तैयारी निहित होती है।
अभिवृत्ति एक मानसिक तत्परता, संगठन अथवा विन्यास (structure) है, जिसमें प्रेरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जिसके कारण व्यक्ति के चारों ओर की वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा समूहों की ओर उसकी सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया निर्देशित होती है।
15. **आदत (Habit)** — आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से सम्पन्न होता है। आदत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द *habitus* से हुई है जिसका अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करना है।
16. **सीखना या अधिगम (Learning)** — अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम है।
17. **स्मृति (Memory)** — स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव किए गए उद्दीपकों अथवा सीखे गए अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रह करके रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन उद्दीपकों तथा अनुभवों को चेतन मन में लाता है। जैसे- छात्र द्वारा याद किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना।
18. **विस्मरण या भूलना (Forgetting)** — पूर्व में सीखी गई व अनुभव की गई किसी वस्तु का विस्मरण या भूलना वह अस्थायी या स्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण, पहचान या कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाती है।
19. **चिन्तन (Thinking)** — चिन्तन, विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया (mental process) है जो किसी समस्या के साथ आरम्भ होती है और उसके अन्त तक चलती रहती है अर्थात् समस्या का समाधान होते ही समाप्त हो जाती है।
20. **तर्क (Reasoning)** — तर्क में गत अनुभवों का संयोजन इस प्रकार होता है कि समस्या का समाधान हो सके, यह संयोजन तभी होता है जब गत समाधानों के पुनरोत्पादन से समस्या-समाधान नहीं होता है।

- 21. समस्या समाधान (Problem Solving)** — समस्या समाधान का अर्थ होता है, बाधाओं को दूर करना तथा लक्ष्य की ओर पहुँचने के लिए चिन्तन प्रक्रियाओं का उपयोग करना।
समस्या-समाधान चिन्तन का ही एक अलग रूप है। इसमें व्यवहार लक्ष्य की ओर निर्देशित (goal-directed) होता है और व्यवहार में निरन्तरता (essentiality) पायी जाती है, अन्त में समस्या-समाधान हेतु की गयी क्रियाएं (activities) या व्यवहार लक्ष्य-प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है।
- 22. वहेज (Dowry)** — दहेज एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले पक्षों में एक ने दूसरे पक्ष को विवाह के अवसर पर, विवाह से पहले अथवा विवाह के बाद में दिया हो या देना स्वीकार किया हो।
- 23. समूह (Group)** — सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है।
- 24. निर्धनता (Poverty)** — निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो व्यक्ति और उनके आश्रितों को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने के लिए आवश्यक है अर्थात् जब एक व्यक्ति दिन-प्रतिदिन की अपनी व अपने आश्रितों की आवश्यकताओं को बड़ी कठिनाई से पूरा कर पाता है व उन्हें मानसिक, भौतिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने में असक्षम होता है तो उसे निर्धनता या गरीबी कहते हैं।
- 25. भीड़ (Crowd)** — किसी केन्द्र के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में एकत्रित मनुष्यों के झुंड को भीड़ कहते हैं।
- 26. ध्यान (Attention)** — ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है, इसे अवधान भी कहा जाता है। मनुष्य का परिवेश (milieu) में उपस्थित अनेक वस्तुओं पर एक साथ चेतना कर पाना असम्भव है। उसके परिवेश में उपस्थित वस्तुओं में से कुछ उसके चेतना के केन्द्र में आ जाती हैं, कुछ सीमा-प्रदेश में रह जाती हैं, तो कुछ सीमा-प्रदेश के बाहर ही रह जाती हैं। व्यक्ति द्वारा कुछ वस्तुएं, जो उसके चेतना-केन्द्र में लाई जाती हैं, उस प्रक्रिया को ही ध्यान या अवधान (attention) कहा जाता है।
- 27. ध्यानभंग या विकर्षण (Distraction)** — व्यक्ति का किसी उद्दीपक या वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करते समय किसी अन्य उद्दीपक के कारण ध्यान कहीं ओर चला जाए या ध्यान में बाधा उत्पन्न हो तो उसे ध्यानभंग या विकर्षण कहते हैं।
- 28. विभ्रम (Hallucination)** — वह स्थिति जिसमें किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति को किसी उद्दीपक के होने का आभास होता है, विभ्रम (Hallucination) कहलाता है। प्रायः मानसिक रोगियों में इस प्रकार के प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी त्रुटि पाई जाती है। जैसे एक डरा हुआ व्यक्ति रात में हिलते हुए पर्दे को भूत समझ लेता है।
- 29. भ्रम (Illusion)** — वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति किसी वस्तु या उद्दीपक का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता, भ्रम (Illusion) कहलाता है। भ्रम में किसी उद्दीपक की उपस्थिति में ही उद्दीपक का त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है।
- 30. संकल्प (Will)** — व्यक्ति की वह क्षमता जो अवांछित सोच, भावनाओं व संवेगों के नियन्त्रण का कार्य करती है, संकल्प कहलाती है। संकल्प शक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं के नियमन हेतु चैतन्य प्रयास होते हैं। संकल्प-व्यक्ति के निर्णय लेने व अनुसरण करने की क्षमता है। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है।
- 31. चरित्र (Characteristics)** — चरित्र एक अभ्यासजन्य तरीका है, जिसमें संकल्प प्रवृत्तियों और इच्छाओं को उस व्यवस्था तक नियमन करता है जो उसके कार्य का क्षेत्र है। चरित्र व्यक्ति के आचरण को गहराई से प्रभावित करता है। मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के पीछे चरित्र मुख्य भूमिका अदा करता है। चरित्र हमारे अर्जित व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

- 32. बुद्धि (Intelligence)** — बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है (*Intelligence is the ability to judge well, to comprehend well, and to reason well*).
- 33. कानून (Law)** — कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है। कानून का कार्य स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना है एवं नागरिकों को कर्तव्यों के प्रति सचेत करना है।
- 34. अवबोधन या प्रत्यक्षीकरण (Perception)** — प्रत्यक्षीकरण इन्द्रियों की सहायता से पदार्थ या बाह्य घटनाओं को जानने की क्रिया है।
- 35. विवाह (Marriage)** — विवाह पति अथवा पत्नी के सामाजिक बंधन का नाम है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें पति-पत्नी आपस में सामाजिक बंधन में बंध जाते हैं।
- 36. आत्महत्या (Suicide)** — मनुष्य द्वारा अकस्मात् योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना आत्महत्या कहलाता है। आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं जैसे- अपनी व अपने परिवार की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाना, रोग से ग्रस्त रहना आदि।
- 37. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)** — मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों (opposite conditions) का सामना धैर्यपूर्वक कर उनसे प्रभावपूर्ण समायोजन बिठा लेता है।
- 38. व्यवहार (Behaviour)** — व्यवहार व्यक्ति की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया अथवा क्रिया को कहते हैं। इसमें मन और शरीर की प्रक्रिया शामिल हैं चाहे वह बाहरी हो या भीतरी।
- 39. अपराध (Delinquency/Crime)** — किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला ऐसा दुर्व्यवहार जो तय की हुई कानूनी सीमाओं को लांघता हो अपराध कहलाता है। अपराध देश के कानून द्वारा प्रतिबंधित कार्य है, जिसके लिए दण्ड की व्यवस्था है।
- 40. परिवार (Family)** — परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो रक्त के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित हैं तथा जो परस्पर नातेदार हैं। सामान्य अर्थ में परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है, जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। इन रहने वालों में पति-पत्नी व उनकी संतान अनिवार्यतः होती है।
- 41. एक-विवाह (Monogamy)** — एक-विवाह तब कहा जाता है जब एक पुरुष केवल एक स्त्री से और एक स्त्री केवल एक पुरुष से विवाह करे। एक विवाह, विवाह का वह स्वरूप है, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है।
- 42. बहुविवाह (Polygamy)** — जब एक पुरुष की एक से अधिक स्त्री हों और एक स्त्री के एक से अधिक पति हों तो इस प्रथा को बहुविवाह प्रथा कहा जाता है।
- 43. बहु-पति विवाह (Polyandry)** — बहु-पति विवाह, विवाह का वह स्वरूप है, जिसमें एक ही स्त्री के एक ही समय में दो या अधिक पति होते हैं।
- 44. भ्राता संबंधी बहुपति विवाह (Fraternal Polyandry)** — इस प्रकार के विवाहों में सब पति भाई-भाई होते हैं। जब दो या अधिक भाई एक ही स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर यौन-सम्बन्ध रखते हैं तो उसे भ्राता सम्बन्धी बहुपति विवाह कहा जाता है।
- 45. अभ्राता सम्बन्धी बहुपति विवाह (Non-fraternal Polyandry)** — अभ्राता सम्बन्धी बहुपति विवाह में पतियों का परस्पर भाई होना अनिवार्य नहीं होता। स्त्री अपने पतियों के पास बारी-बारी से जाती है। जब पत्नी एक पति के पास होती है, उस समय तक उस पर किसी भी दूसरे पति का अधिकार नहीं होता।

- 46. समाज (Society)** – समाज एक अमूर्त अवधारणा है, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है।
- 47. प्राथमिक समूह (Primary Group)** – उस समूह को प्राथमिक समूह कहा जाता है, जिसके सदस्यों में आमने-सामने के संबंध पाए जाते हैं अर्थात् सदस्य प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं।
- 48. द्वितीयक समूह (Secondary Group)** – उस समूह को द्वितीयक समूह कहते हैं, जिसके निर्माण के लिए आमने-सामने के संबंध तथा घनिष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। द्वितीयक समूहों में उन गुणों का अभाव पाया जाता है जो 'प्राथमिक समूह' में पाए जाते हैं।
- 49. सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification)** – सामाजिक स्तरीकरण का आशय समाज की विभिन्न ऐसी स्थायी श्रेणियों और समूहों में विभाजन से है जो उच्चता और अधीनता के संबंधों से परस्पर संबद्ध होती हैं।
- 50. विकलांगता/अपंगता (Disability)** – जो व्यक्ति जन्म से या दुर्घटना के कारण शारीरिक विकृतियों तथा मानसिक अक्षमताओं से पीड़ित है, विकलांग (handicapped/disabled) कहलाता है।
- 51. बेरोजगारी (Unemployment)** – जब किसी व्यक्ति के पास जीविका अर्जित करने का कोई साधन नहीं होता है, एवं वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं।
- 52. समुदाय (Community)** – समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।
- 53. संस्कृति (Culture)** – संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से प्राप्त हुआ है। संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। समाजशास्त्र के अंतर्गत संस्कृति सीखे हुए व्यवहार की वह समग्रता है जिसमें कि एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता और पनपता है।
- 54. राष्ट्रीय आय (National Income)** – राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है, इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है।
- 55. बजट (Budget)** – एक निश्चित समयावधि के लिए तैयार किया जाने वाला अनुमानित आय एवं व्यय का लेखा-जोखा बजट कहलाता है।
- 56. वेश्यावृत्ति (Prostitution)** – वेश्यावृत्ति अवैध यौन-संबंधों पर आधारित कमाने का एक तरीका है जिसका आजीविका से संबंध है।
- 57. सामाजीकरण (Socialization)** – सामाजीकरण मनुष्य को सामाजिक बनाकर उसे मानवीय समाज का सदस्य बनाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य को सामाजिक बनाया जाता है, उसे सामाजीकरण कहते हैं।
- 58. उपाहम/इदम् (ID)** – ID एक लैटिन शब्द है, जिसका हिन्दी अर्थ "यह" (It) होता है। ID मनुष्य की नैसर्गिक, सहजवृत्ति और व्यक्तित्व की संरचना को प्रकट करता है। ID का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यह अचेतन (unconscious) स्तर पर काम करता है जो सहजवृत्ति (instinct) प्राथमिकता पर जोर देता है।
- 59. अहम् (Ego)** – Ego वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें मानव दिखाई देने वाली स्थिति एवं वस्तुओं के बारे में विचार करता है।
- 60. पराअहम् (Super ego)** – Super ego मुख्य रूप से मनुष्य को उसके माता-पिता द्वारा सिखाया गया सांस्कृतिक नियम है जो internalization प्रभाव व्यक्त करता है, जोकि मनुष्य को मार्गदर्शन और प्रभाव लागू करने में मदद करता है।